इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड (इरकॉनएसजीटीएल)

पांचवीं वार्षिक रिपोर्ट (2019-20)

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड (इरकॉनएसजीटीएल) की वार्षिक रिपोर्ट की विषयवस्तु

क्र.सं	विवरण	पृष्ठ सं.
1.	कंपनी का प्रोफाइल	3-6
2.	वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए निदेशक की रिपोर्ट	7-48
3.	कंपनी के इंड एएस वित्तीय विवरण	49-154
	➢ लेखापरीक्षक की रिपोर्ट	
	➢ तुलन पत्र	
	➢ लाभ एवं हानि विवरण	
	➢ रोकड़ प्रवाह विवरण	
	➢ इक्विटी में परिवर्तन का विवरण	
	➢ महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार	
	लेखों पर नोट एवं अन्य विवरणात्मक विवरण	
4.	नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां	155-157

सांविधिक लेखापरीक्षक
मैसर्स अजय कुमार जैन एंड कंपनी,
सनदी लेखाकार

सचिवीय लेखापरीक्षक
मैसर्स सौरभ जैन एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

आंतरिक लेखापरीक्षक
मैसर्स वी.एम.अरोड़ा एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
नई दिल्ली

लागत लेखाकार
मैसर्स रवि साहनी एंड कंपनी
लागत लेखाकार
नई दिल्ली

कंपनी के बैंकर
इंडियन ओवरसीज बैंक,
आर.के.पुरम,
नई दिल्ली

कंपनी के ईपीसी ठेकेदार
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय

सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर,
साकेत, नई दिल्ली - 110017
ई-मेल: cs.irconsgtl@gmail.com
दूरभाष : 91-11-29565666
सीआईएन : U45400DL2015GOI280017

निदेशक मंडल

(अंशकालीन निदेशक)

श्री एस.एल. गुप्ता
अध्यक्ष

श्री अशोक कुमार गोयल
निदेशक

श्री राजेन्द्र सिंह यादव
निदेशक

श्री सुरजीत दत्ता
निदेशक

श्री डी.के.शर्मा
निदेशक

मुख्य कार्यपालक

श्री मसूद अहमद नज़र
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

श्री संजीव कुमार गुप्ता
मुख्य वित्त अधिकारी

*सुश्री साक्षी मेहता, कंपनी सचिव, इरकॉन एसजीटीएल ने दिनांक 21 अगस्त 2020 को कंपनी सचिव के पद से त्यागपत्र दे दिया है।

परियोजना फोटोग्राफ

(राष्ट्रीय राजमार्ग-3, शिवपुरी गुना टोलवे, मध्यप्रदेश)

निदेशक की रिपोर्ट

वित्तीय वर्ष : 2019-20

निदेशक की रिपोर्ट

प्रिय सदस्य

आपके निदेशकों को 2019-20 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के कार्यों पर पांचवीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है।

क. व्यवसायिक अवलोकन: गतिविधियों की वर्तमान स्थिति

इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड (इरकॉनएसजीटीएल) को 872.11 करोड़ रूपए की कुल परियाजना लागत पर मध्यप्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-3 पर शिवपुरी-गुना राजमार्ग परियोजना के निर्माण का कार्य सौंपा गया है, हालांकि, इस परियोजना को दो चरणों में निष्पादित किया जा रहा है अर्थात् चरण-I और चरण-II. चरण-I की कुल लागत 759.98 करोड़ रूपए है, जबकि चरण-II की कुल लागत 112.13 करोड़ रूपए है और यह जनवरी, 2021 तक आरंभ हो जाएगा।

कंपनी नियुक्ति तिथि तक निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए एनएचएआई के साथ हस्ताक्षरित निर्धारित समयसीमा के अनुसार 910 दिनों के भीतर 25 जनवरी, 2016 ('प्रचालन की वाणिज्यिक तिथि' - डीओडी) और टोलवे को चालू करने के लिए निर्धारित समयसीमा के अनुसार भौतिक और वित्तीय प्रगति कर रही है।

चरण-I परियोजना की वाणिज्यिक प्रचालन तिथि (सीओडी) (87.5 किमी लंबाई) को डेढ महीने पूर्व दिनांक 06 जून 2018 (अनुसूचित समापन यथा दिनांक 23 जुलाई 2018) को प्राप्त कर लिया गया है। इसप्रकार, दिनांक 07 जून 2018 से टोल प्रचालन और राजस्व एकत्रण का कार्य आरंभ हो गया है। दिनांक 07 जून 2018 से 31 मार्च 2019 तक एकत्र राजस्व 72.88 करोड रूपए है।

कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन और एनएचएआई के अनुदेशों के कारण 26 मार्च, 2020 तक टोल प्रचालन बंद कर दिया गया था और इससे टोल प्लाजा के राजस्व पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। तथापि, दिनांक 20 अप्रैल 2020 को टोल प्रचालन आरंभ हो गया है।

उक्त वित्तीय प्रगति को प्राप्त करने के लिए उपयोग किए गए धन के स्रोत निम्नानुसार हैं: -

- इक्विटी शेयर पूंजी: 150 करोड़ रूपए (संपूर्ण इक्विटी को प्राप्त व खर्च किया गया है)
- दिनांक 31 मार्च 2020 को रक्षित ऋण (कर्ज): 564.15 करोड़ रूपए (722.11 करोड़ रुपये की स्वीकृत ऋण राशि के प्रति)

ख. कंपनी का वित्तीय निष्पादन

कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के तहत उल्लिखित प्रावधानों के अनुसरण में, कंपनी ने भारतीय लेखांकन मानक (इंडएएस) के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए अपने वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार किए हैं।

इंड एएस के अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी की सारबद्ध वित्तीय स्थिति निम्नानुसार तालिकाबद्ध है:

दिनांक 31 मार्च 2020 को वित्तीय निष्पादन संकेतक:

(रुपये करोड में)

विवरण	**31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए**	**31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए**
	(लेखा परीक्षित)	**(लेखा परीक्षित)**
1. इक्विटी शेयर पूंजी	150	150
2. अन्य इक्विटी (आरक्षित निधि व अतिरेक सहित)	(62.19)	(31.36)
3. धारक कंपनी से ऋण (उधार)	564.15	561.59
4. विकास के तहत अमूर्त परिसंपत्ति	-	-
5. अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां	650.88	692.41
6. कुल परिसंपत्ति और देयताएं	656.06	705.34
7. प्रचालन से राजस्व	94.44	149.75
8. अन्य आय	0.44	0.43
9. कुल आय (7) + (8)	94.88	150.18

10. प्रचालन लागत	29.58	101.60
11. प्रशासनिक व्यय (मूल्यह्रास, परिशोधन एवं हानि)	95.99	79.05
12. अन्य व्यय	0.04	0.06
12. कुल व्यय (10) + (11) + (12)	**125.61**	**180.71**
13. कर पूर्व लाभ/(हानि) (9) - (10)	**(30.73)**	**(30.53)**
14. कर पश्चात लाभ/(हानि)	**(30.83)**	**(30.63)**
15. अन्य वृहत आय	-	-
16. कुल वृहत आय (लाभ (हानि) और अन्य वृहत आय सहित (14) + (15)	**(30.83)**	**(30.63)**

शेयर पूंजी

दिनांक 31 मार्च, 2020 को कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 150 करोड़ रूपए है, जिसमें प्रत्येक 10 रूपए के 15,00,00,000 इक्विटी शेयर शामिल हैं।

ग. परियोजना से रोकड़ प्रवाह

वर्ष के दौरान परियोजना गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह में कुल कमी **6.29 करोड रूपए** है।

घ प्रबंधन विचार-विमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट (एमडीएआर)

प्रबंधन विचार-विमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट को **अनुबंध-क** के रूप में निदेशक की रिपोर्ट में शामिल किया गया है।

ड. बोर्ड समितियां

एमसीए की रियायत अधिसूचना और डीपीई द्वारा डीपीई कॉरपोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों के अनुसरण में बोर्ड द्वारा दिनांक 05 फरवरी, 2020 को लेखापरीक्षा समिति और नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) को निरस्त कर दिया गया है।

हालाँकि, निरसन के पूर्व लेखापरीक्षा समिति और नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) की संरचना से संबंधित ब्यौरा निगमित शासन रिपोर्ट में शामिल है, जो इस रिपोर्ट का भाग है।

च. निदेशक मंडल और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

(i) बोर्ड की बैठकों की संख्या तथा इनमें निदेशकों की उपस्थिति

कंपनी अधिनियम, 2013 तथा बोर्ड की बैठकें और उनकी शक्तियां, नियम, 2014 तथा डीपीई (निगमित शासन) दिशानिर्देश, 2010 के अनुसार पिछले वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान बोर्ड की 07 बैठकें हुईं।

वित्तीय वर्ष 2019-2020 के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकों का ब्यौरा

क्र.सं.	**बोर्ड बैठक की तिथि**	**पिछली बैठक के संबंध में समय अंतराल यथा (दिनों की संख्या)**	**उपस्थित निदेशकों की संख्या**	**अनुपस्थित निदेशकों की संख्या**
1.	02 मई 2019	72	5	शून्य
2.	29 जुलाई 2019	87	5	शून्य
3.	23 अगस्त 2019	24	4	1
4.	19 सितंबर2019	26	4	1
5.	24 अक्तूबर 2019	34	3	1
6.	27 जनवरी 2020	94	4	1
7.	05 फरवरी 2020	08	4	1

(ii) निदेशक मंडल

आज की तिथि को निम्नलिखित निदेशक पदधारित हैं:

क्र.सं	**निदेशक**	**नियुक्ति की तिथि**	**डिन**
1.	श्री एस.एल.गुप्ता, अंशकालीन अध्यक्ष	01 नवंबर 2019	07598920
2.	श्री अशोक कुमार गोयल, अंशकालीन निदेशक	12 मई 2015	05308809
3.	श्री आर.एस यादव, अंशकालीन निदेशक	27 जनवरी 2020	07752915
4.	श्री सुरजीत दत्ता अंशकालीन निदेशक	01 नवंबर 2019	06687032
5.	श्री डी.के.शर्मा अंशकालीन निदेशक	19 सितंबर 2019	08556821

(iii) मुख्य प्रबंधन कार्मिक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-203 के प्रावधानों के अनुसार, श्री मसूद अहमद नज़र, मुख्य कार्यकारी अधिकारी को कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) के रूप में दिनांक 21 जुलाई 2016 को घोषित किया गया था।

दिनांक 04 जनवरी, 2019 को श्री संजीव कुमार गुप्ता को धारक कंपनी द्वारा कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया है, और कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) के रूप में घोषित किया गया था।

सुश्री शाक्षी मेहता, कंपनी सचिव दिनांक 29 मई, 2017 से कंपनी सचिव नियुक्त हुई थीं।

छ. निदेशक के उत्तरदायित्व का विवरण (डीआरएस)

(कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 134(3)(ग) के अनुसरण में)

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 134(5) के अनुसार, निदेशक मंडल यह पुष्टि करता है कि:

(क) वार्षिक लेखे तैयार करने में सामग्री विचलनों से संबंधित उचित स्पष्टीकरण सहित लागू लेखाकरण मानकों का पालन किया गया है।

(ख) निदेशकों द्वारा ऐसी लेखाकरण नीतियों का चयन किया गया है और उन्हें निरंतर लागू किया गया है और ऐसे निर्णय लिए और अनुमान तैयार किए गए थे जो तर्कसंगत और विवकपूर्ण थे ताकि वर्ष के अंत में कंपनी की कार्य स्थिति तथा उक्त अवधि के लिए कंपनी के लाभ का सही एवं वास्तविक चित्र प्रस्तुत हो सके।

(ग) निदेशकों द्वारा परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने तथा छल-कपट और अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा उनका पता लगाने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लेखाकरण अभिलेखों के पर्याप्त रखरखाव के लिए उचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती गई है।

(घ) निदेशकों ने वार्षिक लेखे "निरंतर" आधार पर तैयार किए हैं।

(ङ) निदेशकों ने यह सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियां तैयार की हैं कि सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन किया जाए और कि इस प्रकार की प्रणालियां पर्याप्त और प्रभावपूर्ण रूप से प्रचालनिक थीं।

ज. अनुच्छेद 149(6) के अंतर्गत स्वतंत्र निदेशकों द्वारा की गई घोषणा पर विवरण।

लागू नहीं है क्योंकि कंपनी में वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है।

ट. अंतर-निगमित ऋण तथा निवेश (अनुच्छेद 185 तथा अनुच्छेद 186)

आज की तिथि तक कंपनी ने कोई अंतर-निगमित ऋण या निवेश नहीं किया है और इस प्रकार आज की तिथि को संव्यवहार शून्य है।

ठ. वार्षिक रिपोर्ट का सार - एमजीटी-9

कंपनी (प्रबंधन तथा प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के साथ पठित अनुच्छेद 92(3) (अधिनियम की अनिवार्य अपेक्षा) के अनुसार वार्षिक रिपोर्ट का सार **अनुबंध-ख** के रूप में संलग्न है।

ड. अनुच्छेद 188 के अंतर्गत संबंधित पक्ष संव्यवहार- फार्म संख्या एओसी-2 में संबंधित पक्ष के साथ संविदाएं या व्यवस्थाएं

फार्म संख्या एओसी-2 में कंपनी द्वारा अपने संबंधित पक्षों के साथ किए गए संव्यवहारों के संबंध में प्रकटन **अनुबंध-ग** के रूप में संलग्न है।

ढ. लाभांश तथा आरक्षित निधियां

निदेशक मंडल ने दिनांक 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के इक्विटी शेयरों पर किसी लाभांश की संस्तुति नहीं की है।

इंड एएस के अनुप्रयोग के अनुसार, आरक्षित निधियों को वित्तीय विवरणों में अन्य इक्विटी शेष के अंतर्गत प्रतिधारित आमदनियों के रूप में परिलक्षित किया गया है और दिनांक 31 मार्च 2020 को आपकी कंपना का रूपए (62.19) करोड़ रूपए का ऋणात्मक शेष है।

ण. जमा राशियां

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 तथा कंपनी (जमा राशियों की स्वीकृति) नियम, 2014 के अनुसरण में अपने सदस्यों से कोई जमा राशियां आमंत्रित नहीं की हैं।

प. ऊजा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन, विदेशी मुद्रा अर्जन तथा उपप्रवह

राजमार्ग के निर्माण के दौरान, पर्यावरण सुरक्षा और संरक्षण को सुनिश्चित किए जाने हेतु एनएचएआई द्वारा निर्धारित उपयुक्त उपाय किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान विदेशी मुद्रा आगम और निर्गम नहीं हुआ है।

फ. वित्तीय विवरणों के लिए निदेशक के अवलोकन और टिप्पणियां

(लेखापरीक्षकों द्वारा रिपोर्ट में की गई किसी टिप्पणी के लिए स्पष्टीकरण)

वित्तीय विवरण लेखांकन की दोहरी प्रविष्ट प्रणाली के आधार पर लेखों की वास्तविक और न्यायोचित स्थिति को दर्शाते हैं, जिसमें लाभ और हानियों को संचित आधार पर लेखांकित किया जाता है, जरनल में अंकित हर एक संव्यवहार, ट्रायल शेष का निष्पादन, त्रुटियों का शुद्धिकरण और लेखों के शेष को बहि में पोस्ट किया जाता है।

कंपनी के निदेशकों ने अपनी रिपोर्ट में सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा किए गए अवलोकनों तथा टिप्पणियों के साथ वित्तीय विवरणों का गहन मूल्यांकन किया है और लेखापरीक्षकों द्वारा उठाई गई शून्य आपत्तियों सहित इसे पूर्णत व्यवस्थित पाया है।

ब. आंतरिक लेखांकन नियंत्रणों की पर्याप्तता से संबंधित ब्यौरा

वित्तीय विवरणों से संबंधित आंतरिक लेखांकन नियंत्रण (आईएफसी) स्वीकार की जाने वाली नीतियों और प्रक्रियाओं, परिसंपत्ति प्रावधान तथा व्ययों और आयों की रिकार्डिंग (वित्तीय रिपोर्टों) के अनुसरण में अपनाए जाने वाले उचित सुरक्षा उपायों से संबंधित हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 143 तथा कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2015 के अनुसार *(सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू)* लेखापरीक्षकों द्वारा व्यवसाय के आकार तथा प्रकृति से आरंभ करते हुए कंपनी में मौजूदा आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता के संबंध में अपनी लेखापरीक्षक रिपोर्ट में उल्लेख करने का प्रावधान है।

कंपनी द्वारा अभिकल्पित और क्रियान्वित किए गए वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वितीय नियंत्रण, कंपनी के आकार और जटिलता के अनुसार उपयुक्त पर्याप्त हैं। आपकी कंपनी का मत है कि ये आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां एक उचित आश्वासन प्रदान करती हैं कि कंपनी के लेनदेन को प्रबंधन प्राधिकरण के साथ निष्पादित किया जाता है और इन्हें सभी भौतिक मामलों में रिकॉर्ड किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए दर्ज किए जाते हैं और कंपनी की संपत्तियों को दुरुपयोग या हानि के प्रतिपर्याप्त रूप से सुरक्षित रखा जाता है।

भ. जोखिम प्रबंधन

बोर्ड कंपनी को व्यवसाय के लिए किसी भी बड़े खतरे/जोखिम की संभावना नहीं है।

भ. कर्मचारियों का विवरण

कंपनी (प्रमुख प्रबंधन कार्मिक की नियुक्ति तथा पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5(2) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 134(3) के प्रावधान के अनुसरण में, वर्ष 2019-20 के दौरान किसी भी कर्मचारी ने प्रति वर्ष 60 लाख रूपए या अधिक या प्रति माह 5 लाख रूपए या अधिक का पारिश्रमिक प्राप्त नहीं किया है।

प. निगमित संचलन पर रिपोर्ट

निगमित शासन पर रिपोर्ट को इस रिपोर्ट के **अनुबंध-घ** के रूप में संलग्न किया गया है।

फ. लेखापरीक्षक

क) सांविधिक लेखापरीक्षक

वर्ष 2019-20 के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा हेतु भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा मैसर्स अजय के. जैन एंड कंपनी, सनदी लेखाकार को सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

ख) सचिवीय लेखापरीक्षक

निदेशक मंडल द्वारा मैसर्स सौरभ जैन एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिवों को वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए कंपनी के सचिवीय लेखापरीक्षा के लिए नियुक्त किया गया था।

ग) आंतरिक लेखापरीक्षक

निदेशक मंडल ने कंपनी के आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए आंतरिक लेखापरीक्षकों के रूप में मैसर्स वी.एम.अरोड़ा एंड कंपनी, सनदी लेखाकार को नियुक्त किया है।

घ) लागत लेखापरीक्षक

निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए लागू नियमों/दिशानिर्देश नोट के अनुसार कंपनी द्वारा अनुरक्षित लेखापरीक्षा रिकार्डों की लेखापरीक्षा करने के लिए कंपनी के लेखापरीक्षक के रूप में मैसर्स रवि साहनी एंड कंपनी, लागत लेखापरीक्षक को नियुक्त किया था।

ह. सीएसआर समिति

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी के लिए निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति का गठन अपेक्षित नहीं हैं, क्योंकि कंपनी 500 करोड़ रूपए या अधिक की निवल परिसंपत्ति, 1000 करोड़ या अधिक के टर्नओवर या 5 करोड़ या अधिक के निवल लाभ के क्षेत्र में नहीं आती है। कंपनी (निगमित सामाजिक

उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 का अनुच्छेद 135)।

ब. सहायक कंपनियों, संबद्ध तथा संयुक्त उद्यम कंपनियों का ब्यौरा

कंपनी की कोई सहायक कंपनी, संबद्ध तथा संयुक्त उद्यम कंपनी नहीं है।

भ. वित्तीय वर्ष समाप्त होने की तिथि से वार्षिक आम बैठक की रिपोर्ट की तिथि तक सामग्रीगत परिवर्तन या प्रभावित प्रतिबद्धताओं का ब्यौरा

वर्ष के समापन के पश्चात, कंपनी ने धारक कंपनी (इरकॉन) से पहले से लिए गए ऋण के संबंध में दिनांक 13 अगस्त 2020 को 13.50 करोड रूपए का पुनर्भगतान किया है।

ल. समझौता ज्ञापन

डीपीई ने कंपनी को वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए इरकॉन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए छूट प्रदान की है।

व. एमएसई अनुपालन

इरकॉन एसजीटीएल का यह प्रयास रहा है कि सूक्ष्म और लघु उपक्रमों (एमएसई) और स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं का सहयोग प्रदान किया जाए। इरकॉन एसजीटीएल ने एमएसई से निर्दिष्ट वस्तुओं की खरीद के लिए भारत सरकार की सार्वजनिक खरीद नीति को लागू करने के लिए आवश्यक कदमों सहित कई कदम उठाए हैं। वर्ष के दौरान एमएसई से वास्तविक खरीद 0.48 लाख रूपए की है जबकि कंपनी का कुल वार्षिक खरीद लक्ष्य 0.50 लाख रूपए का है।

क्ष. कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन शोषण के अनुपालन में (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम: -

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के प्रति कंपनी की शून्य सहिष्णुता है और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुरूप कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण पर नीति पर विचार किया जा रहा है। ।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की धारा 22 के अनुसार ऐसी कोई घटना नहीं हुई, जिसमें यौन उत्पीड़न से संबंधित कोई शिकायत कार्यस्थल पर दर्ज की गई हो। इसके अतिरिक्त, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 में के प्रावधानों के अनुसार आंतरिक शिकायत समिति का गठन विचाराधीन है।

व. **आभारोक्ति**

आपके निदेशक इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, ऋणदाताओं, व्यावसायिक सहयोगियों, कंपनी के लेखापरीक्षकों और कंपनी के मूल्यवान ग्राहक यथा एनएचएआई द्वारा कंपनी को मूल्यवान समर्थन और सहयोग के लिए हार्दिक आभार प्रकट करते हैं। वे सभी श्रेणी के कार्मिकों की भी उनके निष्ठापूर्ण और समर्पित सेवाओं के लिए उनकी सराहना करते हैं।

इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड के
निदेशक मंडल के निमित्त तथा की ओर से

ह/-
एस.एल.गुप्ता
अध्यक्ष
डीआईएन: 07598920

दिनांक: 19.08.2020
स्थान : नई दिल्ली

अनुबंध – क

प्रबंधन विचारविमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट (एमडीएआर)

(i) औद्योगिक संरचना और विकास

सड़कों और राजमर्गों के निर्माण के संबंध में पिछले कुछ वर्षों में निर्माण उद्योग और अधिक विकास और पूंजी अंशदान की ओर बढा है, जिसके कारण एनएचएआई द्वारा प्रदान किए अनुसार बीओटी आधार पर ऐसी परियोजनाओं को विकसित और प्रचालित किया जा रहा है।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ऐसी परियोजनाएं प्रदान कर रहा है जिससे निवेशक तथा ठेकेदार, अन्य उद्योगों, जहां सेवा प्रदाताओं के रूप में विकल्पों की उपलब्धता के साथ मांग और आपूर्ति कारक विद्यमान हैं, की तुलना में क्षेत्र के यातायात के आकलन के आधार पर घाटे या अनिश्चितताओं के कम जोखिम के साथ निरंतर आय अर्जित कर सकते हैं। यहां, जब ऐसी परियोजनाएं प्रदान की जाती हैं, वहां परियोजना के निष्पादन के लिए विश्वसनियता और वित्तीय स्थिति के अनुसार पक्षों को स्वीकृति पत्र जारी करने से पूर्व इनका सूक्ष्म रूप से मूल्यांकन किया जाता है, जिससे कि ऐसी परियोजनाओं से अनुमानित आमदनियां बाजार के उतार-चढाव से कम प्रभावित होंगी।

इस प्रकार, एनएचडीपी-चरण IV के अग्रणी कार्यक्रम के अंतर्गत एनएचएआई ने देश में राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) के विकास और विस्तार की चुनौती ली है। इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए मध्यप्रदेश राज्य में शिवपुरी गुना खंड (एनएच-3) के चौड़ीकरण और सुदृढीकरण का कार्य करने के लिए एनएचएआई द्वारा निविदा फ्लोट की गई थी जिसमें इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (यथा धारक कंपनी) ने भाग लिया और निष्पादन के लिए यह निविदा प्राप्त की तथा इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे नामक एसपीवी का निर्माण किया। औद्योगिक रूझानों पर आधारित इस परियोजना में विकास की संभावनाएं हैं और अर्थव्यवस्था में विद्यमान मुद्रास्फीति दरों के सापेक्ष में राजमार्ग ग्राहकों से भारी एकत्रण की संवर्धित संभावनाएं हैं।

(ii) शक्तियां और कमजोरियां

➢ **शक्तियां**

अवसंरचना के क्षेत्र में सरकार द्वारा विशेष ध्यान दिए जाने के कारण, सड़क तथा राजमार्ग नेटवर्क के और अधिक विस्तारित होने की संभावना है जिसमें अधिक से अधिक निवेश होगा। सड़क यातायात में अच्छे विकास से भारत सरकार के ''मेक इन इंडिया'' द्वारा प्राथमिकता क्षेत्रों के विकास के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और औद्योगिक गलियारों के कारण बेहतर सड़क संपर्कता और यातायात के सुगम प्रवाह की मांग बढ़ेगी। अगले दो वर्षों में अधिक आर्थिक और

औद्योगिक विकास के साथ राजमार्गों पर यातायात की विकास दर में वृद्धि होने की संभावना है। भारत में जनसंख्या में वृद्धि के साथ वर्ष 2020 तक सड़क यातायात की मांग में और वृद्धि होगी, जिसका अर्थ है कि इस क्षेत्र में और अधिक निवेश तथा अधिक प्रतिफल प्राप्त होगा।

➢ **कमजोरियां**

(i) प्रकृति में परिवर्तन का नुकसान है।

(ii) राजमार्ग के निर्माण से संबंधित परियोजनाओं में समय पर उतप्रवह प्रदान करने के संबंध में कुशलता की समस्याएं होती हैं।

(iii) पेट्रोलियम उत्पादों तथा प्राकृतिक सामग्रियों की कीमतों में वृद्धि के कारण असंभावित लागत वृद्धि।

(iii) अवसर तथा जोखिम

➢ **अवसर**

(i) सड़कों और राजमार्गों पर निरंतर बढ़ते वाहनों के कारण प्रचालनों में स्थिरता और विकास हुआ है तथा संबंधित लाभप्रदत्ता बढी है।

(ii) राजमार्ग परियोजनाओं के लिए अनुमानित लाभ-लागत विश्लेषण मॉडल के विकास से अन्य सेवाओं की तुलना में दीर्घकालीन अवधि में संभावित राजस्व (टोल आय) में वृद्धि में सहायता मिलेगी।

➢ **जोखिम**

कोई प्रमुख जोखिम का मूल्यांकन नहीं किया गया है क्योंकि चरण-I के लिए परियोजना की भौतिक प्रगति पूरी हो गई है और वाणिज्यिक प्रचालन तिथि (सीओडी) को 1 माह 15 दिन पूर्व यथा दिनांक 6 जून 2018 को प्राप्त कर लिया गया है। इसप्रकार, परियोजना में टोल एकत्रण एवं प्रचालन तथा सडक अनुरक्षण एजेंसी को तैनात किया गया है। तथापि, नए मार्गों के विकास के साथ यातयात के मार्ग परिवर्तन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।

(iv) आउटलुक (परिदृश्य)

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) अपनी अग्रणी परियोजना ''राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी)'' के अंतर्गत और अधिक राजमार्ग परियोजनाएं प्रदान करके तथा निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करके और विकास के लिए सृजनात्मक प्रौद्योगिकियों के प्रयोग द्वारा निर्माण उद्योग को और बल प्रदान करेगा।

(v) प्रचालनिक कार्यनिष्पादन के संबंध में वित्तीय निष्पादन पर चर्चा

वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु चालू प्रचालनिक और गैर प्रचालनिक आय और व्यय का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

तालिका I: वर्तमान वित्तीय स्थिति **(रूपए करोड़ में)**

विवरण		**1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च 2020 तक की अवधि हेतु**
I.	**राजस्व :**	
	प्रचालनों से राजस्व	94.44
	अन्य आय	0.44
	कुल राजस्व	**94.88**
II.	**व्यय:**	
	परियोजना व्यय	29.58
	कर्मचारी लाभ व्यय	1.60
	वित्तीय लागतें	52.84
	मूल्यह्रास, परिशोधन एवं हानि	41.55
	अन्य व्यय	0.04
	कुल व्यय	**125.61**
IV.	**कर पूर्व लाभ**	**(30.73)**

(vii) नियुक्त लोगों सहित मानव संसाधन, औद्योगिक संबंधों में सामग्रीगत विकास

कंपनी के कार्यों, वित्तीय गतिविधियों और अनिवार्य अनुपालनों और प्रकटनों की व्यवस्था करने के लिए कंपनी ने मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ), मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) तथा कंपनी सचिव की नियुक्ति की है।

इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड के
निदेशक मंडल के निमित्त तथा की ओर से

ह/-

एस.एल.गुप्ता

अध्यक्ष

डीआईएन: 07598920

दिनांक: 19.08.2020

स्थान : नई दिल्ली

अनुबंध – ख

फॉर्म सं.एमजीटी 9

वार्षिक रिटर्न का सार

31.03.2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

[कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 92(3) तथा कंपनी (प्रशासन और प्रबंधन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के अनुसरण में]

I. पंजीकरण और अन्य ब्यौरा:

1.	**सीआईएन**	यू45400डीएल2015जीओआई280017
2.	**पंजीकरण तिथि**	12 मई, 2015
3.	**कंपनी का नाम**	इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड
4.	**कंपनी की श्रेणी/उपश्रेणी**	केन्द्रीय सरकार की कंपनी (इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)
5.	**पंजीकृत कार्यालय का पता व संपर्क ब्यौरा**	सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली -110017
6.	**कंपनी सूचीबद्ध है या गैर-सूचीबद्ध**	गैर-सूचीबद्ध कंपनी
7.	**रजिस्ट्रार तथा हस्तांतरण एजेंट, यदि कोई हो, का नाम तथा संपर्क ब्यौरा**	लागू नहीं

II. कंपनी की प्रधान व्यवसायिक गतिविधियां: (कंपनी की सभी व्यवसायिक गतिविधियों का उल्लेख किया गया है जो कंपनी के कुल टर्नओवर का 10 प्रतिशत या अधिक का योगदान करती हैं।)

क्र.सं	मुख्य उत्पाद व सेवा का नाम	उत्पाद/सेवाओं का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल टर्नओवर का %
1.	मध्यप्रदेश राज्य में शिवपुरी-गुना खंड (राष्ट्रीय राजमार्ग-3) पर राजमार्ग परियोजना के निर्माण के रूप में सेवाएं प्रदान करना : निर्माण सेवाएं: राजमार्ग परियोजना (ईपीसी ठेकेदार के माध्यम से)	42101	100%

III. धारक, सहायक तथा संबद्ध कंपनियों का विवरण :

क्र.सं	कंपनी का नाम व पता	सीआईएन/जीएलएन	धारक/सहायक/ संबद्ध कंपनियों	धारित शेयरों का प्रतिशत	लागू अनुच्छेद
1	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	एल45203डीएल1976जीओआई 008171	धारक कंपनी	100% *	अनुच्छेद 2(46)

*** 100% शेयर इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) तथा इसके 08 नामितियों के पास हैं।**

IV. शेयर धारिता पैटर्न (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी का विवरण)

क) श्रेणीवार शेयर धारिता:

शेयरधारकों की श्रेणी	**वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या [31 मार्च 2019 को]**				**वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या [31 मार्च 2020 को]**				**वर्ष के दौरान % परिवर्तन**
	डीमेट	**फिजिकल**	**कुल**	**कुल शेयरों का %**	**डीमेट**	**फिजिकल**	**कुल**	**कुल शेयरों का %**	
क. प्रमोटर									
(1) भारतीय									
क) व्यक्तिगत/ एचयूएफ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) केन्द्र सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) राज्य सरकार(सरकारें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) निकाय निकाय#	शून्य	150000000	150000000	100%	शून्य	150000000	150000000	100%	-
ड.) बैंक/वित्तीय संस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-	-
च) कोई अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2) विदेशी	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रमोटरों की कुल शेयरधारिता (क)	**शून्य**	**150000000**	**150000000**	**100%**	**शून्य**	**150000000**	**150000000**	**100%**	**-**
ख. जन शेयरधारिता 1. संस्थान									

क) म्युचवल फंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) बैंक / वित्तीय संस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) केन्द्र सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) राज्य सरकार (सरकारें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ड.) उपक्रम पूंजी निधियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-
च) बीमा कंपनियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-
छ) एफआईआई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ज) विदेशी उपक्रम पूंजी निधियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-
झ) अन्य (बताएं)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप कुल (ख)(1):-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. गैर-संस्थागत									
क) निकाय निगम	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) भारतीय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) विदेशी	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) व्यक्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) 1 लाख रूपए तक सांकेतिक शेयर पूंजी धारक व्यक्तिगत शेयरधारक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) 1 लाख रूपए से अधिक सांकेतिक शेयर पूंजी धारक व्यक्तिगत शेयरधारक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) अन्य (स्पष्ट करें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अप्रवासी भारतीय विदेशी निगमित निकाय	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

विदेशी राष्ट्रीय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क्लियरिंग सदस्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ट्रस्ट	-	-	-	-	-	-	-	-	-
विदेशी निकाय-डीआर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उपकुल(ख)(2):-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल सार्वजनिक शेयरधारिता (ख)=(ख)(1)+(ख)(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग. जीडीआर तथा एडीआर के लिए कस्टोडियन द्वारा धारित शेयर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
सकल योग (क+ख+ग)	**शून्य**	**150000000**	**150000000**	**100%**	**शून्य**	**150000000**	**150000000**	**100%**	**-**

 # निगमित निकाय: 100% शेयरधारिता निगमित निकाय - इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और इसके 08 नामितियों के पास है।

ख) प्रमोटरों की शेयरधारिता:

क्र.सं	**शेयरधारक का नाम**	**वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या [31 मार्च 2019 को**			**वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या [31 मार्च, 2020 को]**			**वर्ष के दौरान शेयरधारिता % में परिवर्तन**
		शेयरों की संख्या	**कंपनी के कुल शेयरों का %**	**कुल शेयरों में प्रतिभूति/ ऋणयुक्त शेयरों का %**	**शेयरों की संख्या**	**कंपनी के कुल शेयरों का %**	**कुल शेयरों में प्रतिभूति/ ऋणयुक्त शेयरों का %**	
1	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	150000000	100%	-	150000000	100%	शून्य	-
	कुल	150000000	100%	-	150000000	100%	शून्य	-

प्रमोटरों की शेयरधारिता: कंपनी प्रत्येक 10 रूपए के 150,000,000 इक्विटी शेयरों के साथ कंपनी इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है अर्थात सम्पूर्ण शेयरधारिता भारतीय प्रमोटरों के पास है।

अन्य 08 शेयरधारकों में से एक शेयरधारक के पास **इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के लिए और की ओर** से 200 शेयरधारित हैं और शेष 7 के पास इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के लिए और की ओर से 100 शेयरधारित हैं।

ग) प्रमोटरों की शेयरधारिता में परिवर्तन :

क्र.सं	विवरण	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता [31 मार्च, 2019 को		वर्ष के दौरान संचित संचयी शेयरधारिता [31 मार्च, 2020 को]	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
1.	वर्ष के आरंभ में	150000000	100%	150000000	100%
2.	वृद्धि/कमी के लिए कारणों को दर्शाते हुए वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयरधारिता में वृद्धि/कमी का तारीख-वार ब्यौरा (उदाहरण के लिए: आवंटन/हस्तांतरण/बोनस/स्वीट इक्विटी आदि):	शून्य			
3.	वर्ष के अंत में	150000000	100%	150000000	100%

घ) दस शीर्ष शेयरधारकों की शेयरधारिता पैटर्न :
(निदेशकों, प्रमोटरों तथा जीडीआर व एडीआर के धारकों से इतर):

क्र.सं	प्रत्येक 10 शीर्ष शेयरधारकों हेतु	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता (निगमन) की तिथि)]		वर्ष के दौरान संचित संचयी शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
1.	वर्ष के आरंभ में	**लागू नहीं**			
2.	वृद्धि/कमी के लिए कारणों को दर्शाते हुए वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयरधारिता में वृद्धि/कमी का तारीख-वार ब्यौरा (उदाहरण के लिए: आवंटन/हस्तांतरण/बोनस/स्वीट इक्विटी आदि):				
3.	वर्ष के अंत में				

ङ.) निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयरधारिता $:

प्रत्येक निदेशक (निदेशकों) और प्रत्येक प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक की शेयरधारिता	31 मार्च 2019 को वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता*		31 मार्च 2020 को वर्ष के दौरान संचित शेयरधारिता	
	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
वर्ष के आरंभ में	-	-	-	-
वृद्धि/कमी के लिए कारणों को दर्शाते हुए वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयरधारिता में वृद्धि/कमी का तारीख-वार ब्यौरा (उदाहरण के लिए: आवंटन/हस्तांतरण/ बोनस/स्वीट इक्विटी आदि):				
वर्ष के अंत में	-	-	-	-

$ "इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) के लिए और की ओर से कंपनी के निदेशकों यथा श्री अशोक कुमार गोयल, श्री राजेन्द्र सिंह यादव और श्री सुरजीत दत्ता के पास प्रति 10 रूपए के 100 इक्विटी शेयर हैं और श्री एस.एल.गुप्ता कंपनी के अध्यक्ष के पास इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) के लिए और की ओर से प्रति 10 रूपए के 200 इक्विटी शेयर हैं ।"

च) ऋणग्रस्तता – कंपनी की ऋणग्रस्तता में बकाया/संचित किन्तु भुगतान के अदेय ब्याज शामिल है।

विवरण	जमा राशियों सहित रक्षित ऋण	अरक्षित ऋण	जमा राशियां	कुल ऋणग्रस्तता
वर्ष के आरंभ में ऋणग्रस्तता				
i) मूल राशि	561,59,00,000	-	-	561,59,00,000
ii) देय किन्तु अप्रदत्त ब्याज	-			-
iii) संचित किन्तु अदेय ब्याज	-			-
कुल (i+ii+iii)	561,59,00,000			
वित्त वर्ष के आरंभ में ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				
* संवर्धन	18,00,00,000			18,00,00,000
* आवर्धन	15,44,00,000			15,44,00,000
निवल परिवर्तन	2,56,00,000			
वित्त वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				
i) मूल राशि	564,15,00,000	-	-	564,15,00,000
ii) देय किन्तु अप्रदत्त ब्याज	-			-
iii) संचित किन्तु अदेय ब्याज	-			-
कुल (i+ii+iii)	564,15,00,000			

VI. निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक -

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालीन निदेशकों तथा/या प्रबंधक का पारिश्रमिक:

क्र.सं	परिश्रमिक का विवरण @	एमडी/डब्ल्यूटीडी/प्रबंधक का नाम	कुल राशि
1.	सकल वेतन	**लागू नहीं**	
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(1) में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार वेतन		
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(2) के अंतर्गत परिलब्धियों का मूल्य		
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(3) के अंतर्गत वेतन के स्थान पर लाभ		
2.	स्टॉक ऑप्शन		
3.	स्वीट क्विटी		
4. 5.	कमिशन - लाभ के % के रूप में - अन्य, बताएं... अन्य, कृपया बताएं		
	कुल (क)		
	अधिनियम के अनुसार सीमा		

@ इरकॉन एसजीटीएल में वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान पांच पूर्णकालीन निदेशक हैं, जिन्हें धारक कंपनी द्वारा बोर्ड में नामित किया गया है और वे कंपनी से कोई पारिश्रमिक प्राप्त नहीं कर रहे हैं। अंशकालीन निदेशकों को किसी प्रकार के बैठक शुल्क का भुगतान नहीं किया जा रहा है।

ख. अन्य निदेशकों का पारिश्रमिक:

क्र.सं	पारिश्रमिक का विवरण @	निदेशकों का नाम	कुल राशि
1	स्वतंत्र निदेशक	**लागू नहीं**	
	बोर्ड समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए शुल्क		
	कमिशन		
	अन्य, कृपया बताएं		
	कुल (1)		
2	अन्य गैर कार्यपालक निदेशक		
	बोर्ड समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए शुल्क		
	कमिशन		
	अन्य, कृपया बताएं		
	कुल (2)		

	कुल (ख)=(1+2) $	
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक	
	अधिनियम के अनुसार समग्र सीलिंग	

ग. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक (प्रबंध निदेशक /प्रबंधक /डब्ल्यटीडी) का पारिश्रमिक: (राशि रूपए में)

क्र.सं	**पारिश्रमिक का विवरण**	**प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक**			
		सीईओ श्री मसूद अहमद नजर	**सीएफओ श्री संजीव कुमार गुप्ता**	**सीएस सुश्री साक्षी मेहता**	**कुल**
1	सकल वेतन				
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(1) में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार वेतन	23,61,034	12,26,700	4,88,297	40,76,031
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(2) के अंतर्गत परिलब्धियों का मूल्य	-	-	-	-
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(3) के अंतर्गत वेतन के स्थान पर लाभ	-	-	-	-
2	स्टॉक ऑप्शन	-	-	-	-
3	स्वीट इक्विटी	-	-	-	-
4	कमिशन				
	- लाभ के % के रूप में	-	-	-	-
	अन्य, बताएं...	-	-	-	-
5	अन्य, कृपया बताएं				
	-निष्पादन संबंधी प्रोत्साहन (पीआरपी)	4,86,472	2,10,764	-	6,97,236
	-सेवानिवृत्ति लाभ (पेंशन, भविष्य निधि)	7,37,672	3,87,913	19,894	11,45,479
	कुल	**35,85,178**	**18,25,377**	**5,08,191**	**59,18,746**

VII. जुर्माना/दंड/अपराधों की आवृत्ति:

प्रकार	**कंपनी अधिनियम का अनुच्छेद**	**संक्षिप्त विवरण**	**जुर्माना/दंड/अपराधों की आवृत्ति का ब्यौरा**	**प्राधिकार [आरडी /एनसीएलटी /न्यायालय]**	**की गई अपील, यदि कोई है (ब्यौरा दें)**
क. कंपनी					
जुर्माना दंड कंपाउंडिंग	**शून्य***				
ख. निदेशक					
जुर्माना दंड कंपाउंडिंग	**शून्य***				
ग. चूककर्ता अन्य अधिकारी					
जुर्माना दंड कंपाउंडिंग	**शून्य***				

* कंपनी अधिनियम, 2013 या अन्य लागू नियमों तथा विनियमों के अंतर्गत कंपनी पर या उसके निदेशकों या अन्य अधिकारियों पर कोई दंड नहीं लगाया गया है और अपराधों की पुनरावृत्ति के लिए कंपनी के किसी प्रतिनिधि द्वारा शून्य आवंदनों सहित किसी प्रकार का दंड नहीं दिया गया है।

इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड के
निदेशक मंडल के निमित्त तथा की ओर से
ह/-
एस.एल.गुप्ता
अध्यक्ष
डीआईएन: 07598920

दिनांक: 19.08.2020
स्थान : नई दिल्ली

अनुबंध-ग

फार्म सं. एओरसी-2
(अधिनियम के अनुच्छेद 134 के उप-अनुच्छेद (3) के खंड (एच) तथा कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8 (2) के अनुसरण में)

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 188 के उप-अनुच्छेद (1) में संदर्भित संबंधित पक्षों के साथ कंपनी द्वारा की गई संविदाओं/व्यवस्थाओं तथा इसके तीसरे प्रावधान के अंतर्गत कतिपय आर्मस लैंथ संव्यवहारों के विवरण के प्रकटन के लिए फार्म

1. **आर्म लैंथ आधार पर न की गई संविदाओं या व्यवस्थाओं या संव्यवहार का ब्यौरा: शून्य**
2. **आर्म लैंथ आधार पर की गई महत्वपूर्ण संविदाओं या व्यवस्थाओं या संव्यवहार का ब्यौरा: निम्नानुसार**

****

क्र.सं	**संबंधित पक्ष का नाम और संबंध की प्रकृति**	**संविदा/ व्यवस्थाओं /संव्यवहारों की प्रकृति**		**संविदा/ व्यवस्थाओं/संव्यवहारों की अवधि**	**मूल्य, यदि कोई हो, सहित संविदा/ व्यवस्थाओं /संव्यवहारों की प्रमुख शर्तें**	**बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि यदि कोई हो:**	**अग्रिम के रूप में प्रदत्त राशि, यदि कोई हो**
1.	**इरकॉन इंटरनेशन लिमिटेड (इरकॉन),** धारक कंपनी .	क)	**ईपीसी करार दिनांक** 30.11.2015	ईपीसी कार्य एनएचएआई द्वारा निर्धारित तिथि से 30 महीने या इरकॉन एसजीटीएल द्वारा भूमि सौंपने से है।	परियोजना राजमार्ग के विकास के निष्पादन के लिए 642 करोड़ रुपये के मूल्य की संविदा को निष्पादित किया गया है।	लागू नहीं	शून्य

		ख)	ईपीसी करार के दो परिशिष्टों का निष्पादन (ये परिशिष्ट मूल ईपीसी करार का हिस्सा होगा)	क) परिशिष्ट-1 दिनांक 29.03.2016 को ख) परिशिष्ट-2 22.07.2016 को निष्पादित।	ईपीसी समझौते में परिशिष्ट सं.1, 2 को 642 करोड़ रु के मूल्य की परियोजना की मूल कुल लागत को यथावत रखते हुए संशोधित भुगतान अनुसूची को शामिल करने के लिए निष्पादित किया गया है।		
		ग)	**पट्टा करार** (कार्यालय परिसरों के प्रयोग हेतु किराया)	**तिथि:** पट्टा करार दिनांक 27.06.2018 अवधि: दिनांक 01.07.2018 से 3 वर्ष	किराया: लीज किराया 65 वर्ग फुट कर दर से 297 रूपए प्रति वर्ग फुट प्रभार्य मासिक आधार पर 19,305 रूपए कॉर्पोरेट कार्यालय के अंदर पट्टे के परिसर के लिए शुल्क और नवीकरण पर 10% की वृद्धि पर विचार करना।		

इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड के निदेशक मंडल के निमित्त तथा की ओर से

ह/-

एस.एल.गुप्ता

अध्यक्ष

डीआईएन: 07598920

दिनांक: 19.08.2020

स्थान : नई दिल्ली

<u>**अनुबंध – घ**</u>

निगमित शासन पर रिपोर्ट

एक सरकारी निकाय होने के कारण कंपनी पारदर्शी रूप में कुशल व्यावसायिक कार्यप्रणाली तथा संव्यवहारों के संचालन के लिए स्वीकार किए गए "**निगमित शासन उपायों**" का अनुपालन करती है। कंपनी समय परीक्षित निगमित कार्यप्रणाली तंत्रों का कड़ाई से अनुपालन करती है और तदर्थ नियोजन या नीति निर्धारण का अनुसरण नहीं करती। कंपनी के अधिकारियों पर उचित जवाबदेही निर्धारित की जाती है जिससे व्यवस्थित, नैतिकपूर्ण और व्यावसायिक व्यापार पद्धितियों के अनुसरण को सुनिश्चित किया जाता है।

1. कंपनी का दर्शन : निगमित कार्यप्रणाली को सांविधिक अनुपालनों और शासन संरचना अनुरूप तैयार किया गया है जिसे स्टेकधारकों के हितों के संरक्षण सहित लाभप्रदत्ता को अधिकतम करने के लिए संरेखित किया गया है।

2. निदेशक मंडल

2.1 बोर्ड की संरचना:-

कंपनी में गैर-कार्यपाल बोर्ड है, जिसके सदस्य हैं, श्री एस.एल.गुप्ता, अध्यक्ष, श्री अशोक कुमार गोयल, निदेशक, श्री राजेंद्र सिंह यादव, निदेशक, श्री सुरजीत दत्ता, निदेशक और श्री डी.के.शर्मा, निदेशक।

धारक कंपनी द्वारा बोर्ड में नामित अंशकालिक निदेशक, कंपनी से कोई पारिश्रमिक नहीं लेते हैं। अंशकालिक निदेशकों को कोई बैठक शुल्क नहीं दिया जाता है।

कंपनी के निदेशकों ने संगठनात्मक कार्यों के लिए उत्पादकता और मूल्यवान अंतर्दृष्टि के तहत नियमित रूप से बोर्ड बैठक में भाग लिया है।

2.2 इस रिपोर्ट की तिथि को निदेशकों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

बोर्ड के निदेशक और निदेशक मंडल/समितियों में उनकी सदस्यता
(इस रिपोर्ट की तिथि को)

निदेशक	पूर्णकालीन/ अंशकालिक / स्वतंत्र	कंपनियों / निकाय निगमों में निदेशक पद (इरकॉन एसजीटीएल को छोड़कर)	कंपनियों / निकाय निगमों में समिति की सदस्यता (इरकॉन एसजीटीएल को छोड़कर)	
			अध्यक्ष के रूप में	सदस्य के रूप में

श्री एस.एल. गुप्ता [डिन 07598920]	अंशकालीन अध्यक्ष	8 (इरकॉन पीबीटीएल इरकॉन डीएचएचएल, सीईआरएल, सीईडब्ल्यूआरएल, एमसीआरएल इरकॉन वीकेईएल और बीआरपीएल)	शून्य	3
श्री अशोक कुमार गोयल [डिन 05308809]	अंशकालीन निदेशक	5 (आईएसटीपीएल, इरकॉन आईएसएल इरकॉन पीबीटीएल, इरकॉन डीएचएचएल और इरकॉन वीकेईएल)	2	2
श्री राजेंद्र सिंह यादव [डिन 07752915]	अंशकालीन निदेशक	3 (इरकॉन पीबीटीएल, इरकॉन डीएचएचएल और इरकॉन वीकेईएल)	2	2
श्री सुरजीत दत्ता [डिन 06687032]	अंशकालीन निदेशक	3 (इरकॉन पीबीटीएल, इरकॉन डीएचएचएल) और इरकॉन वीकेईएल)	1	2
श्री डी.के.शर्मा [डिन 0556821]	अंशकालीन निदेशक	3 इरकॉन पीबीटीएल, इरकॉन डीएचएचएल) इरकॉन डीएचएचएल))	लागू नहीं	लागू नहीं

निदेशक जो निदेशक पद से कार्यमुक्त हुए
(वर्ष 2019-20 के दौरान और तत्पश्चात इस रिपोर्ट की तिथि तक)

निदेशक	पूर्णकालीन/ अंशकालिक / स्वतंत्र	कंपनियों / निकाय निगमों में निदेशक पद (इरकॉन एसजीटीएल को छोड़कर)	कंपनियों / निकाय निगमों में समिति की सदस्यता (इरकॉन एसजीटीएल को छोड़कर)	
			अध्यक्ष के रूप में	सदस्य के रूप में
श्री दीपक सबलोक [डिन 03056457]	अंशकालीन अध्यक्ष	9 (इरकॉन आईएसटीपीएल इरकॉन पीबीटीएल इरकॉन डीएचएचएल, सीईआरएल, एमसीआरएल, इरकॉन वीकेईएल और बीआरपीएल)	1	5
श्री आनंद कुमार सिंह [डिन 07018776]	अंशकालीन निदेशक	3 (इरकॉन पीबीटीएल, इरकॉन डीएचएचएल और इरकॉन वीकेईएल	2	3
सुश्री अनुपम बेन [डिन 07797026]	अंशकालीन निदेशक	3 इरकॉन पीबीटीएल, इरकॉन डीएचएचएल) इरकॉन वीकेईएल)	1	शून्य
सुश्री भुवनेश्वरी कृष्णन [डिन 07486148]	अंशकालीन निदेशक	1 इरकॉन पीबीटीएल,	2	शून्य

टिप्पणियाँ:

1. कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निदेशकों की संख्या 20 कंपनियों (जिसमें से अधिकतम 10 सार्वजनिक कंपनियां हैं) की अधिकतम सीमा के भीतर है।
2. निदेशक एक-दूसरे से संबंधित नहीं हैं।
3. निदेशकों का कंपनी के साथ कोई विशिष्ट संबंध या लेन-देन नहीं है।
4. निदेशक पद/समिति की सदस्यता संबंधी सूचना निदेशकों से प्राप्त नवीनतम प्रकटीकरण पर आधारित है।
5. सभी सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों की लेखा समितियों के सदस्यों पर विचार किया गया है।
6. डीपीई कॉर्पोरेट प्रशासन दिशानिर्देश, 2010 (डीपीई दिशानिर्देश) के तहत निदेशकों की समिति की संख्या पांच अध्यक्षों की अनुमत सीमा सहित दस की अधिकतम सीमा के भीतर है। उक्त सीमा के लिए केवल लेखापरीक्षा समिति की गणना की जानी है।
7. कंपनियों के पूर्ण नाम निम्नानुसार विनिर्दिष्ट:

   क) इरकॉन - इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड
   ख) इरकॉनआईएसएल - इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड
   ग) आईएसटीपीएल - इरकॉन-सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड
   घ) इरकॉनपीबीटीएल - इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड
   ड.) इरकॉनडीएचएचएल - इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड
   च) सीईआरएल - छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड
   छ) सीईडब्ल्यूआरएल - छत्तीसगढ़ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड
   ज) एमसीआरएल - महानदी कोल रेलवे लिमिटेड
   झ) इरकॉनवीकेईएल - इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड
   ट) बीआरपीएल - बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड

3. वर्ष 2019-20 के दौरान निदेशक मंडल की बैठक एवं उपस्थिति

(क) वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान बोर्ड की बैठकें 07 बार आयोजित हुईं: दिनांक 02 मई 2019, 29 जुलाई 2019, 23 अगस्त,2019, 19 सितंबर 2019, 24 अक्तूबर 2019, 27 जनवरी 2020, तथा 05 फरवरी 2020.

(ख) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 167 (1) (ख) के संदर्भ में अनुपस्थिति की अनुमति दी गई थी।

(ग) वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान निदेशकों द्वारा आयोजित बोर्ड बैठकों की संख्या इस प्रकार है:

निदेशक	**2019-20 में बोर्ड बैठकों की संख्या**		**अंतिम वार्षिक बैठक आम बैठक में उपस्थिति**
	आयोजित (उनके कार्यकाल के दौरान)	**उपस्थित**	
श्री दीपक सबलोक	5	5	हां
श्री अशोक कुमार गोयल	7	7	हां
श्री आनन्द कुमार सिंह	4	4	हां
श्री राजेन्द्र सिंह यादव	6	5	हां
सुश्री अनुपम बेन	4	4	हां
श्री एस.एल.गुप्ता	2	2	नहीं
श्री सुरजीत दत्ता	2	2	हां (नामिति शेयरधारक)
श्री डी.के.शर्मा	4	0	लागू नहीं

श्री साक्षी मेहता, कंपनी सचिव ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान आयोजित सभी 07 बैठकों में भाग लिया।

4. निदेशक मंडल की समितियाँ:

4.1 लेखपरीक्षा समिति

4.1.1 संदर्भ शर्तें:

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान कपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी 3 करोड़ रूपए से बढकर 33 करोड रूपए (18 मार्च 2016 से) हो गई है, जो इरकॉन द्वारा 100 प्रतिशत धारित है। इसके परिणामस्वरूप, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के अनुसार, बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति का गठन किया गया और दिनांक 17 अक्तूबर 2016 को इनकी बैठकों आयोजित की गई थी। लेखापरीक्षा समिति की संदर्भ शर्तें जैसा की बोर्ड द्वारा लिखित रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है, में अन्य बातों के साथ साथ शामिल हैं:-

(i) कंपनी के लेखापरीक्षकों की नियुक्ति पारिश्रमिक और नियुक्ति की शर्तें;

(ii) लेखापरीक्षकों की स्वतंत्रता और निष्पादन, और लेखापरीक्षा प्रक्रिया की प्रभावशीलता की समीक्षा और निगरानी;

(Iii) वित्तीय विवरणों और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की परीक्षा;

(iv) संबंधित पक्षों के साथ कंपनी के लेनदेन के अनुमोदन या तत्पश्चात कोई संशोधन;

(v) अंतर-निगमित ऋण और निवेश की जांच;

(vi) जहां भी आवश्यक हो, कंपनी के कार्यों या परिसंपत्तियों का मूल्यांकन;

(vii) आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन;

(viii) सार्वजनिक प्रस्तावों और संबंधित मामलों के माध्यम से प्राप्त धन के अंतिम उपयोग की निगरानी करना।

4.1.2 लेखापरीक्षा समिति - संरचना और उपस्थिति:

निदेशक मंडल के अनुमोदन से बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति, जिसमें कंपनी के तीन अंशकालीन निदेशक शामिल हैं, जिसे मूल रूप से निदेशक मंडल के अनुमोदन से दिनांक 17 अक्तूबर 2016 को गटित किया गया था, ने कंपनी के संदर्भ शर्तों को स्वीकार किया है।

दिनांक 27 जनवरी 2020 को समिति की वर्तमान संरचना है:

श्री सुरजीत दत्ता - अध्यक्ष के रूप में अंशकालिक निदेशक

श्री अशोक कुमार गोयल - सदस्य के रूप में अंशकालिक निदेशक

श्री आर एस यादव - सदस्य के रूप में अंशकालिक निदेशक

सुश्री साक्षी मेहता, कंपनी सचिव, लेखापरीक्षा समिति की सचिव हैं।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की 06 बैठकें आयोजित की गईं यथा 02 मई 2019, 29 जुलाई 2019, 23 अगस्त 2019, 24 अक्तूबर, 2019, 27 जनवरी 2020 और 05 फरवरी 2020. उक्त बैठकों में उपस्थिति का ब्यौरा निम्नानुसार है:

निदेशक	**2019-20 में लेखापरीक्षा समिति की बैठकों की संख्या**	
	आयोजित (उनके कार्यकाल के दौरान)	**उपस्थित**
श्री आनन्द कुमार सिंह	3	3
श्री अशोक कुमार गोयल	6	6
श्री राजेन्द्र सिंह यादव	4	3
सुश्री भुवनेश्वरी कृष्णन	1	1
श्री डी के शर्मा	2	0
श्री सुरजीत दत्ता	2	2

सुश्री साक्षी मेहता, कंपनी सचिव ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की सभी बैठकों में भाग लिया।

निगमित शासन दिशानिर्देशों के अनुपालन से एमसीए की रियायत अधिसूचना और डीपीई द्वारा प्रदान रियायत के अनुसारण में, दिनांक 5 फरवरी 2020 से बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति को भंग कर दिया गया है।

4.2 नामांकन और पारिश्रमिक समिति

कंपनी (बोर्ड की बैठकें और इसके शक्तियां) नियम, 2014 के के नियम 6 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 178 के अनुसार, सभी सार्वजनिक कंपनियों में जिनकी प्रदत्त पूंजी 10 करोड रूपए या अधिक है या जिनका टर्नओवर 100 करोड रूपए या अधिक है या कुल ऋण या उधार या डिबेंचर या जमा राशि 50 करोड़ या उससे अधिक है, उनके लिए नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन अनिवार्य है। समिति में तीन या अधिक गैर-कार्यकारी निदेशक शामिल होंगे, जिनमें से आधे सदस्य स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए।

इसके अतिरिक्त, दिनांक 14 मई 2010 को डीपीई कार्यालय ज्ञापन के तहत जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के लिए पारिश्रमिक समिति के डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार, यह उल्लेखनीय है कि प्रत्येक सीपीएसई में एक पारिश्रमिक समिति का गठन होगा, जिसमें कम से कम तीन निदेशक होंगे, जिनमें से सभी अंशकालिक निदेशक होने चाहिए (अर्थात नामिती या स्वतंत्र निदेशक), और समिति के अध्यक्ष स्वतंत्र निदेशक होंगे।

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 178 और डीपीई सीजी दिशानिर्देश, 2010 के पैरा 5.1 के अनुसरण में 17 अक्तूबर 2016 को नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन किया है।

दिनांक 27 जनवरी 2020 को समिति की संरचना निम्नानुसार है:

श्री अशोक कुमार गोयल - अध्यक्ष के रूप में अंशकालिक निदेशक

श्री आर एस यादव - सदस्य के रूप में अंशकालिक निदेशक

श्री सुरजीत दत्ता - सदस्य के रूप में अंशकालिक निदेशक

सुश्री साक्षी मेहता, कंपनी सचिव, नामांकन और पारिश्रमिक समिति की सचिव हैं।

संदर्भ की शर्तें

नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनसीआर) :-

- उन व्यक्तियों की पहचान करें जो निदेशक बनने के लिए योग्य हैं और जिन्हें निर्धारित मानदंडों के अनुसार वरिष्ठ प्रबंधन में नियुक्त किया जा सकता है,
- बोर्ड को उनकी नियुक्ति और निष्कासन की सिफारिश करनी चाहिए,
- प्रत्येक निदेशक के निष्पादन का मूल्यांकन करना।
- एक निदेशक की योग्यता, सकारात्मक विशेषताओं और स्वतंत्रता का निर्धारण करने के लिए मापदंड तैयार करना, और

- निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मिकों और अन्य कर्मचारियों के लिए पारिश्रमिक से संबंधित बोर्ड को एक नीति की सिफारिश करना।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान एनसीआर की कोई बैठक नहीं हुई।

निगमित शासन दिशानिर्देशों के अनुपालन से एमसीए की रियायत अधिसूचना और डीपीई द्वारा प्रदान रियायत के अनुसारण में, दिनांक 5 फरवरी 2020 से बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति को भंग कर दिया गया है।

5. साधारण बैठकें

पिछले दो वित्तीय वर्ष यथा 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के दौरान आयोजित आम बैठक का ब्यौरा नीचे तालिकाबद्ध है।

तालिका-2: साधारण बैठकें

क्र.सं.	शेयरधारक बैठक का प्रकार	बैठक की तारीख	समय	स्थान	संव्यवहार हेतु	
					साधारण कार्य	विशेष कार्य
1	पहली असाधारण आम बैठक (ईजीएम)	16 जून, 2015	1300 बजे	कंपनी का पंजीकृत कार्यालय, दिल्ली	लागू नहीं	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(ग) के तहत प्रदत्त पूंजी और मुक्त आरक्षित निधि से अधिक कंपनी की उधारकर्ता शक्तियां
2	प्रथम वार्षिक आम बैठक (एजीएम)	27 सितंबर 2016	1200 बजे	कंपनी का पंजीकृत कार्यालय, दिल्ली	3	लागू नहीं
3	दूसरी वार्षिक आम बैठक (एजीएम)	25 सितंबर 2017	1100 बजे	कंपनी का पंजीकृत कार्यालय, दिल्ली	2	लागू नहीं
4	तीसरी वार्षिक आम बैठक (एजीएम)	25 सितंबर 2018	1230 बजे	कंपनी का पंजीकृत कार्यालय, दिल्ली	2	लागू नहीं
5	चौथी वार्षिक आम बैठक (एजीएम)	26 सितंबर 2019	1630 बजे	कंपनी का पंजीकृत कार्यालय, दिल्ली	2	वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लागत लेखापरीक्षक के पारिश्रमिक में आशोधन

6. प्रकटीकरण और सांविधिक शिकायतें: -

निदेशक के हित, संबंधित पक्ष संव्यवहार, सांविधिक रजिस्टरों के अनुरक्षण से संबंधित पर्याप्त प्रकटन समय-समय किया जाता है और निदेशक मंडल के समक्ष आवधिक रूप से इसे प्रस्तुत किया जाता है ताकि विशिष्ट प्रत्यायोजन की स्पष्ट नीति का अनुसरण करते हुए तथा व्यावसायिक मुद्दों की व्यवस्था हेतु नामित अधिकारियों को प्राधिकृत करके बोर्ड द्वारा उचित निर्णय लिए जा सकें। प्रकटीकरण, सूचनाओं, आवंटनों और नियुक्तियों के संबंध में एमसीए में रिपोटों को समयबद्ध आधार पर बिना किसी लंबन के प्रस्तुत किया जाता है।

7. सीईओ / सीएफओ प्रमाणन

मुख्य कार्यपालक अधिकारी और वित्त अधिकारी ने वित्तीय विवरणों की सत्यता और निष्पक्षता, उचित अनुपालन, और वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में लिखित रूप में प्रमाणित किया है जो निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया था (इस रिपोर्ट में **अनुबंध-घ-1** के रूप में प्रस्तुत)।

8. **कॉर्पोरेट प्रशासन दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए प्रमाण पत्र**

डीपीई दिशानिर्देश, 2010 प्रमाणपत्र निर्धारित करता है जिसे कंपनी द्वारा अनुसरण की जा रही निगमित शासन दिशानिर्देशों के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों से या पेशेवर कंपनी सचिव से प्राप्त यिका जाता है। (अध्याय 8: रिपोर्ट, अनुपालन और क्रियान्वयसन अनुसूची - खंड 8.2: अनुपालन)।

वित्तीय वर्ष 2019-29 के लिए उक्त प्रमाणपत्र पेशेवर कंपनी सचिव (पीसीएस), अरुण कुमार गुप्ता और एसोसिएट्स, कंपनी सचिव, कार्यालय 1005, रूट्स टॉवर, प्लॉट नंबर 7, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, लक्ष्मी नगर, दिल्ली - 110092 से प्राप्त किया गया है और **अनुबंध-घ-2** के रूप में संलग्न है।

इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड के
निदेशक मंडल के निमित्त तथा की ओर से

ह/-
एस.एल.गुप्ता
अध्यक्ष
डीआईएन: 07598920

दिनांक: **19.08.2020**
स्थान : **नई दिल्ली**

अनुबंध "-घ-I"

मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) एवं मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) का प्रमाणन

हमने अपनी सर्वोत्तम जानकारी व विश्वास के साथ वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए वित्तीय विवरणों सहित तुलन पत्र, लाभ हानि विवरण, रोकड़ प्रवाह विवरण की समीक्षा की है-:

(i) इन विवरणों में किसी प्रकार के सामग्रीगत असत्य विवरण या किसी तथ्यात्मक विवरण को हटाया नहीं गया है, या गुमराह करने वाले विवरण विद्यमान नहीं हैं।

(ii) ये विवरण समग्र रूप में कंपनी के कार्य का वास्तविक व सही स्थिति प्रस्तुत करते हैं तथा ये विवरण मौजूदा लेखांकन मानकों, लागू कानूनों तथा विनियमों के अनुपालन के अनुरूप हैं।

(iii) हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के आधार पर कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान कोई धोखाधड़ी, अवैध या कानूनों की आचार संहिता के उल्लंघन का कोई संव्यवहार नहीं किया गया है, जैसा कि कंपनी के निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा अनुसरण किए जाने की सहमति हुई है।

(iv) हम आतंरिक नियंत्रण स्थापित करने व बनाए रखने के लिए उत्तरदायित्व को स्वीकार करते हैं तथा हमने कंपनी में एक कुशल आंतरिक नियंत्रण प्रणाली तैयार की है। हमने आंतरिक नियंत्रणों और इनमें कमियों को दूर करने के लिए उठाए गए या प्रस्तावित कदमों के संबंध में लेखापरीक्षाओं तथा लेखापरीक्षा समिति को बताया है, जिनके बारे में हम जानते हैं।

(v) हमने वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में परिवर्तनों को लेखापरीक्षक तथा लेखापरीक्षा समिति को इंगित कर दिया है, और इन्हें वित्तीय विवरणों के नोटों में प्रकट कर दिया गया है, और

(vi) हमारी जानकारी में धोखाधड़ी का कोई मामला सामने नहीं आया है और ना ही कंपनी को आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रबंधन या कर्मचारी के बार में ऐसी कोई जानकारी प्राप्त हुई है।

ह/-	**ह/-**
श्री मसूद अहमद नजर	**श्री संजीव कुमार गुप्ता**
मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ)	**मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ)**

दिनांक: 24.06.2019

स्थान: नई दिल्ली

अनुबंध-"घ-2"

अरूण कुमार गुप्ता एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

1005, रूट्स टावर, प्लाट सं. - 7,
डिस्ट्रिक्ट सेंटर, लक्ष्मी नगर,
दिल्ली-110092
ई-मेल:csarungupta@gmail.com
दूरभाष: 011-45629812, मोबाइल: 9811835475

लोक उपक्रम विभाग (डीपीई) के निगमित शासन दिशानिर्देशों, 2010 के अंतर्गत निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन संबंधी प्रमाणपत्र

सेवा में,
सदस्य,
इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड,
सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत,
नई दिल्ली-110017

दिनांक 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन के संबंध में, कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 2(45) (कंपनी अधिनियम, 1956 के अनुच्छेद 2(18) तथा 617) के अंतर्गत एक सरकारी कंपनी होने के कारण इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड को सार्वजनिक उपक्रम विभाग द्वारा जारी निगमित शासन दिशानिर्देशों का अनुपालन करना अपेक्षित है।

हमने निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत उक्त कंपनी के कार्पोरेट शासन की रिपोर्ट का अध्ययन किया है। हमने कंपनी द्वारा अनुरक्षित और इस संबंध में हमारी समीक्षा हेतु हमें उपलब्ध कराए गए संगत रिकार्डों और अभिलेखों की भी जांच की है।
कार्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। हमारी जांच उन क्रिया विधियों और उनके क्रियान्वयन तक सीमित है जिन्हें कंपनी ने कार्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए अपनाया है। यह न तो लेखापरीक्षा है और न कंपनी के वित्तीय विवरणों पर हमारे मत की अभिव्यक्ति है।
हम स्पष्ट करते हैं कि वर्ष के दौरान कंपनी के विरूद्ध निवेशक संबंधी कोई शिकायत नहीं है, जैसाकि कंपनी द्वारा तैयार किए गए रिकार्डों से पता चलता है।

इसके अतिरिक्त, हम स्पष्ट करते हैं कि इस प्रकार का अनुपालन न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता के प्रति और न ही प्रबंधन द्वारा कंपनी के मामलों के संचालन के संबंध में दक्षता या प्रभावशीलता के प्रति आश्वासन है।

हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के आधार पर और हमारी समीक्षा तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हम यह प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी कॉरपोरेट गवर्नेस पर दिशानिर्देश के अनुसार सभी तथ्यात्मक संदर्भ में कॉर्पोरेट शासन की अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, केवल (i) डीपीई कॉरपोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देश, 2010 के प्रावधानों के तहत स्वतंत्र निदेशक के बिना इसके बोर्ड और लेखापरीक्षा समिति और नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के गठन हेतु स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं की गई। हालांकि, यह विदित है कि चूंकि कंपनी का गठन विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) के रूप में किया गया है, इसलिए एसे स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति, त्रैमासिक रिपोर्ट प्रस्तुत की और सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा दिनांक 11 जुलाई 2019 और 8 जुलाई 2014 को अपने कार्यालय ज्ञापन द्वारा जारी कॉरपोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों के अन्य अनुपालन से छूट प्राप्त है, जिसकी पुष्टि धारक कंपनी यथा इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड ने अपने दिनांक 28 जनवरी 2020 के ई-मेल केा माध्यम से की है। इसके परिणामस्वरूप कंपनी ने अपनी लेखापरीक्षा समिति और नामांकन व पारिश्रमिक समिति को दिनांक 05 फरवरी 2020 को निरस्त कर दिया है। आगे यह उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त विचार कंपनी द्वारा अनुरक्षित सहायक दस्तावेजों तथा पत्राचार फाइलों और सचिवीय व अन्य सांविधिक रिकार्डो सहित कंपनी द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर है।

कृते अरूण कुमार गुप्ता एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

ह/-
(अरूण कुमार गुप्ता)
एफसीएस- 5551
सीपी सं - 5086
यूडीआईएन: - एफ005551B000579817

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक : 14.08.2020

<u>अनुबंध-ड.</u>

सौरभ जैन एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

248/2, वीरेन्द्र नगर,
लेन नं. 6, जनकपुरी,
नई दिल्ली-110058
ई-मेल:csjain5253@gmail.com
दूरभाष: 91-9811250907

फार्म सं. एमआर-3
सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट
(31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु)

(कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 204(1) तथा कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम सं. 9 के अनुसरण में)

सेवामें,
सदस्य,
इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड,
सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत,
नई दिल्ली-110017

हमने लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और **इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड,** (जिसे यहां आगे ''कंपनी'' कहा जाएगा) द्वारा अच्छी निगमित पद्धतियों के अनुपालन की सचिवीय लेखापरीक्षा की है। सचिवीय लेखापरीक्षा इस प्रकार की गई थी, जिससे हमें निगमित आचरण/सांविधिक अनुपालनों के मूल्यांकन और इन पर अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए आधार मिला है। **इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड** की बहियों, अभिलेखों, कार्यवृत्त बहियों, फॉर्मों और दायर रिटर्नों तथा कंपनी द्वारा अनुरक्षित अन्य रिकार्डों और सचिवीय लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर, हम एतदद्वारा रिपोर्ट देते हैं कि हमारे मतानुसार, कंपनी ने 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष की लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, यहां सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और कि कंपनी में उचित बोर्ड प्रकियाएं भी हैं और उस स्तर तक तथा उस रुप में अनुपालन तंत्र विद्यमान है और यहां आगे उल्लिखित रिपोर्टिंग के मद्देनजर हैः

हमने निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च 2020 को समाप्त अवधि के लिए **इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड** द्वारा अनुरक्षित बहियों, अभिलेखों, कार्यवृत्त बहियों, फॉर्मों और दायर रिटर्नों तथा कंपनी द्वारा अनुरक्षित अन्य रिकार्डों की जांच की हैः

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) तथा इसके अंतर्गत निर्मित नियमः

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ("एससीआरए") और इसके तहत बनाए गए

नियम; **(कंपनी पर लागू नहीं है)**

(iii) डिपॉजिटरी अधिनिय, 1996 और इसके अंतर्गत निर्मित विनियम और उपनियम; **(कंपनी पर लागू नहीं है)**

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और इसके अंतर्गत निर्मित नियम और विनियम जो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, ओवरसीज प्रत्यक्ष निवेश और बाहरी वाणिज्यिक ऋणों की सीमा तक जारी किए गए हैं; **(उक्त अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं है)**

(v) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी अधिनियम) के तहत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं:

(क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों और अधिग्रहणों का पर्याप्त अधिग्रहण) विनियम, 2011; **(कंपनी पर लागू नहीं है)**

(ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 1992; **(कंपनी पर लागू नहीं है)**

(ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का मुद्दा) विनियम, 2009; **(कंपनी पर लागू नहीं है)**

(घ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना और कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना) दिशानिर्देश, 1999; **(कंपनी पर लागू नहीं है)**

(ड.) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2008; **(कंपनी पर लागू नहीं है)**

(च) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इश्यू और शेयर अंतरण एजेंटों के रजिस्ट्रार) विनियम 1993 जो कंपनी अधिनियम और कंपनी के साथ संव्यवहार से संबंधित है; **(कंपनी पर लागू नहीं है)**

(छ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों का वितरण) विनियम, 2009; **(कंपनी पर लागू नहीं है)**

(ज) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों का पुनर्खरीद) विनियम, 1998; **(कंपनी पर लागू नहीं है)।**

(vi) हम आगे यह भी उल्लेख करते हैं कि कंपनी में विद्यमान अनुपालन प्रणाली के संबंध में, कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों की जांच पर, कंपनी ने उसपर लागू निम्नलिखित कानूनों का अनुपालन किया है:

क. भवन एवं अन्य निर्माण कामगार (नियोजना के विनियम और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1996;

ख. भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996;

ग. पर्यावरण कानून, जो लागू हों;

घ. श्रम कानून, जो लागू हों।

हमने भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी किए गए सचिवीय मानक-। और सचिवीय मानक-॥ के अनुपालन की भी जांच की है, जो समीक्षधीन अवधि के लिए कंपनी पर लागू थे।

हम आगे उल्लेख करते हैं कि

कंपनी के निदेशक मंडल का गठन केवल गैर-कार्यपालक निदेशकों के साथ विधिवत रूप से किया जाता है। तथापि, लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में बदलाव अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे।

सभी निदेशकों को बोर्ड की बैठकों, कार्यसूची का निर्धारित करने के लिए पर्याप्त नोटिस दिया जाता है और कार्यसूची पर विस्तृत नोट सभी निदेशकों काफी पहले भेजे गए थे, और कार्यसूची पर आगे की जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रणाली मौजूद है। बोर्ड बैठक में सभी निर्णय सर्वसम्मति से किए गए थे, जैसा कि निदेशक मंडल द्वारा कहा गया था।

हमें दिए गए स्पष्टीकरण और प्रबंधन द्वारा किए गए अभ्यावेदनों और उस पर हमारे उत्तरों के अनुसार कंपनी के आकार और प्रचालन के अनुरूप कंपनी में लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त प्रणाली और प्रक्रियाएं उपस्थित हैं।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, जैसा कि प्रबंधन द्वारा स्पष्ट और प्रस्तुत किया गया है, उपरोक्त उल्लिखित कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के अनुसरण में कोई विशेष घटना/कार्य नहीं हुए हैं, जिन्होंने कंपनी के मामलों पर कोई व्यापक प्रभाव प्रस्तुत किया है।

कृते सौरभ जैन एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

ह/-
सौरभ जैन
प्रोप्राइटर
स.सं: ए45034
सीपी सं: 16489
यूडीआईएन: - ए045034बी00058741

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 17.08.2020

<u>सचिवीय लेखापरीक्षा का अनुबंध</u>

सेवामें,

सदस्य,

इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड,

सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत,

नई दिल्ली-110017.

हमारी समतिथिक रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढा जाएः

1. सचिवीय रिकार्डों का अनुरक्षण कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवीय रिकार्डों पर अपना मत अभिव्यक्ति करना है।
2. हमने लेखापरीक्षा पद्धतियों और प्रकियाओं का अनुसरण किया है जो सचिवीय रिकार्डों की विषयवस्तु की सत्यता के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थीं। हमारा मत है कि हमारे द्वारा अनुसरण की गई पद्धतियां और प्रकियाएं, हमारे मत के लिए युक्तिसंगत आधार प्रस्तुत करती हैं।
3. हमने कंपनी के वित्तीय रिकार्डों, लागत रिकार्डों और लेखा बहियों की सत्यता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।
4. जहां कहीं अपेक्षित हुआ, हमने कानूनों, नियमों, विनियमों और घटनाओं आदि के अनुपालन के संबंध में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।
5. निगमित तथा अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारी जांच परीक्षण आधार पर प्रकियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।
6. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता हेतु आश्वासन है और न ही प्रभावकारिता या प्रभावशीलता, जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।
7. चूंकि कोविड-19 के कारण सरकार द्वारा देश में लागू लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग मापदंड के कारण व्यवधान की वजह से, हम केवल प्रणाली में उपलब्ध रिकॉर्ड की जांच कर पाए हैं, और मूल / भौतिक रिकॉर्ड और सहायक दस्तावेजों को सत्यापित नहीं किया जा सका। प्रबंधन ने हमें मेल के माध्यम से विभिन्न दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियों को उपलब्ध कराया गया था, जिसे अब कंपनी द्वारा क्लाउड से हटा दी गई हैं।

कृते सौरभ जैन एंड एसोसिएट्स

ह/-

सौरभ जैन

प्रोप्राइटर

स.सं: ए45034

सीपी सं: 16489

यूडीआईएन: - ए045034बी00058741

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक: 17.08.2020

सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवामें,

सदस्य,
इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड,
सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ल-110017.
नई दिल्ली।

स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा रिपोर्ट

मत

हमने इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड ("कंपनी") के स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों सहित दिनांक 31 मार्च 2020 को तुलन पत्र तथा इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि के विवरण , रोकड़ प्रवाह विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य विवरणात्मक सूचना के एक सार की लेखापरीक्षा की है।

हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उपर्युक्त स्टेंडएलोन वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम ("अधिनियम") के अंतर्गत यथापेक्षित और 31 मार्च 2020 को कंपनी की कार्यप्रणाली की भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) के अनुरूप इस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी परिवर्तन और रोकड़ प्रवाह विवरण का सही और उचित रूप प्रस्तुत किया गया है।

मद का आधार

हमने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा की है। इन मानकों के अंतर्गत हमारे उत्तरदायित्ववों को आगे हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण खंड के लेखापरीक्षक के उत्तरदायितव में उल्लिखित है। हम कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों और इसके अंतर्गत नियमों के तहत वित्तीय विवरणों की हमारी लपेखापरीक्षा के प्रति संगत नैतिक अपेक्षाओं के साथि भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी नैतिक संहिता के अनुसार कंपनी स्वतंत्र हैं और हम हमने नैतिक संहिता और इन अपेक्षाओं के अनुसार अपने नैतिक उत्तरदायित्वों को पूरा किया है। हम विश्वास करते हैं कि हमें प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य हमारे मत हेतु आधार उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त हैं।

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरण और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट से इतर अन्य सूचना

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। अन्य जानकारी में प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण में शामिल जानकारी, बोर्ड की रिपोर्ट सहित अनुलग्नक से बोर्ड की रिपोर्ट, व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट, निगमित प्रशासन और शेयरधारक की जानकारी शामिल है, यदि लागू हो, लेकिन स्टैंडएलोन वित्तीय विवरण और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट इसमें शामिल नहीं हैं ।

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य जानकारी को शामिल नहीं करती है और हम आश्वासनों को निष्कर्ष के किसी भी रूप को व्यक्त नहीं करते हैं।

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारी को पढ़ना है और ऐसा करने पर, विचार करना है कि क्या अन्य जानकारी स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के साथ भौतिक रूप से असंगत है या हमारी लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त हमारा ज्ञान या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होता है।

यदि हमारे कार्य के आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि इस अन्य जानकारी की सामग्री गलत है तो हमें इस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। हमें इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल, इन वित्तीय विवरणों, जो जारी संगत नियमों के साथ पठित अधिनियम के अनुच्छेद 133 में विनिर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) सहित भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, लाभ और हानि (अन्य वृहत आय सहित वित्तीय निष्पादन), रोकड़ प्रवाह और इक्विटी परिवर्तन के संबंध में वास्तविक और उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं, को तैयार करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अनुच्छेद 134(5) में उल्लिखित विषयों के लिए उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में कंपनी की परिसंपत्तियों को सुरक्षा प्रदान करने तथा जालसाजी व अन्य अनियमितताओं के निवारण तथा उनका पता लगाने; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन तथा अनुप्रयोग; युक्तिसंगत तथा विवेकपूर्ण निर्णय तथा अनुमान लगाने; उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के अभिकल्प, क्रियान्वयन और अनुरक्षण, जो लेखांकन रिकार्डों की परिशुद्धता और सम्पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए कुशलतापूर्वक प्रचालन कर रहीं थीं और वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुतीकरण के लिए संगत हैं जो वास्तविक और उचित स्थिति प्रस्तुत करना है और किसी प्रकार के सामग्रीगत दुर्विवरण, चाहे जालसाजी के कारण हो या त्रुटि के कारण, के निवारण के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त लेखांकन रिकार्डों का अनुरक्षण भी शामिल है।

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, प्रबंधन गोइंग कंसर्न, प्रकटन, यथा अपेक्षित, गोइंग कंसर्न संबंधी मुद्दों और लेखांकन के गोंइंग कंसर्न के प्रयोग के साथ जारी रहने की कंपनी की क्षमता का आंकलन करने के लिए उत्तरदायी है, बशर्ते प्रबंधन या तो कंपनी को लिक्विडेट करना चाहती है या प्रचालन बंद करना चाहती है, या उसा करने के अतिरिक्त उसके पास को वास्तविक विकल्प है।
ये निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी के लिए भी उत्तरदायी हैं।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या वित्तीय विवरण समग्र रूप से सामग्रीगत तथ्यात्मक दुर्विवरण, चाहे जालसाजी के कारण हो या त्रुटि से मुक्त हैं। युक्तिसंगत आश्वासन उच्च स्तरीय आश्वासन है, किन्तु यह गारंटी नहीं है कि मानक लेखांकन नीति के अनुसार किया गया लेखपरीक्षा सदैव तथ्यात्मक दुर्विवरण को खोज लेता है, जब वह विद्यमान हो। जालसाजी या त्रुटि से उत्पन्न होने वाले दुर्विवरण को तब महत्वपूर्ण माना जाता है, यदि एकल रूप में या समग्र रूप में वे युक्तिसंगत स्तर पर इन वित्तीय विवरणों के आधार पर प्रयोक्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करते हों।

लेखांकन मानक के अनुसार लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और बिना लेखापरीक्षा के पेशेवर व्यवहार को बनाए रखते हैं। हम निम्नलिखित व्यवस्थाओं का भी अनुसरण करते हैं:

- वित्तीय विवरणों के तथ्यात्मक दुर्विवरण के जोखिमों की पहचान और आकलन करते हैं, कि क्या वे जालसाजी या त्रुटि या अभिकल्प के कारण है और लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं इन जोखिमों के प्रति प्रकियात्मक रूप से सक्रीय हैं, और लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारे मत के लिए आधार प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं। जालसाजी के परिणामस्वरूप तथ्यात्मक दुर्विवरण का पता न लगा पाने का जोखिम मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर किया गा चूक, पुनर्विनियोजन या आंतरिक नियंत्रण से बचने वाली जालसाजियों के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम से अधिक महत्वपूर्ण है।

- उन लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के निर्माण के उद्देश्य से लेखापरीक्षा के प्रति संगत आंतरिक नियंत्रण की समझ को प्राप्त करना, जो उक्त परिस्थितियों में उपयुक्त है। कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 143(3)(i) के अंतर्गत, हम अपने इस मत को भी अभिव्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं कि क्या कंपनी के पास उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियत्रण प्रणाली विद्यमान है और ऐसे नियंत्रणों के लिए कुशलतापूर्वक कार्य कर रही है।

- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना और प्रबंधन द्वारा किए गए प्रकटनों के संबंध में लेखांकन अनुमानों और प्रकटनों की युक्तिसंगतता का मूल्यांकन करना।

- लेखांकन के संबंधित आधार पर प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त उपयुक्तता और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों के आधार पर यह पता लगाना कि घटनाओं और परिस्थितियों के संबंध में तथ्यात्मक अनिश्चितता विद्यमान है, जो गोइंग कंसर्न के रूप में निरंतर कार्यरत रहने की कंपनी की क्षमता पर महत्वपूर्ण शंका उत्पन्न करती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि तत्यात्मक अनिश्चितता विद्यमान है तो हमें उन वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटनों को लेखापरीक्षा रिपोर्ट में ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है या, यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हैं तो हमारे मत को आशोधित करना। हमारा निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि को प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। तथापि, भावी घटनाएं और स्थितियां कंपनी के गोइंग कंसर्न के रूप में निरंतरता को बंद कर सकती है।

- प्रकटन सहित वित्तीय वक्तव्यों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन, और अवलोकन कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस तरह से दर्शाते हैं जो निष्पक्ष प्रस्तुति प्रस्तुत करते हैं।

भौतिकता स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों में दुर्विवरण की गंभीरता है, जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूपा से, यह संभव बनाता है कि वित्तीय विवरणों का यथोचित विवेकपूर्ण उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) हमारी लेखापरीक्षा कार्य के कार्यक्षेत्र की योजना बनाने और हमारे काम के परिणामों का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं; और (ii) वित्तीय विवरणों में किसी भी चिह्नित दुर्विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने हेतु।

हम अन्य मामलों में, लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय, तथा महत्वपूर्ण ऑडिट निष्कर्षों के साथ, आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों को शामिल करते हैं, जिसे हम अपने ऑडिट के दौरान पहचानते हैं।

हम अपने वक्तव्य के साथ शासन के उन आरोपों को भी प्रदान करते हैं जिनका हमने अनुपालन किया है यथा स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ, और उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के साथ संवाद करने के लिए जिन्हें हमारी स्वतंत्रता पर सहन करने के लिए उचित रूप से सोचा जा सकता है, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय।

अन्य मुद्दे

हम वितीय विवरणों के नोट संख्या 38 पर ध्यान आकर्षित करते हैं जो कोरोनावायरस (कोविड - 19) महामारी की स्थिति के प्रकोप के वित्तीय प्रभाव के संबंध में प्रबंधन के आकलन का वर्णन करता है, और आगामी अवधि में प्रभाव का एक निश्चित मूल्यांकन परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि वे किस प्रकार से विकसित होते हैं। इस संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 143 के उप अनुच्छेद (11) की शर्तों के अनुसार भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2016 ("आदेश") द्वारा यथापेक्षित, उक्त आदेश के पैरा 3 और 4 में विनिर्दिष्ट विषयों पर एक विवरण अनुग्नक-क के रूप में दे रहे हैं।

2. अधिनियम के अनुच्छेद 143(3) द्वारा यथापेक्षित हम उल्लेख करते हैं कि:

क) हमने वे सब सूचनाएं और स्पष्टीकरण मांगे व प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक हैं।

ख) हमारी राय में कंपनी ने विधि द्वारा अपेक्षित लेखा बही खातों का उचित रखरखाव किया है जैसा बही खातों की हमारी जांच से प्रतीत होता है।

ग) इस रिपोर्ट में वर्णित तुलनपत्र और अन्य वृहत आय सहित लाभ-हानि का विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण एवं रोकड़ प्रवाह विवरण तथा इक्विटी परिवर्तन विवरण, बही खातों से मेल खाते हैं।

घ) हमारी राय में उपर्युक्त स्टेंडएलोन वित्तीय विवरण, कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम-7 के साथ पठित, अधिनियम के अनुच्छेद 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।

ङ) दिनांक 31 मार्च, 2020 को निदेशकों से प्राप्त लिखित प्रतिनिधित्व के आधार पर, जिसे बोर्ड द्वारा रिकार्ड मे लिया गया है, अधिनियम की धारा 164 के संदर्भ में दिनांक 31 मार्च, 2020 तक निदेशक मंडल द्वारा किसी भी निदेशक को निदेशक पद हेतु अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

च) कंपनी में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली विद्यमान है और ऐसे नियंत्रण कुशलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं और इस संबंध में "**अनुबंध-ख**" में हमारी पृथक रिपोर्ट का संदर्भ लें। हमारी रिपोर्ट वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर एक असम्बद्ध राय व्यक्त करती है।

छ) अधिनियम की धारा 197(16), यथासंशोधित की आवश्यकताओं के अनुसार, लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल अन्य मामलों के संबंध में, दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना सं जीएसआर 463 (ई) के तहत यह प्रावधान सरकारी कंपनी होने के कारण लागू नहीं है ।

ज) कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) संशोधन नियम, 2017 द्वारा यथासंशोधित खंड- 143 (3) (जे) के अनुसार लेखापरीक्षक रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:

i. कंपनी का कोई मुकदमा लंबित नहीं है जो इसकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित कर रहा हो।

ii. कंपनी के पास व्युत्पन्न संविदाओं सहित कोई दीर्घकालिक संविदा नहीं था, जिसके लिए कोई भी सामग्री हानिकारक नहीं थी।

iii. ऐसी कोई राशियां नहीं थीं जिन्हें कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षा निधि में हस्तांतरित किए जाने की आवश्यकता हो।

जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) और भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा जारी दिशानिर्देशों और उप दिशानिर्देशों के अनुसार यथापेक्षित, हम इस रिपोर्ट के साथ संलग्न अनुबंध ग के तहत अनुपालन सुनिश्चित का उल्लेख करते हैं।

दिनांक: 24.06.2020
स्थान: **दिल्ली**

कृते अजय के. जैन
(सनदी लेखाकार)
पंजीकरण सं. : 007118एन

ह/-
सीए अजय कुमार जैन
साझेदार, **एफसीए**,
सदस्यता सं. **085994**
यूडीआईन : 20085994एएएएसीएच1291

दिनांक 31 मार्च 2020 को समाप्त अवधि के लिए कंपनी (लेखापरीक्षा रिपोर्ट), 2016 (सीएआरओ 2016) के अंतर्गत रिपोर्ट

(1) स्थिर परिसंपत्त्यिों के संबंध में

(क) कम्पनी ने पूर्ण विवरण दर्शाते हुए अभिलेखों का उचित रखरखाव किया है जिनसे उसकी नियत परिसंपत्तियों का मात्रात्मक विवरणों और उसकी स्थिति का पता चलता है।

(ख) वर्ष के अंत में प्रबंधन द्वारा स्थिर परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया जाता है। ऐसे सत्यापनों पर किसी प्रकार की विसंगति को नोट नहीं किया गया था।

(ग) कंपनी के पास कोई अचल संपत्ति नहीं है इसलिए यह खंड कंपनी पर लागू नहीं है।

(2) दरसूचितयों के संबंध में

वर्ष के अंत में कंपनी के पास कोई इन्वेंजरी नहीं है। तदनुसार, कंपनी (लेखापीक्षा रिपोर्ट) आदेशक, 2016 के खंड 3 (ii) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है।

(3) कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 189 के अंतर्गत अनुपालन

हमें दी गई सूचना के अनुसार, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 189 के अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्टर में कंपनियों, फर्मों या अन्य पक्षों को रक्षित या अरक्षित कोई ऋण प्रदान नहीं किए हैं।

(क) लागू नहीं

(ख) लागू नहीं

(ग) लागू नहीं

(4) कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 185 और 186 के अंतर्गत अनुपालन

हमें दी गई सूचना के अनुसार, कंपनी ने दौरान कंपनी अधिनिय, 2013 के खंड 185 तथा 186 के अंतर्गत किसी ऋण, निवेश, गारंटी या प्रतिभूति में संव्यवहार नहीं किया है।

(5) जमाराशियां प्राप्त करते समय कंपनी अधिनिमय 2013 के खंड 73 से 76 और तथा इसके अंतर्गत निर्मित नियमों का अनुपालन

हमें दी गई सूचना के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान काई जमाराशि स्वीकार नहीं की है।

(6) लागत रिकार्डों का अनुरक्षण

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 148 के उपखंड (1) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा लागत रिकार्डों के अनुरक्षण की सामग्री, श्रम तथा अन्य मदों से संबंधित लेखाबहियों की व्यापक समीक्षा की है और हमरा मत है कि प्रथम दृष्टिया, निर्धरित लेखों और रिकार्डों का अनुरक्षण किया गया है।

(7) सांविधिक देय जमा राशियां

(क) कम्पनी सामान्यत: उपयुक्त प्राधिकारियों के पास भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर बिक्री कर, सेवा कर, जीएसटी, उपकर और तथा अन्य सांविधिक कर सहित लागू निर्विवाद सांविधिक दये राशियां और अन्य महत्वपूर्ण सांविधिक दये राशियाँ नियमित रूप से जमा कराती हैं।

(ख) कंपनी के रिकार्डों के अनुसार भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर बिक्री कर, सेवा कर, जीएसटी तथा उपकर के संबंध में ऐसी कोई देय राशि नहीं है किसे किस विवाद के कारण जमा न कराया गया हो।

(8) ऋणों और कर्जों का पुनर्भुगतान

प्रदान की गई सूचना के अनुसार कंपनी ने इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) को किसी ऋण या कर्ज के पुनर्भुगतान में कोई चूक नहीं की है। तथापि, कंपनी ने किसी वित्तीय संस्थान, बैंक सरकार से ऋण या कर्ज या डिबेंचरधारक नहीं लिए हैं।

(9) पब्लिक ऑफर तथा साविधि ऋणों से प्राप्त राशि का उपयोग, जिसके लिए उन्हें प्राप्त किया गया है

कंपनी ने आरंभिक पब्लिक ऑफर या भावी पब्लिक ऑफर (ऋण माध्यमों सहित) और सावधिक ऋणों के माध्यम से कोई धन प्राप्त नहीं किया है। इसलिए यह खंड लागू नहीं है।

(10) वर्ष के दौरान जालसाजी की रिपोर्टिंग

हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया के आधार पर और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान जालसाजी का कोई मामला नहीं हुआ है।

(11) प्रबंधन का पारिश्रमिक

दिनांक 05 जून 2015 के सरकारी अधिसूचना सं. जीएसआर 463 (ई) के दृष्टिगत, सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम 2013 के खंड-197 के अनुप्रयोग से छूट प्राप्त है। तदनुसार आदेश का खंड 3(xi) कंपनी पर लागू नही है।

(12) निवल स्वामित्व निधि व जमाराशि के अनुपात के संबंध में निधि कंपनी द्वारा अनुपालन

हमें दी गई सूचना और हमारे पास उपलब्ध रिकार्डों के अनुसार कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है।

(13) कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 177 तथा 188 के संबंध में संबंधित पक्ष अनुपालन

हमारे मतानुसार और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, संबंधित पक्षों के साथ संव्यवहार कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 177 तथा 188 के अनुपालन में है, जहां कही लागू हो और इस प्रकार के संव्यवहारों का ब्यौरा वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है जैसा कि लागू लेखांकन मानकों के अनुसार अपेक्षित है।

(14) शेयरों और डिबेंचरों के निजी प्लेसमेंट के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 43 के अंतर्गत अनुपालन

हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों या पूर्ण या आंशित परिवर्तनीय डिबैंचरों का कोई वरियता आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है। तदनुसार आदेशक का खंड 3(xiv) कंपनी पर लागू नहीं है।

(15) कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 192 के अंतर्गत अनुपालन

कंपनी ने निदेशकों या उनसे संबंधित व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद संव्यवहार नहीं किया है, अत: यह खंड लागू नहीं है।

(16) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुच्छेद 45-1ए के अंतर्गत पंजीकृत अपेक्षा

कंपन को रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुच्छेद 45-1ए के अंतर्गत पंजीकृत कराए जाने की आवश्यकता नहीं है।

दिनांक: 24.06.2020
स्थान: **दिल्ली**

कृते अजय के. जैन
(सनदी लेखाकार)
पंजीकरण सं. : 007118एन

ह/-
सीए अजय कुमार जैन
साझेदार, **एफसीए**,
सदस्यता सं. **085994**
यूडीआईन : 20085994एएएएसीएच1291

<u>लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अनुबंध-ख</u>

(यह हमारी समतिथिक रिपोर्ट की अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट के पैरा 2(एफ) में संदर्भत अनुबंध है)

कंपनी अधिनियम 2013 ("अधिनियम") के खंड-143 के उपखंड-3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने इस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए **मैसर्स इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड** के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के समायोजन में 31 मार्च 20209 को इरकॉन शिवपुरी गूना टोलवे लिमिटेड की वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का प्रबंधन, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (''आईसीएआई'') द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा संबंधी दिशानिर्देश के नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मापदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना तथा अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में शामिल हैं - कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत यथा अपेक्षित कंपनी के नियमों के अनुपालन, इसकी परिसंपत्त्यिों की सुरक्षा, जालसाजी और चूकों का निवारण और संसूचन, लेखांकन रिकार्डों की सटीकता व संपूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय सूचना को समय पर तैयार करने के साथ, अपने व्यवसाय के सुव्यवस्थित तथा कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कुशल रुप से प्रचालित हो रही आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अश्किल्प, क्रियान्वयन का अनुरक्षण शामिल हैं।

लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधर पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अपना मत अश्व्यिक्त करना है। हमने आईसीएआई द्वारा जारी, लेखांकन पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश नोट (''दिशानिर्देश नोट'') के अनुसार लेखापरीक्षा की है और इसे भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के स्तर तक कंपनी अधिनियम 2013 के खंड 143 (10) के अंतर्गत निर्धारित किया गया है। इन मानक तथा दिशानिर्देश नोट में अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं के साथ अनुपालन करें और इस प्रकार युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित औ अनुरक्षित किया गया है और क्या ऐसे नियंत्रण सभी सामग्रीगत पहलुओं में कुशलतापूर्वक प्रचालन कर रहे हैं।

हमारी लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और उनके प्रचालन की कुशलता के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की निष्पादन प्रक्रिश्याएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखापरीक्षा में शामिल हैं - वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, इस जोखिम का आंकलन करना कि सामग्रीगत कमजोरी मोजूद है, तथा आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के अश्किल्प और प्रचालन कुशलता का परीक्षण और मूल्यांकन। चयनित प्रक्रियाएं वित्तीय विवरणों के सामग्रीगत दुर्विवरण, चाहै जालसाजी हो या त्रुटि, के जोखिम के आंकलन सहित लेखापरीक्षा के विवेक पर निर्भर करता है।
हम विश्वास करते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारे लेखापरीक्षा मत के लिए पर्याप्त और उपयुक्त आधार उपलब्ध कराता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्य रुप से स्वीकृत वित्तीय सिद्धांतों के अनुसार बाहरी प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराने के लिए अश्किल्पित प्रकिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं

(1) उन रिकार्डों के अनुरक्षण से संबंधित हैं, जो युक्तिसंगत ब्यौरे में, कंपनी की परिसंपत्तियों के संव्यवहारों और निपटान का सटीक और उचित रुप से प्रदर्शित करता हैं।

(2) युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराते हैं कि सामान्य रुप से स्वीकृत लेखांकन नीति के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए यथा आवश्यक रुप से संव्यवहारों को रिकार्ड किया गया है और कि कंपनी की पावतियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार ही किए गए हैं।

(3) कंपनी की परिसंपत्ति के अप्राधिकृत अधिग्रहण, प्रयोग, निपटान के निवारण और समय पर संसूचन के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराना, जो वित्तीय विवरणों को वास्तविक रुप से प्रशवित कर सकते हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमितताएं

चूंकि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमितताओं में नियंत्रणों के टकराव या अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावनाएं शामिल हैं, इसलिए, चूक और जालसाजी के कारण सामग्रीगत दुर्विवरण हो सकता है और उसका पता नहीं लग पाएगा। इसके अतिरक्ति, शवी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन का अनुमान इस जोखिम के मद्देनजर होगा कि आंतरिक रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में परिवर्तन के कारण अनुपयुक्त हो सकता है, या कि नीतियों और प्रतिक्रिया के अनुपालन का स्तर खराब हो सकता है।

मत

हमारी राय में, कंपनी को 31 मार्च, 2020 तक वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के प्रभावी प्रचालन को सुदृढ करने की आवश्यकता है, विशेषत् विशिष्ट मुद्दों के संबंध में जो प्रकट करते हैं कि वित्तीय नियंत्रणों का क्रियान्वयन सही रूप में नहीं है। हमने निम्नलिखित कमजोरी पर जोर दिया गया है:

I. एनएचएआई के साथ रियायत समझौते के अनुच्छेद 32 के अनुसार - "रियायतग्राही को निर्माण अवधि और प्रचाललन अवधि के दौरान अपनी स्वयं की लागत में उक्त अधिकतम राशि के लिए ऐसे बीमों को प्रभावी बनाना व अनुरक्षित करना है, जैसा कि वित्तीय करारों और लागू कानूनों के अनुसार अपेक्षित और और ऐसे बीमे अच्छी औद्योगिक पद्धतियों के अनुसार आवश्यक और विवेकपूर्ण हों....... "

-उपरोक्त करार के अनुसार, इरकॉन एसजीटीएल को केवल निर्माण अवधि के दौरान ही नहीं, बल्कि प्रचालन अवधि के दौरान भी परियोजना का बीमा करना होगा। यह परियोजना अगस्त 2018 से दिसंबर 2019 के दौरान (अर्थात लगभग 1100 महीने) तक अप्रभावित रही और आगे इसके कारण इसे भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। भविष्य में इस प्रकार ऐसी चूकों की आवृत्ति से बचने के लिए नीतियों और बीमा के बारे में आंतरिक नियंत्रण को मजबूत करने की आवश्यकता है।

II. समय-समय पर खाता बिहयों के साथ जीएसटीआर2ए के रूप में जीएसटी आईटीसी के सामंजस्य की एक उपयुक्त प्रणाली के अनुरक्षण की दृढ़ता से सिफारिश की जाती है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इरकॉन एसजीटीएल द्वारा भुगतान किए गए सभी जीएसटी आपूर्तिकर्ताओं/सेवाप्रदाताओं द्वारासरकार में विधिवत जमा किए जा रहे हैं।

दिनांक: 24.06.2020

स्थान: **दिल्ली**

कृते अजय के. जैन
(सनदी लेखाकार)
पंजीकरण सं. : 007118एन
ह/-
सीए अजय कुमार जैन
साझेदार, **एफसीए**,
सदस्यता सं. **085994**
यूडीआईन : 20085994एएएएसीएच1291

अनुबंध-ग

अनुपालन प्रमाणपत्र

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 143 (5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निदेशों/उप-निदेशों के अनुसार, दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड के वार्षिक खातों की लेखापरीक्षा की है और प्रमाणित करते हैं कि हमें अनुबंध-। में जारी सभी निदेशों/उप-निदेशों का अनुपालन किया गया है।

दिनांक: 24.06.2020
स्थान: **दिल्ली**

कृते अजय के. जैन
(सनदी लेखाकार)
पंजीकरण सं. : 007118एन

ह/-
सीए अजय कुमार जैन
साझेदार, **एफसीए**,
सदस्यता सं. **085994**
यूडीआईन : 20085994एएएएसीएच1291

<u>अनुबंध -1</u>

<u>कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी किए गए वर्ष2019-20 तक क्षेत्रों की जांच हेतु निदेश</u>

I. क्या आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए कंपनी के पास व्यवस्था है? यदि हाँ, तो वित्तीय निहितार्थ, यदि कोई हो, के साथ-साथ खातों की अखंडता पर आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के निहितार्थ बताए जा सकते हैं।

- जैसा कि हमें सूचित किया गया है और हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर, कंपनी के पास टैली सॉफ्टवेयर प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए इन-हाउस प्रणाली विद्यमान है।

II. क्या ऋणों के पुनर्भुगतान के संबंध में कंपनी की अक्षमता के कारण कंपनी के लेनदारों द्वारा मौजूदा ऋण या ऋणों/कर्ज/ब्याज आदि में छूट/बट्टा खाता की कीई पुनर्संरचना की गई है? यदि हाँ, तो इसके वित्तीय प्रभाव को प्रकट करें।

- नहीं

III. क्या केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त धनराशि / प्राप्य को इसकी अवधि और शर्तों के अनुसार ठीक से उपयोग किया गया है? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।

- लागू नहीं

दिनांक: 24.06.2020
स्थान: दिल्ली

कृते अजय के. जैन
(सनदी लेखाकार)
पंजीकरण सं. : 007118एन

ह/-
सीए अजय कुमार जैन
साझेदार, एफसीए,
सदस्यता सं. 085994
यूडीआईन : 20085994एएएएसीएच1291

वित्तीय विवरण

(वित्तीय वर्ष 2019-2020

इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड
सीआईएन सीआईएन : U45400DL2015GOI280017
31 मार्च 2020 को तुलन पत्र

(रूपए करोड में)

	विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2020 को		31 मार्च 2019 को	
I.	**परिसंपत्तियां**					
1	**गैर चालू परिसिंपत्यिां**					
	(क) परिसंपत्ति , संयंत्र और उपकरण	3	0.06		0.07	
	(ख) अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां	4	650.88		692.41	
	(ग) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	4	-		-	
	(घ) वित्तीय परिसंपत्तियां					
	(i) अन्य	5	0.15		0.11	
	(ङ.) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	6	-		0.07	
	कुल गैर-चालू परिसंपत्तिया			651.09		692.66
2	**चालू परिसंपत्तियां**					
	(क) वित्तीय परिसंपत्तियां	7				
	(i) व्यापार प्राप्य	7.1	0.14		0.70	
	(ii) रोकड एवं रोकड समतुल्य	7.2	3.32		9.61	
	(iii) ऋण	7.3	-		-	
	(iv) अन्य	7.4	0.42		0.03	
	(ख) चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)	8	0.75		1.91	
	(ग) अन्य चालू परिसंपत्तियां	9	0.34		0.43	
	कुल चालू परिसंपत्तियां			4.97		12.68
	कुल परिसंपत्तियां			**656.06**		**705.34**
II.	**इक्विटी और देयताएं**					
1	**इक्विटी**					
	(क) इक्विटी शेयर पूंजी	10	150.00		150.00	
	(ख) अन्य इक्विटी	11	(62.19)		(31.36)	
	कुल इक्विटी			87.81		118.64
2	**देयताएं**					
(i)	**गैर चालू देयताएं**					
	(क) वित्तीय देयताएं	12				
	(i) कर्ज	12.1	540.87		516.66	
	(ii) व्यापार प्राप्य	12.2	-		-	
	- सूक्षम एवं लघु उपक्रमों को देय					
	- सूक्ष्म एवं लघु उपक्रमों से इतर को कुल बकाया देय					
	(iii) अन्य वित्तीय देयताए		-		-	
	(ख) प्रावधान		-		-	
	(ग) आस्थगित कर देयता निवल	6	-		-	
	(घ) अन्य गैर चालू देयताएं		-		-	
	कुल गैर चालू देयताएं			540.87		516.66
(ii)	**चालू देयताएं**					
	(क) वित्तीय देयताएं	13				
	(i) कर्ज	13.1	23.28		44.93	
	(i) व्यापार प्राप्य	13.2				
	- सूक्षम एवं लघु उपक्रमों को देय		-		-	
	- सूक्ष्म एवं लघु उपक्रमों से इतर को कल बकाया देय		1.08		20.83	
	(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	14	2.35		2.44	
	(ख) अन्य चालू देयताएं	15	0.67		1.83	
	(ग) प्रावधान		-		-	
	(घ) चालू कर देयताएं (निवल)		-		-	
	कुल चालू देयताएं			27.38		70.03
	कुल इक्विटी एवं देयताएं			**656.06**		**705.34**
III.	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	1 - 2				
IV.	वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में नोट	22-38				

हमारी इसी तारीखा की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड के निमित्त और उनकी ओर से

कृते अजय के. जैन एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएल- 007118एन

ह/-	**ह/-**	**ह/-**	**ह/-**
(सीए अजय के. जैन)	**(श्याम लाल गुप्ता**	**(सुरजीत दत्ता)**	**(राजेन्द्र सिंह यादव)**
साझेदार	**अध्यक्ष**	**निदेशक**	**निदेशक**
सं.सं: 085994	**डीआईएन: 07598920**	**डीआईएन: 06687023**	**डीआईएन: 07752915**
	ह/-	**ह/-**	**ह/-**
स्थान : नई दिल्ली	**(मसूद अहमद नजर)**	**(संजीव कुमार गुप्ता)**	**(साक्षी मेहता)**
दिनांक: 24.06.2020	**मुख्य कार्यपालक अधिकारी**	**मुख्य वित्त अधिकारी**	**कंपनी सचिव**

यूडीआईएन: 20085994एएएएसीएच1291

इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड
सीआईएन : U45400DL2015GOI280017
31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि विवरण

(रूपए करोड में)

	विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु
I.	**राजस्व :**			
	प्रचालनों से राजस्व	16	94.44	149.75
II.	अन्य आय	17	0.44	0.43
III.	**कुल आय (I + II)**		94.88	150.18
IV.	**व्यय:**			
	परियोजना व्यय	18	29.58	101.60
	कर्मचारी लाभ व्यय	19	1.60	1.16
	वित्तीय लागते	20	52.84	43.49
	मूल्यह्रास, परिशोधन एवं हानि	21	41.55	34.40
	अन्य व्यय	18	0.04	0.06
	कुल व्यय (IV)		125.61	180.71
V.	आपवादिम मदों तथा कर पूर्व हानि (III - IV)		(30.73)	(30.53)
VII.	करपूर्व लाभ (V - VI)		**(30.73)**	**(30.53)**
VIII.	कर व्ययः			
	(1) चालू कर	6		
	- वर्ष हेतु		-	-
	- पूर्ववर्ती वर्षों हेतु (निवल)		0.03	-
	(2) आस्थगति कर (निवल)		0.07	0.10
	कुल कर व्यय		0.10	0.10
IX	**निरंतर प्रचालनों से अवधि हेतु हानि (VII - VIII)**		**(30.83)**	**(30.63)**
X	**अन्य वृहत आय**			
	क. (i) मदें जिन्हें लाभ और हानि में वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		-	-
	(ii) आयकर संबंधी मदें जिन्हें लाभ और हानि में पुनःवर्गीकृत नहीं किया जाएगा		-	-
	ख. (i) मदें जिन्हें लाभ और हानि में वर्गीकृत किया जाएगा		-	-
	(ii) आयकर संबंधी मदें जिन्हें लाभ और हानि में पुनःवर्गीकृत किया जाएगा		-	-
			-	**-**
XI	**अवधि के लिए कुल वृहत आय (IXI +X) (जिसमें अवधि हेतु लाभ और अन्य वृहत आय शामिल हैं, कर का निवल)**		**(30.83)**	**(30.63)**
XII	प्रति शेयर प्रति आमदनी			
	(निरंतर प्रचालनों हेतु)			
	(1) मूल (रूपए में निरपेक्ष मूल्य)	30	(2.06)	(2.04)
	(2) विलयित (रूपए में निरपेक्ष मूल्य)		(2.06)	(2.04)
	प्रति इक्विटी शेयर फेस मूल्य		10.00	10.00

हमारी इसी तारीखा की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड के निमित्त और उनकी ओर से

कृते अजय के. जैन एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएल- 007118एन

ह/-	**ह/-**	**ह/-**	**ह/-**
(सीए अजय के. जैन)	**(श्याम लाल गुप्ता**	**(सुरजीत दत्ता)**	**(राजेन्द्र सिंह यादव)**
साझेदार	**अध्यक्ष**	**निदेशक**	**निदेशक**
सं.सं: 085994	**डीआईएन: 07598920**	**डीआईएन: 06687023**	**डीआईएन: 07752915**
	ह/-	**ह/-**	**ह/-**
स्थान : नई दिल्ली	**(मसूद अहमद नजर)**	**(संजीव कुमार गुप्ता)**	**(साक्षी मेहता)**
दिनांक: 24.06.2020	**मुख्य कार्यपालक अधिकारी**	**मुख्य वित्त अधिकारी**	**कंपनी सचिव**

यूडीआईएन: 20085994एएएएसीएच1291

इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड
सीआईएन : U45400DL2015GOI280017
31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेत रोकड प्रवाह विवरण

(रूपए करोड में)

विवरण		31 मार्च 2020 को		31 मार्च 2019 को	
प्रचालन गतिविधियों से रोकड प्रवाह					
कराधान पश्चात निवल लाभ		(30.73)		(30.53)	
समायोजन					
विदेशी प्रचालनों के अंतगरण पर विनिमय अंतर		-		-	
निर्धारित लाभ योजना के पुनर्मापन पर वास्तविकला/(हानि)		-		-	
मूल्यहास, परिशोधन एंव हानि		41.55		34.39	
निवेश पर प्रीमियम का परिशोधन		-		-	
निवेश की हानि		-		-	
वित्तीय लागत		52.81		43.46	
परिसंपत्तियों की बिक्री से लाभ(निवल)		-		-	
निवेशों की बिक्री पर लाभ		-		-	
ब्याज आय		(0.43)		(0.30)	
लाभांश आय		-		-	
विदेशी मुद्रा रोकड़ और रोकड़ समतुल्य में रूपांतरण पर विनिमय अंतर का प्रभाव		-		-	
चालू/गैर चालू परिसंपत्तियों और देयताओं से पूर्व प्रचालनिक लाभ+C31	**(1)**		**63.20**		**47.02**
समायोजन					
व्यापार प्राप्त/वित्तीय परिसंपत्तियों - ऋण में कमी / (वृद्धि		0.55		17.01	
दरसूची में कमी / (वृद्धि		-		-	
अन्य परिसंपत्तियों एवं वित्तीय परिसंपत्तियों में कमी / (वृद्धि		(0.36)		(0.02)	
व्यापार प्राप्य में कमी / (वृद्धि		(19.74)		(4.10)	
अन्य देयताओं, वित्तीय देयताओं व प्रावधानों में (कमी) /(वृद्धि		(0.86)		1.38	
	(2)		**(20.41)**		**14.27**
प्रचालनों से सृजित रोकड	**(1+2)**		**42.79**		**61.29**
प्रदत्त आयकर (निवल)			0.72		-
प्रचालन गतिविधियों से निवल रोकड	**(क)**		**43.51**		**61.29**
निवेश गतिविधियों से निवल रोकड					
सीडब्ल्यूआईपी सहित परिसंपत्ति , संयंत्र और उपकरण			(0.01)		(0.08)
अमूर्त परिसंपत्तियों / विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों की खरीद			-		(44.25)
निवेश परिसंपत्तियों की खरीद/ बिक्री			-		-
परिसंपत्ति , संयंत्र और उपकरण व अमूर्त परिसंपत्तियों की बिक्री			-		-
प्राप्त ब्याज			0.46		0.26
प्राप्त लाभांश			-		-
इक्विटी शेयर में निवेश			-		-
बैंक जमा खातों में (निवेश)/परिपक्वता (तीन महीनों से अधिक की परिपक्वता वाले)			-		-
निवेश गतिविधियों से निवल रोकड	**(ख)**		**0.45**		**(44.07)**
वित्तीय गतिविधियों से रोकड प्रवाह					
इरकॉन से ऋण (धारक कंपनी)			18.00		35.77
इरकॉन को ऋण का पूनर्भुगतान (धारक कंपनी			(15.44)		
प्रदत्त अंतिम लाभांश (लाभांश संवितरण कर सहित)			-		-
प्रदत्त अंतरिम लाभांश (लाभांश संवितरण कर सहित)			-		-
प्राधिकृत पूंजी में वृद्धिहेतु शुल्क का भुगतान			-		-
ऋण लागत			(52.81)		(43.46)
शेयरों के बायबैक हेतु डीआईपीएएम को भुगतान			-		-
वित्तीय गतिविधियों से निवल रोकड	**(ग)**		**(50.25)**		**(7.69)**
विदेशी मुद्रा रोकड़ और रोकड़ समतुल्य में रूपांतरण पर विनिमय अंतर का प्रभाव	**(घ)**		**-**		**-**
रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य से निवल कम	**(क+ख+ग+घ)**		**(6.29)**		**9.53**
रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य (आरंभिक)	**(ड.)**		**9.61**		**0.08**
रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य (अंतिम)*	**(च)**		**3.32**		**9.61**
रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य से निवल वृद्धि(कम)	**(च - ड.)**		**(6.29)**		**9.53**

नोट : 1. उपर्युक्त रोकड प्रवाह विवरण को रोकड प्रवाह विवरण पर भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत तैयार किया गया है।

2. प्रकाष्ठ में आंकडे रोकड के बाहरी प्रवाह को दर्शाते हैं।
3. जहां आवश्यक हआ पिछले वर्ष के आंकडों को पनसमहित/पनःनिर्धारित किया गया है।

हमारी इसी तारीखा की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते अजय के. जैन एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएल- 007118एन
ह/-
(सीए अजय के. जैन)
साझेदार
सं.सं: 085994

इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड के निमित्त और उनकी ओर से

ह/-	**ह/-**	**ह/-**
(श्याम लाल गुप्ता	**(सुरजीत दत्ता)**	**(राजेन्द्र सिंह यादव)**
अध्यक्ष	**निदेशक**	**निदेशक**
डीआईएन: 07598920	**डीआईएन: 06687023**	**डीआईएन: 07752915**
ह/-	**ह/-**	**ह/-**
(मसूद अहमद नजर)	**(संजीव कुमार गुप्ता)**	**(साक्षी मेहता)**
मुख्य कार्यपालक अधिकारी	**मुख्य वित्त अधिकारी**	**कंपनी सचिव**

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 24.06.2020
यूडीआईएन: 20085994एएएसीएच1291

इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड
सीआईएन : U45400DL2015GOI280017
31 मार्च 2020 को इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु **(रूपए करोड़ में)**

विवरण	राशि
1 अप्रैल 2018 को शेष	**150.00**
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पंजी में परिवर्तन	-
31 मार्च, 2019 को शेष	**150.00**
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पंजी में परिवर्तन	-
31 मार्च, 2020 को शेष	**150.00**

ख. अन्य इक्विटी

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु **(रूपए करोड़ में)**

विवरण	आरक्षित निधि व अतिरेक			अन्य वृहत आय की मदें	कुल
	सामान्य आरक्षित निध	प्रतिधारित आमदनी	पूंजी रिडैम्पशन आरक्षित निधि	विदेशी प्रचालन के वित्तीय विवरण के अंतरण पर विनिमय अंतर	
1 अप्रैल 2018 को शेष	**-**	**(0.73)**	**-**	**-**	**(0.73)**
लेखांकन नीति एंव पूर्व अवधि त्रुटियों में परिवर्तन	-	-	-	-	**-**
1 अप्रैल 2018 को शेष (पुन निर्धारित)	**-**	**(0.73)**	**-**	**-**	**(0.73)**
वर्ष हेतु लाभ	-	(30.63)	-	-	(30.63)
अन्य वृहत आय					-
निर्धारित लाभ योजना का पुनर्मापन	-	-	-	-	-
विदेशी विनिमय अंतरण अंतर	-	-	-	-	-
वर्ष हेतु कुल वृहत आय	**-**	**(30.63)**	**-**	**-**	**(30.63)**
प्रदत्त लाभांश	-	-	-	-	**-**
लाभांश संवितरण कर	-	-	-	-	**-**
31 मार्च 2019 को शेष	**-**	**(31.36)**	**-**	**-**	**(31.36)**

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु **(रूपए करोड़ में)**

विवरण	आरक्षित निधि व अतिरेक			अन्य वृहत आय की मदें	कुल
	सामान्य आरक्षित निध	प्रतिधारित आमदनी	पूंजी रिडैम्पशन आरक्षित निधि	विदेशी प्रचालन के वित्तीय विवरण के अंतरण पर विनिमय अंतर	
1 अप्रैल 2019 को शेष	**-**	**(31.36)**	**-**	**-**	**(31.36)**
लेखांकन नीति एंव पूर्व अवधि त्रुटियों में परिवर्तन+A43	-	-	-	-	**-**
1 अप्रैल 2019 को शेष (पुन निर्धारित)	**-**	**(31.36)**	**-**	**-**	**(31.36)**
वर्ष हेतु लाभ	-	(30.83)	-	-	(30.83)
अन्य वृहत आय					-
निर्धारित लाभ योजना का पुनर्मापन	-	-	-	-	-
विदेशी विनिमय अंतरण अंतर	-		-	-	-
वर्ष हेतु कुल वृहत आय	**-**	**(30.83)**	**-**	**-**	**(30.83)**
प्रदत्त लाभांश	-	-	-	-	**-**
लाभांश संवितरण कर	-	-	-	-	**-**
31 मार्च 2020 को शेष	**-**	**(62.19)**	**-**	**-**	**(62.19)**

हमारी इसी तारीखा की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड के निमित्त और उनकी ओर से

कृते अजय के. जैन एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएल- 007118एन

ह/-	**ह/-**	**ह/-**	**ह/-**
(सीए अजय के. जैन)	**(श्याम लाल गुप्ता**	**(सुरजीत दत्ता)**	**(राजेन्द्र सिंह यादव)**
साझेदार	**अध्यक्ष**	**निदेशक**	**निदेशक**
सं.सं: 085994	**डीआईएन: 07598920**	**डीआईएन: 06687023**	**डीआईएन: 07752915**
	ह/-	**ह/-**	**ह/-**
स्थान : नई दिल्ली	**(मसूद अहमद नजर)**	**(संजीव कुमार गुप्ता)**	**(साक्षी मेहता)**
दिनांक: 24.06.2020	**मुख्य कार्यपालक अधिकारी**	**मुख्य वित्त अधिकारी**	**कंपनी सचिव**

यूडीआईएन: 20085994एएएएसीएच1291

1. निगमित सूचना

इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है जो इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है और यह कंपनी भारत में स्थित है । कंपनी का निगमन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएएआई) के साथ हस्ताक्षरित रियायत करार के निबंधन और शर्तों के अनुसार डीबीएफओटी (अभिकल्प, निर्माण, वित्तीयन, प्रचालन, और हस्तांतरण आधार पर मध्यप्रदेश राज्य में पर राष्ट्रीय राजमार्ग-03 के किमी 236.000 से किमी 332.100 (स्टेज-1) के शिवपुरी - गूना खंड को चार लेन का बनाने" के लिए किया गा है। अनुरोध प्रस्ताव" के प्रावधानों के अनुसार, चयनित बोलीदाता 'इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड' ने दिनाक 12 मई, 2015 को इरकॉन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड के नाम से एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) का गठन किया है। तदनुसार, इरकॉन एसजीटीएलप ने दिनांक 15 जून 2015 को एनएचएआई के साथ रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। 20 वर्ष की रियायत अवधि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित नियुक्ति तिथि यथा 25 जनवरी 2016 को आरंभ हुई थी। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय सी-4, डिस्ट्रिक्ट केंद्र, साकेत, नई दिल्ली-110017 में स्थित है।

कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 10.7.2020 को आयोजित अपनी बैठक में स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों को जारी करने के लिए अनुमोदित किया गया है।

2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

2.1 तैयार करने का आधार

i. कम्पनी के वित्तीय विवरणों का निर्माण कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 (समय समय पर यथासंशोधित) के नियम 3 के साथ पठनीय कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 (इंड एएस अनुपालन अनुसूची 3) की अनुसूची–3 के भाग–2, वित्तीय विवरणों के संबंध में लागू, सहित भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों का अनुसरण करके किया गया है।

ii. वित्तीय विवरणों का निर्माण गोइंग कंसर्न आधार पर प्रोद्भवन लेखांकन प्रणाली का अनुसरण करके किया गया है। कम्पनी ने परिसम्पतियों एवं देयताओं के लागत आधार के लिए ऐतिहासिक लागत को स्वीकार किया है जो उचित मूल्य पर मापन की गई निम्नलिखित परिसम्पतियों एवं देयताओं के अलावा है :–

- प्रावधान, जहां धन का समय मूल्य सामग्रीगत है वहां मापन वर्तमान मूल्य पर किया गया है।

- कतिपय वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं का मापन उचित मूल्य पर किया गया है।
- परिभाषित लाभ योजना तथा अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ।

2.2 चालू एवं गैर–चालू वर्गीकरण

i. कम्पनी द्वारा तुलन पत्र में परिसम्पतियों एवं देयताओं की प्रस्तुति चालू/गैर–चालू वर्गीकरण के आधार पर गई है।

ii. किसी परिसम्पति को चालू तब माना जाता है जब :

- सामान्य परिचालन कम में बेची जानी हो अथवा बेचने के लिए आशित हो अथवा उपयोग किया जाना हो
- जो मुख्यतः व्यापार के उद्देश्य से धारित की गई है।
- जो रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात बारह माह के भीतर बेची जानी संभावित हो
- यदि विनिमय अथवा रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात कम से कम बारह माह में किसी देयता के निपटान के लिए उपयोग के लिए नहीं है तो रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य

iii. कम्पनी ने अन्य सभी परिसम्पतियों का वर्गीकरण गैर–चालू परिसम्पति के रूप में किया है।

iv. कोई देयता चालू तब होती है जब :

- उसका समाधान सामान्य प्रचालन कम में किया जाना हो
- जो मुख्यतः व्यापार के उद्देश्य से धारित की गई है।
- जो रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात 12 माह के भीतर समाधान की जानी संभावित हो
- जिसके प्रति रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति के पश्चात कम से कम बारह माह के लिए किसी देयता के समाधान को आस्थगित करने का अप्रतिबंधित अधिकार प्राप्त न हो।

v. कम्पनी ने अन्य सभी देयताओं का वर्गीकरण गैर–चालू देयता के रूप में किया है।

vi. आस्थगित कर परिसम्पतियों एवं देयताओं का वर्गीकरण गैर–चालू परिसम्पति एवं देयताओं के रूप में किया गया है।

vii. परिचालन कम प्रस्संकरण के लिए अधिगृहित गई परिसम्पतियों एवं रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य से होने वाली प्राप्ति के मध्य का समय काल है। कम्पनी ने परिचालन कम के लिए 12 माह निश्चित किए हैं।

2.3 रोकड प्रवाह विवरण

रोकड़ प्रवाह विवरण को अप्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करते हुए प्रस्तुत किया जाता है, जिसके द्वारा गैर–रोकड़ प्रकृति के संव्यवहारों तथा भावी रोकड़ प्राप्तियों या भुगतानों के किसी आस्थगित या बीमांकक के संव्यवहारों को प्रभावित करने से पूर्व लाभ/(हानि को) समायोजित किया जाता है। कंपनी के प्रचालन, निवेश तथा वित्तीय गतिविधियों को उपलब्ध सूचना के आधार पर पृथक किया जाता है।

2.4 सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण

i. *स्वीकृति एवं प्रारंभिक मापन*

- सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण की स्वीकृति तब की जाती है जब ऐसी मद से संबद्ध भावी आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावना हो तथा प्रत्येक मद का कापन विश्वसनीय रूप से किया जा सकता हो। सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण का प्रारंभिक मापन लागत पर किया जाता है।

परिसम्पति की लागत में निम्नलिखित शामिल होता है :

क) क्रय मूल्य, किसी व्यापार छूट एवं रियायत का निवल

ख) ऋण लागतें यदि पूंजीयन मापदंड पूरे किए गए हैं

ग) परिसम्पति के अधिग्रहण से प्रत्यक्ष सम्बद्ध लागत जिसका वहन परिसम्पति को प्राप्त करने एवं आशित उद्‌देश्य से कार्यशील बनाने के लिए किया गया है।

घ) निर्माण अवधि के दौरान अप्रत्यक्ष निर्माण के भाग के रूप में पूंजीयन किए गए आनुषंगिक व्यय जो निर्माण से संबंधित व्यय से प्रत्यक्ष संबंधित है अथवा उसके संबंध में आनुषंगिक हैं।

ङ) यदि स्वीकृति मापदंड पूरे किए गए हैं तो मदों को अलग अलग करने तथा हटाए जाने तथा स्थल नवीकरण करने की अनुमानित लागत का वर्तमान मूल्य

फ्रीहोल्ड भूमि का वहन ऐतिहासिक लागत पर किया गया है।

ii. *अनुवर्ती मापन*

- सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण का अनुवर्ती मापन संचित मूल्य ह्रास एवं संचित अक्षमता हानियों, यदि कोई हों, के साथ लागत पर किया जाता है। अनुवर्ती व्यय का पूंजीयन तब किया जाता है जब ऐसे व्यय से संबद्ध भावी आर्थिक लाभ कम्पनी को प्राप्त होने की संभवना हो तथा व्यय की लागत का मापन विश्वसनीयता के साथ किया जा सकता हो।

- दीर्घकालिक निर्माण परियोजना के लिए प्रतिस्थापना, प्रमुख जांच, महत्वपूर्ण पूर्जों की मरम्मत तथा ऋण लागतों का पूंजीयन स्वीकृति मापदंड पूरे होने पर किया जाता है।

- मशीनरी के अतिरिक्त पूर्जों का पूंजीयन स्वीकृति मापदंड पूरे होने पर किया जाता है।

iii. मूल्यह्रास एवं उपयोज्यता काल

- सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण का मूल्यह्रास, बिना मिआद वाले पट्टे पर प्राप्त फ्रीहोल्ड भूमि एवं पट्टाधारित भूमि को छोड़कर, कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची में निर्दिष्ट परिसम्पतियों के अनुमानित उपयोज्यता काल के अनुसार सीधी रेखा आधार पर किया गया है।

विवरण	उपयोगी जीवनकाल(वर्ष)
भवन / फ्लैट आवासीय / गैर–आवासीय	60
संयंत्र एवं मशीनरी	8–15
सर्वेक्षण उपकरण	10
कम्प्यूटर्स	3–6
कार्यालय उपकरण	5 –10
फर्नीचर एवं जुड़नार	10
कारवां, कैम्प एवं अस्थाई शैड	3–5
वाहन	8–10

अवधि के दौरान आनुपातिक आधार पर परिसम्पति के उपयोग के लिए उपलब्ध होने की तिथि से निपटान किए जाने की तिथि तक पर सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण में किए गए आवर्धन / घटाव का मूल्यह्रास आनुपातिक आधार पर किया गया है।

- सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण के प्रत्येक भाग का मूल्यह्रास, यदि भाग मद की लागत के योग के संबंध में महत्वपूर्ण है तथा ऐसे भाग का उपयोज्यता काल शेष परिसम्पतियों के उपयोज्यता काल से भिन्न है, अलग से लागत पर किया गया है। मिआद मुक्त पट्टे पर प्राप्त की गई पट्टाधारित भूमि का परिशोधन नहीं किया गया है।

- अवधि के दौरान अधिगृहित की गई सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण, जिनकी अलग अलग लागत 5000/– रूपए है, का पूर्ण मूल्यह्रास निर्धारण के तौर पर 1 रूपए के टोकन मूल्य के साथ कर लिया गया है। तथापि, कर्मचारियों को उपलब्ध करवाए गए मोबाइल फोन, उनके मूल्य को संज्ञान में लिए बिना, लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किए गए है।

- मूल्यह्रास विधियां, उपयोज्यता काल एवं अवशेष मूल्य की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है तथा उचित समझे जाने की स्थिति में उत्तरव्यापी प्रभाव से समायोजन किए जाते है। कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 2 में किए गए उल्लेख के अनुसार ''सामान्यतः किसी परिसम्पति का अवशेष मूल्य परिसम्पति की लागत से 5 प्रतिशत तक होता है।''

iv. *स्वीकृति समाप्ति*

- सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण की किसी मद तथा उसके विशिष्ट भाग की प्रारंभिक स्वीकृति की स्वीकृति समाप्ति उसका निपटान किए जाने तथा तथा उसके निपटान से भविष्य में उससे किसी प्रकार के आर्थिक लाभ प्राप्त न होने की संभावना होने पर किए जाते है। किसी परिसम्पति की स्वीकृति समाप्ति से प्राप्त होने लाभ अथवा हानि (निपटान से प्राप्त धन तथा परिसम्पति की वहन राशि के अंतर के अनुसार आकलन) को परिसम्पति की स्वीकृति समाप्त होने पर लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है।

2.5 पूंजीगत कार्य प्रगति पर

पूंजीगत कार्य प्रगति पर से पूंजीगत परियोजनाओं के संबंध में किए गए व्यय एवं लागत शून्य संचित अक्षमता हानि, यदि कोई हो, पर अग्रेशित किए गए व्यय प्रतिबिंबित होते हैं।

2.6 निवेश परिसम्पतियां

i. स्वीकृति एवं प्रारंभिक मापन

- निवेश सम्पति की स्वीकृति सम्पति से संबद्ध भावी आर्थिक लाभों की प्राप्ति कम्पनी को होने तथा सम्पति का मापन विश्वसनीय रूप से कर लिए जाने की संभावना होने पर की जाती है।
- निवेश परिसम्पति में पूर्ण सम्पति, निर्माणाधीन सम्पति तथा पट्टे पर धारित वह सम्पति शामिल है जिसका धारण साधारण व्यावसायिक प्रक्रिया में बिक्री किए जाने अथवा उत्पादन अथवा प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए उपयोग में लाए जाने के स्थान पर किराया अथवा पूंजी लाभ अथवा दोनों अर्जित करने के लिए किया गया है। निवेश सम्पतियों का प्रारंभिक मापन संव्यवहार लागतों सहित लागत पर किया जाता है।
- लागत वह राशि है जो नकद अथवा नकद समतुल्य के रूप में अथवा अन्य क्रियाओं के उचित मूल्य पर किसी सम्पति का अधिग्रहण करने अथवा निर्माण अथवा, जो भी लागू हो, के समय चुकता की जाती है, ऐसी सम्पति से सम्बद्ध राशि की प्रारंभिक स्वीकृति अन्य इंड एएस की विशिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार की जाती है।

ii. अनुवर्ती मापन एवं मूल्यह्रास

- निवेश सम्पतियों की प्रस्तुति संचित मूल्य ह्रास एवं संचित अक्षमता हानि,यदि कोई हैं, को घटाकर लागत पर की गई है। अनुवर्ती लागत को स्वीकृत मापदंड पूरे होने पर ही जोड़ा गया है। कम्पनी निवेश सम्पति के भवन घटक का मूल्य ह्रास क्रय / निर्माण की मूल तिथि से 60 वर्षों में सीधी रेखा आधार पर करती है। निर्माणाधीन फ्रीहोल्ड भूमि एवं सम्पति का परिशोधन नहीं किया गया है।

- बिना मिआद वाले पट्टे पर प्राप्त पट्टाधारित भूमि का परिशोधन नहीं किया गया है।
- निवेश सम्पति के अवशेष मूल्यों, उपयोज्यता काल एवं मूल्यह्रास की विधियों की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है तथा उत्तरव्यापी प्रभाव से समायोजन, यदि उचित हों, किए जाते हैं।
- कम्पनी अपनी निवेश सम्पति का मापन लागत आधारित मापन के आधार पर करती है, तो भी निवेश सम्पति के उचित मूल्य का प्रकटीकरण टिप्पणियों में किया गया है। उचित मूल्य का निर्धारण वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर अधिकृत बाह्य स्वतंत्र मूल्यांककों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकार्य मूल्यांकन मॉडल के अनुसार किया जाता है।

3. स्वीकृति समाप्ति

निवेश सम्पतियों की स्वीकृति या तो तब समाप्त की जाती है जब उनका निपटान किया जाता है अथवा तब की जाती है जब वे स्थाई रूप से उपयोग में नहीं लाई जाती है तथा उनके निपटान से किसी प्रकार के आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावना नहीं होती है। निवल निपटान प्राप्यों, यदि कोई हों, तथा परिसम्पति की वहन राशि के मध्य के अंतर को स्वीकृति समाप्त किए जाने की अवधि के लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है।

2.7 अमूर्त परिसम्पतियां

i. स्वीकृति एवं प्रारंभिक मापन

- अमूर्त परिसंपत्तियों की स्वीकृति तब की जाती है जब ऐसी परिसम्पति से संबद्ध भावी आर्थिक लाभ कम्पनी को प्राप्त होने की संभावना हो तथा परिसम्पति का मापन विश्वसनीयता से किया जा सकता हो। अलग से अधिगृहित की गई अमूर्त परिसम्पतियों का लागत पर प्रारंभिक मापन किया जाता है। लागत में क्रय मूल्य, ऋण लागत, यदि पूंजीयन के मापदंड पूर्ण किए गए हैं, तथा परिसम्पति को आशित उद्देश्य से कार्यशील बनाने के लिए किए गए व्यय शामिल होते हैं। आंतरिक रूप से उत्पन्न अमूर्त परिसम्पतियों, पूंजीयन की गई विकास लागतों के अलावा, तथा सम्बद्ध व्यय की प्रस्तुति उस अवधि के लाभ एवं हानि विवरण में की गई है जिस अवधि में व्यय किया गया है। तुलन पत्र तिथि को आशित उपयोग के तैयार न हुई अमूर्त परिसम्पतियों का प्रकटीकरण ''विकासाधीन अमूर्त परिसम्पतियां'' के रूप में किया गया है।

ii. अनुवर्ती मापन एवं परिशोधन

अमूर्त परिसम्पतियों की प्रारंभिक स्वीकृति के लिए संचित परिशोधन एवं संचित अक्षमता हानियों,यदि कोई हों, को कम करके उनकी लागत का वहन किया जाता है। प्रत्येक मामले में 1 लाख रूपए मूल्य तक साफ्टवेयर का परिशोधन क्रय के वर्ष में निर्धारण के लिए 1 रूपए के टोकन मूल्य के साथ किया जाता है।

- पूंजीगत साफ्टवेयर का परिशोधन अधिग्रहण किए जाने की तिथि से 36 माह में किया जाता है।
- अवधि के दौरान अमूर्त परिसम्पतियों में होने वाले आवर्धन / घटाव का परिशोधन करके उसे आनुपातिक आधार पर परिसम्पति उपलब्ध की तिथि से / निपटान की तिथि तक प्रभारित किया जाता है।
- परिशोधन विधियों, उपयोज्यता काल एवं अवशेष मूल्यों की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि में की जाती है तथा उचित समझे जाने पर उत्तरव्यापी प्रभाव से समायोजन किए जाते हैं।

iii. *स्वीकृति समाप्ति*

अमूर्त परिसम्पतियों की स्वीकृति या तो तब समाप्त की जाती है जब उनका निपटान किया जाता है अथवा तब की जाती है जब वे स्थाई रूप से उपयोग में नहीं लाई जाती है तथा उनके निपटान से किसी प्रकार के आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावना नहीं होती है। अमूर्त परिसम्पतियों की स्वीकृति समाप्त किए जाने पर प्राप्त होने वाले लाभ अथवा हानि का मापन निवल निपटान प्राप्यों, यदि कोई हों, तथा परिसम्पति की वहन राशि के मध्य के अंतर को स्वीकृति समाप्त किए जाने की अवधि के लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है।

iv. टोल एकत्रण अधिकार (टोल रोड सेवा रियायत करार)

क) निर्माण-प्रचालन-अंतरण(बीओटी) आधार पर सार्वजनिक निजी व्यवस्थाओं (पीपीए) के संबंध में, अमूर्त परिसंपत्तियों अर्थात टोल/टैरिफ को एकत्र करने का अधिकार तब स्वीकृत होत है जब कंपनी को टोल/टैरिफ वसूलने के अधिकार दिए गए हों। ऐसी सार्वजनिक सेवाओं और इस तरह के अधिकारों के उपयोगकर्ता नकद या किसी अन्य वित्तीय परिसंपत्ति को प्राप्त करने के लिए कंपनी पर बिना शर्त के अधिकार नहीं देते हैं और जब यह संभावित होता है कि अधिकारों से जुड़े भावी आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेंगे।

ख) कंपनी एक सार्वजनिक सेवा प्रदान करने के लिए बुनियादी ढांचे (निर्माण या उन्नयन सेवाओं) का निर्माण करती है या निर्दिष्ट अवधि के लिए उस बुनियादी ढांचे (प्रचालन सेवाओं) का प्रचालन और अनुरक्षण करती है। इन व्यवस्थाओं में सार्वजनिक-से-निजी सेवा रियायत

व्यवस्था में उपयोग किए जाने वाले बुनियादी ढांचे को इसके संपूर्ण उपयोगी जीवनकाल के लिए शामिल किया जा सकता है।

ग) रियायत समझौतों के तहत, जहां कंपनी को सार्वजनिक सेवा के उपयोगकर्ताओं को प्रभारित करने का अधिकार मिला है, ऐसे अधिकारों को इंड एएस **115 -** सेवा रियायत व्यवस्था के परिशिष्ट-ग के अनुसार "अमूर्त परिसंपत्तियों" के रूप में स्वीकार और वर्गीकृत किया जाता है।

घ) धनराशि प्राप्त करने का इस प्रकार का अधिकार बिनाशर्ता अधिकार नहीं होता है क्योंकि यह मात्रा उस सीमा तक आकस्मिक है कि जनता सेवा का उपयोग किस स्तर तक करती है और इस प्रकार इसे अमूर्त संपत्ति के रूप में स्वीकार और वर्गीकृत किया जाता है। इस तरह की अमूर्त संपत्ति को कंपनी द्वारा लागत पर स्वीकार किया जाता है (जो प्रस्तुत निर्माणत सेवाओं के लिए प्राप्त या प्राप्य उचित मूल्य है) और इसे तब पूंजीकृत किया जाता है जब परियोजना सभी मामलों में पूर्ण होती है और जब कंपनी रियायत समझौते में निर्दिष्ट अनुसार प्राधिकरण से परियोजना पूरा होने का प्रमाण पत्र प्राप्त करती है।

ड.) रियायत व्यवस्था के तहत ली गई संपत्ति को निपटान पर या उसके भविष्य के उपयोग या निपटान से कोई भविष्य के आर्थिक लाभ की आशा नहीं की जाती है।

च) सेवा रियायत की व्यवस्था जो अमूर्त संपत्ति की परिभाषा को पूरा करती है, संचयी निर्माण लागत पर स्वीकार की जाती है। परियोजना के निर्माण के पूरा होने तक, इस तरह की व्यवस्था को "विकास के तहत अमूर्त संपत्ति" के रूप में स्वीकार किया जाता है और संचयी निर्माण लागत पर मान्यता प्राप्त होती है।

छ) सेवा रियायत व्यवस्था में एक अमूर्त संपत्ति का अनुमानित उपयोगी जीवन वह अवधि है जहां से कंपनी रियायत अवधि के अंत तक बुनियादी ढांचे के उपयोग के लिए जनता को चार्ज करने में सक्षम है।

ज) टोल एकत्रण अधिकार को रियायती अवधि की समाप्ति के लिए सेवा में लाए गए अधिकार के अतिमरिक्त या उक्त तिथि से प्रो-राटा के आधार पर सीधी रेखा पद्धति का उपयोग करके परिशोधित किया जाता है।

झ) परिशोधन के तरीकों और उपयोगी जीवनकाल की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि में की जाती है, जिसमें अनुमानित आधार पर अनुमानित परिवर्तन किए जाते हैं।

ट) **अमूर्त परिसंपत्ति के वहन मूल्य की प्रतिवर्ष या उससे अधिक बार हानि के लिए समीक्षा की जाती है यदि घटनाओं या परिस्थितियों में परिवर्तन यह दर्शाता है कि वहन मूल्य पुनर्प्राप्त करने योग्य नहीं है।**

2.8 नकद एवं नकद समतुल्य

नकद एवं नकद समतुल्य में नकदी, बैंकों में जमा नकदी एवं अल्पकालिक जमा जिनकी मूल परिपक्वता तीन माह अथवा कम है तथा जो नकदी की ज्ञात राशियों के लिए तत्काल परिवर्तित किए जा सकते हैं तथा जो मूल्य में परिवर्तन के प्रति महत्वपूर्ण जोखिम के अध्याधीन हैं।

नकदी प्रवाह विवरण के उद्देश्य से नकदी एवं नकदी समतुल्यों में ऊपर दी गई परिभाषा के अनुसार अप्रबंधित नकदी एवं अल्पकालिक जमा शामिल किए गए हैं क्योंकि उन्हें कम्पनी के रोकड़ प्रबंधन का अभिन्न अंग माना गया है।

2.9 प्रावधान, आकस्मिक परिसम्पतियां एवं आकस्मिक देयताएं

i) प्रावधान

(क) प्रावधान को स्वीकृति तब प्रदान की जाती है जब किसी पूर्व घटना के परिणामस्वरूप कम्पनी का कोई वर्तमान दायित्व (विधिक अथवा तर्कसाध्य) हो तथा ऐसी संभावना हो कि दायित्व के निपटान, जिसके संबंध में विश्वसनीय अनुमान लगाए जा सकते हैं, के लिए संसाधनों का बर्हिप्रवाह अपेक्षित है। प्रावधान के रूप में स्वीकृत राशि रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वर्तमान दायित्व के निपटान के लिए अपेक्षित विचार, दायित्व से जुड़े जोखिम एवं अनिश्चितताओं पर विचार, के पश्चात आंके गए उत्तम अनुमान के अनुसार होती है।

(ख) जब धन के समय मूल्य का वस्तुगत होने की संभावना होती है तो प्रावधान राशि को दायित्व से सम्बद्ध जोखिम की प्रस्तुति करने वाली,जब उचित हो, पूर्व कर दर के उपयोग से कम कर दिया जाता है। समय के परिवर्तन को वित्त लागत के रूप में विचार में लिए जाने के कारण डिस्काउंटिंग के उपयोग के पश्चात प्रावधान अधिक कर दिए जाते हैं।

(ग) कम्पनी द्वारा स्वीकृत किए जाने वाले प्रावधानों में अनुरक्षण, विघटन, डिजाइन गारंटी, विधिक मामले, निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर), दुर्वह संविदा एवं अन्य शामि

ii) दुर्वह संविदाएं

(क) दुर्वह संविदा वह संविदा है जिसमें संविदा के अंतर्गत दायित्वों को पूरा करने की वे अपरिहार्य लागतें (अर्थात वे लागतें जिनकी संविदा के कारण कम्पनी अनदेखी नहीं कर सकती है) आती हैं जो उससे प्राप्त होने वाले संभावित आर्थिक लाभों से अधिक होती हैं। किसी संविदा के अंतर्गत अपरिहार्य लागतें संविदा की विद्यमान न्यूनतम लागत की प्रस्तुति

करते हैं जो इसके निष्पादन की लागत एवं इसे निष्पादित न किए जाने के मुआवजे अथवा उत्पन्न होने वाली शास्तियों से कम हैं। यदि कम्पनी की कोई दुर्वह संविदा है तो संविदा के अंतर्गत दायित्व की स्वीकृति एवं मापन के लिए प्रावधान किए जाते हैं। तथापि, दुर्वह संविदा के लिए अलग प्रावधान करने से पूर्व कम्पनी किसी अक्षमता हानि की स्वीकृति करती है जो ऐसी संविदा के लिए नियत की गई परिसम्पतियों के संबंध में हुई है।

(ख) इन अनुमानों की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि में करके चालू उत्तम अनुमान के अनुसार समायोजन प्रस्तुत किए गए हैं।

iii) आकस्मिक देयताएं

(क) ऐसे आकस्मिक दायित्वों के संबंध में प्रकटीकरण किया जाता है जब संभावित दायित्व अथवा वर्तमान दायित्वों के संबंध में सन्निहित आर्थिक लाभों के संसाधनों का बर्हिप्रवाह अपेक्षित होने होने की संभावना होती है, परन्तु नहीं भी हो सकती है, अथवा ऐसे दायित्वों की राशि का मापन विश्वसनीयता से नहीं किया जा सकता है। जब किसी संभावित दायित्व अथवा विद्यमान दायित्व के संबंध में सन्निहित आर्थिक लाभों के संसाधनों का बर्हिप्रवाह होने की संभावना काफी होती है तो कोई प्रावधान अथवा प्रकटीकरण नहीं किए जाते हैं।

(ख) इनकी समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र तिथि को की जाती है तथा चालू उत्तम अनुमानों के अनुसार इनका समायोजन किया जाता है।

iv) आकस्मिक परिसम्पतियां

आकस्मिक परिसम्पतियों की स्वीकृति नहीं की जाती है अपितु आर्थिक लाभों के प्रवाह की विश्वसनीयता होने पर इनका प्रकटीकरण किया जाता है।

2.10 राजस्व स्वीकृति

i. **कंपनी इंड एएस-.115 के अनुसार "ग्राहकों से साथ अनुबंध से राजस्व" के अनुसार निर्माण से राजस्व को स्वीकार करती है और मापती है।**

ii. **संव्यवहार मूल्य (इसमें महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक शामिल नहीं है) वह मूल्य है जो सेवाओं के प्रावधान के लिए ग्राहक के साथ अनुबंधित है। राजस्व को संव्यवहार के मूल्य पर मापा जाता है जो निष्पादन दायित्व के लिए आवंटित किया जाता है और इसमें तीसरे पक्ष की ओर से एकत्र की गई राशि शामिल नहीं है अर्थात जीएसटी और इसे परिवर्ती राशि हेतु समायोजित किया जाता है।**

iii. कंपनी के अनुबंध की प्रकृति कई प्रकार के परिवर्तनशील प्राप्तियों को सृजित करती हैए जिसमें वृद्धि और तरलता हानि शामिल हैं।

iv. लेन-देन की कीमत में कोई भी परिवर्तन अनुबंध में निष्पादन दायित्वों के लिए उसी आधार पर आवंटित किया जाता हैए जो अनुबंध की निर्धारण के समय होता है।

v. कंपनी परिवर्तनीय विचार के लिए राजस्व को चिह्नित करती हैए जब यह संभावना है कि मान्यता प्राप्त राशि में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं होगा। कंपनी अनुमानित मूल्य या सबसे अधिक संभावना राशि पद्धति का उपयोग करके परिवर्तनशील राशि के रूप में राजस्व की राशि का अनुमान लगाती है।

vi. इसके परिणामस्वरूप, एक संतुष्ट निष्पादन दायित्व के लिए आवंटित राशि को राजस्व के रूप में या राजस्व की कमी के रूप में पहचाना जाता है, जिस अवधि में लेनदेन में परिवर्तन होता है।

vii. निम्नलिखित मापदंड पूर्ण होने की स्थिति में ही कम्पनी द्वारा किसी निष्पादन दायित्व को पूर्ण कर लिया माना जाता है तथा समयानुकूल राजस्व स्वीकृति की जाती है:

- **इकाई की निष्पादन क्रिया में प्रदान किए गए इकाई के निष्पादन ग्राहक को साथ साथ प्राप्त हुए हैं तथा उनके लाभों का उपयोग कर लिया गया है।**
- **इकाई द्वारा किए गए निष्पादन से किसी परिसम्पति (उदाहरणतः, कार्य प्रगति पर) का सृजन अथवा संवर्धन हुआ है तथा परिसम्पति के सृजन अथवा संवर्धन के साथ साथ ग्राहक को नियंत्रण प्राप्त हो गया है अथवा**
- **इकाई के निष्पादन से इकाई द्वारा किसी वैकल्पिक उपयोग के लिए किसी परिसम्पति का सृजन नहीं हुआ है तथा इकाई के पास निष्पादन पूरा किए जाने की तिथि तक के लिए भुगतान का प्रवर्तनीय अधिकार है।**

viii. समय के साथ संतुष्ट निष्पादन दायित्व के लिए राजस्व स्वीकृति, निष्पादन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि के प्रतिशत समापन विधि का प्रयोग करके प्रगति के मापन द्वारा किया जाता है। निष्पादन दायित्व के कारण कुल अनुमानित लागत के लिए आज तक की वास्तविक लागत के अनुपात के अनुसार प्रगति को मापा जाता है।

ix. निष्पादन दायित्व को इनपुट पद्धति लागू करके मापा जाता है। उन संविदाओं में जहां निष्पादन दायित्व को इनपुट विधि द्वारा नहीं मापा जा सकता है वहां आउटपुट पद्धति लागू की जाती है, जो निष्पक्ष रूप से निष्पादन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि के प्रति कंपनी के निष्पादन को दर्शाता है।

x. संविदा आशोधनों को तब लेखांकित किया जाता है जब संविदा विलोपन या परिवर्तन को अनुबंध के दायरे या अनुबंध मूल्य के लिए अनुमोदित किया जाता है।

xi. संविदाओं में संशोधन के लेखांकन में यह आकलन है चाहे मौजूदा संविदा में जोड़ी गई सेवाएं भिन्न हैं और चाहे मूल्य निर्धारण बिक्री मूल्य पर है। जोड़ा गया सेवाएं जो भिन्न नहीं हैं उनका संचयी कैच-अप आधार पर लेखांकन किया जाता है जबकि जो भिन्न होते हैं उन्हें या तो एक अलग संविदा के रूप में देखा जाता है यदि अतिरिक्त सेवाओं की कीमत स्टैंडअलोन विक्रय मूल्य पर या मौजूदा अनुबंध की समाप्ति के रूप में लगाई जाती है।

ख) संविदा शेष

- **संविदा परिसम्पतियां :** किसी संविदा परिसम्पति के संबंध में ग्राहक को प्रतिफल के विनिमय के प्रति माल एवं सेवाओं का अंतरण का अधिकार प्राप्त है। यदि कम्पनी द्वारा ग्राहक के लिए किया जाने वाला निष्पादन माल एवं सेवाओं के अंतरण के लिए ग्राहक द्वारा प्रतिफल दिए जाने से पूर्व अथवा प्रतिफल देय होने से पूर्व किया जाता है तो संविदा परिसम्पति की स्वीकृति अर्जित प्रतिफल, जो सशर्त है, के लिए की जाती है।
- **व्यापार प्राप्य :** प्राप्य से कम्पनी का किसी प्रतिफल के रूप में किसी राशि की प्राप्ति का अधिकार अभिप्रेत है जो किसी शर्त के बिना है (अर्थात प्रतिफल के भुगतान से पूर्व केवल थोड़ा समय अपेक्षित होता है)।
- **संविदागत दायित्व** : संविदागत दायित्व वे दायित्व` हैं जो कम्पनी को ग्राहक से प्राप्त प्रतिफल (अथवा प्रतिफल की कोई देय राशि) के प्रति ग्राहक को माल एवं सेवाओं के अंतरण के लिए हैं। यदि कोई ग्राहक कम्पनी द्वारा माल एवं सेवाओं का अंतरण ग्राहक को करने से पूर्व प्रतिफल का भुगतान करता है तो संविदा दायित्व की पूर्ति भुगतान किए जाने पर अथवा भुगतान देय होने पर (जो भी पहले हो) होती है। संविदागत देयताों की राजस्व में स्वीकृति तब की जाती है जबकि कम्पनी द्वारा संविदा के प्रति निष्पादन कर लिया जाता है।

ग) टोल एकत्रणसे राजस्व

कंपनी टोल एकत्रक को तब स्वीकार करती है जबकभी इसे संव्यवहार मूल्य पर एकत्र किया जाता है यथा प्रयोग शुल्क, जो कि तीसरे पक्षों की ओर से एकत्र राशि से अलग है।

घ) अन्य आय

- लाभांश आय की स्वीकृति भुगतान प्राप्ति का अधिकार स्थापित होने पर की गई है।
- ब्याज आय की स्वीकृति प्रभावी ब्याज दर के उपयोग से की गई है।
- विविध आय की स्वीकृति निष्पादन दायित्व पूरे कर लिए जाने तथा संविदा शर्तों के

अनुसार आय की प्राप्ति का अधिकार प्राप्त होने पर की गई है।

2.11 गैर–वित्तीय परिसम्पतियों का परिशोधन

i. प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को कम्पनी द्वारा मूल्यांकन करके किसी परिसम्पति को परिशोधित करने अथवा किसी परिसम्पति का वार्षिक परिशोधन परीक्षण किए जाने की अपेक्षा होने के संकेत ज्ञात करके ऐसी परिसम्पतियों से वसूली योग्य राशि के अनुमान लगाए जाते हैं। किसी परिसम्पति की वसूली योग्य राशि किसी परिसम्पति अथवा रोकड़ उत्पति यूनिट (सीजीयू) के उचित मूल्य, निपटान की लागत को घटाकर, तथा उसके उपयोग मूल्य से अधिक होती है। यदि कोई परिसम्पति ऐसी रोकड़ उत्पति यूनिट नहीं है जो परिसम्पतियों अथवा परिसम्पतियों के समूह से पूरी तरह भिन्न हो तो किसी वैयक्तिक परिसम्पति की वसूलीयोग्य राशि के निर्धारण किए जाते हैं। जब किसी परिसम्पति अथवा रोकड़ उत्पति यूनिट की वहन राषि उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक होती है तो परिसम्पति को परिशोधित मान लिया जाता है तथा उसकी मालसूचियों के परिशोधन सहित उसकी वसूलीयोग्य राशि एवं परिशोधन हानि को ह्रासित करके लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृति की जाती है।

ii. उपयोग मूल्य के मूल्यांकन पूर्व–कर छूट दर, जिससे धन के समय मूल्य के चालू बाजार मूल्यांकन एवं परिसम्पति से संबद्ध जोखिम प्रस्तुत होते हैं, के उपयोग से उसके वर्तमान को अनुमानित रोकड़ प्रवाह से कम करके किए जाते हैं।

iii. साख के अलावा परिसम्पतियों का मूल्यांकन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को यह निर्धारण करने के लिए किया जाता है कि क्या संज्ञान में ली जा चुकी अक्षमता हानि के संकेत अभी भी हैं अथवा वे कम हो गए हैं। यदि ऐसे संकेत होते हैं तो कम्पनी परिसम्पति अथवा रोकड़ उत्पति यूनिट की वसूली योग्य राशि के अनुमान लगाती है। संज्ञान में ली जा चुकी अक्षमता हानि का व्युत्क्रमण तभी किया जाता है जब पहले आंकी गई अक्षमता हानि के पश्चात से परिसम्पति की वसूलीयोग्य राशि के लिए लगाए गए अनुमानों में किसी प्रकार के परिवर्तन प्रतीत हों। व्युत्क्रमण सीमित होते हैं जिससे कि परिसम्पति की वहन राशि उसकी वसूली योग्य राशि से न तो अधिक हो और न ही यह पूर्वावधि की परिसम्पति से संबंधित अक्षमता हानि न होने की स्थिति में निर्धारित की जाने वाली वहन रशि, मूल्यह्रास का निवल, से अधिक न हो सके। ऐसे व्युत्क्रमण लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत किए जाते हैं।

2.12 मालसूचियां

i) मालसूचियों (स्क्रैप सहित) का मूल्यन उनकी न्यून लागत एवं निवल प्राप्य मूल्य पर आंका जाता है। लागत में मालसूचियों को वर्तमान स्थल एवं स्थिति में लाने के लिए व्यय की गई क्रय लागत, परिवर्तन लागत एवं अन्य लागतें शामिल होती हैं। लागत का निर्धारण

प्रथम आवक प्रथम जावक (एफआईएफओ) आधार पर किया जाता है। व्यापार की साधारण प्रक्रिया में निवल वसूलीयोग्य मूल्य पूर्णता लागतों तथा बिक्री के लिए आवश्यक अनुमानित के अनुमान को घटाकर आंका गया अनुमानित बिक्री मूल्य है।

ii) निर्माण कार्य प्रगति पर का मूल्यन ऐसे समय तक के लिए लागत पर किया गया है जब तक कार्य से प्राप्त होने वाले प्रतिफल का विश्वसनीय रूप से पता नहीं चलता है।

iii) नई परियोजनाओं पर संचलन के लिए किए गए प्रारंभिक संविदा व्यय को संबंधित वर्ष में निर्माण कार्य प्रगति पर के रूप में स्वीकृति दी गई है तथा उसे आनुपातिक आधार पर परियोजना के लाभ एवं हानि विवरण में रिपोर्टिंग अवधि के अंत संविदा के पूर्ण होने के चरण के समान प्रतिशत पर संबंधित अवधि में प्रभारित किया गया है। स्थल संचलन व्यय का बट्टा करने के स्थान पर लागत पर मूल्यन किया गया है।

iv) नो कास्ट प्लस संविदा , जिनमें संविदा की शर्तों के अनुसार सभी सामग्रियों, अतिरिक्त पूर्जों एवं भंडार की लागत की धनवापसी नहीं होती होती है, का मूल्यन उपर्युक्त (क) के अनुसार मालसूची के रूप में किया गया है।

v) अवधि के दौरान किए गए लूज पूर्जों का उपयोग कर लिया गया है।

2.13 ऋण लागत

ऋण लागत में ब्याज एवं कम्पनी द्वारा निधियों की प्राप्ति के संबंध में व्यय की गई अन्य लागतें शामिल हैं। ऋण लागतों की सम्बद्धता प्रत्यक्ष रूप से किसी अधिग्रहण, निर्माण अथवा उत्पादन से होती है जो परिसम्पति की लागत के पूंजीयन के लिए आशित उद्देश्य से उपयोग अथवा बिक्री के लिए किसी निश्चित अवधि में पूर्ण अथवा निर्मित की जानी अपेक्षित होती है। अन्य सभी ऋण लागतों की स्वीकृति उनके व्यय के अनुसार लाभ एवं हानि विवरण में की गई है। ऋण लागतों में ऐसी विनिमय भिन्नता भी शामिल हैं जिन्हें ऋण लागतों के समायोजन के लिए उपयोग किया गया है।

2.14 कर्मचारी लाभ

क) अल्पकालिक कर्मचारी लाभ

वेतन, अल्पकालिक प्रतिपूर्ति छुट्टी एवं निष्पादन सम्बद्ध वेतन (पीआरपी) जैसे बारह माह की पूर्ण सेवा के पश्चात प्रदान किए जाने वाले लाभों का वर्गीकरण अल्पकालिक कर्मचारी लाभ के रूप में किया गया है तथा ऐसे लाभों की गैर–डिस्काउंटिड राशि को उस अवधि से संबंधित लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया गया है जिन अवधियों में कर्मचारी द्वारा सम्बद्ध सेवाएं प्रदान की गई हैं।

ख) सेवानिवृत्ति पश्चात लाभ और अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ

सेवानिवृत्ति पश्चात लाभ और अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ धारक कंपनी इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं, क्योंकि ये कर्मचारी धारक कंपनी से प्रतिनियुक्ति पर आए हैं।

2.15 पट्टे

कम्पनी द्वारा संविदा के प्रारंभ में ऐसे मूल्यांकन किए जाते हैं कि क्या संविदा पट्टा, अथवा अंतर्विष्ट पट्टा, है अथवा नहीं है। इसका अर्थ है कि क्या संविदा में संज्ञान में ली गई परिसम्पति के संबंध में किसी अवधि में उपयोग के नियंत्रण का अधिकार प्रतिफल के विनिमय के प्रति उपलब्ध है।

1) पट्टेदार के रूप में कम्पनी

कम्पनी द्वारा अल्पकालिक पट्टों तथा न्यून मूल्य की परिसम्पतियों के पट्टों के अलावा सभी पट्टों के संबंध में एकल स्वीकृति एवं मापन विधि का उपयोग किया जाता है। कम्पनी पट्टा दायित्वों की स्वीकृति पट्टा भुगतानों तथा उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियों के रूप में करती है जिससे अंतर्निहित परिसम्पतियां उपयोग अधिकार की प्रस्तुति करती हैं।

क) उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियां

- कम्पनी उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियों की स्वीकृति पट्टा प्रारंभ होने की तिथि (अथवा वह तिथि जब अंतर्निहित परिसम्पति उपयोग के लिए उपलब्ध होती है) के अनुसार करती है। उपयोग अधिकार वाली परिसम्पति का मापन किसी प्रकार के संचित मूल्यह्रास तथा क्षमता हानियों को घटाकर एवं पट्टा दायित्वों के किसी पुनःमापन में समायोजन करके लागत पर किया जाता है। उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियों की लागत में स्वीकृत पट्टा देयता क राशि, प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागतें, एवं किसी प्रकार के प्राप्त पट्टा प्रोत्साहनों को घटाकर प्रारंभ तिथि को अथवा उससे पूर्व किए गए पट्टा भुगतान शामिल हैं। उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियों का मूल्यह्रास पट्टा काल को कम करके तथा परिसम्पति के अनुमानित उपयोज्यता काल के अनुसार किया जाता है।

- यदि पट्टा की गई परिसम्पतियां पट्टा काल के अंत में कम्पनी को अंतरित की जाती है अथवा प्रस्तुत लागत में क्रय विकल्प का उपयोग मूल्य होता है तो मूल्यह्रास का आकलन परिसम्पति के अनुमानित उपयोज्यता काल के अनुसार किया जाता है।

- उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियां अक्षमता की शर्त पर भी होती है।

ख) पट्टा दायित्व

- कम्पनी द्वारा पट्टे की प्रारंभ तिथि को पट्टा काल के लिए चुकता किए जाने वाले पट्टा के वर्तमान मूल्य के अनुसार मापन किए गए पट्टा दायित्वों को स्वीकृति दी जाती है। पट्टा भुगतानों में किसी प्रकार के प्राप्य प्रोत्साहन घटाकर नियत भुगतान (सारभूत नियत भुगतान में शामिल), परिवर्तनीय पट्टा भुगतान जो सूचकांक अथवा किसी दर पर निर्भर हैं, तथा अवशेष मूल्य गारंटियों के अंतर्गत चुकता की जाने वाली संभावित राशियां शामिल है। पट्टा भुगतानों में क्रय विकल्प का उपयोग मूल्य भी शामिल होता है जिसका औचित्यपरक निश्चितता के साथ कम्पनी उपयोग कर सकती है, तथा पट्टों समाप्त करने, यदि पट्टा काल शर्तों में शास्तियों के भुगतान की व्यवस्था है, के विकल्प का उपयोग कर सकती है। व्यय के रूप में स्वीकृत किसी सूचकांक अथवा दर पर निर्भर न होने वाले परिवर्तनीय पट्टा भुगतान (यदि वे मालसूचियों के उत्पादन के लिए व्यय नहीं किए गए हैं) उनकी उत्पति की अवधि अथवा भुगतान किए जाने की स्थिति में किए जाते हैं।

- पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य का आकलन करते हुए कम्पनी पट्टा प्रारंभ तिथि से आवर्धित ऋण दर का उपयोग करती है क्योंकि पट्टे में अंतर्निहित ब्याज दर का सुगमता से निर्धारण नहीं किया जा सकता है। प्रारंभ तिथि के पश्चात पट्टा दायित्वों की राशि में ब्याज अभिवृद्धि की प्रस्तुति के लिए वृद्धि हो जाती है तथा किए गए पट्टा भुगतान कम हो जाते हैं। इसके अलावा, पट्टा दायित्वों के वहन मूल्य का पुनःमापन किसी प्रकार का संशोधन किए जाने, पट्टा काल में परिवर्तन किए जाने, पट्टा भुगतानों में परिवर्तन किए जाने (अर्थात पट्टा भुगतानों के निर्धारण के लिए प्रयुक्त किसी सूचकांक अथवा दर में परिवर्तन के परिणामस्वरूप भावी भुगतानों में परिवर्तन) अथवा अंतर्निहित परिसम्पति के क्रय के विकल्प के मूल्यांकन में परिवर्तन किए जाने की स्थिति में किया जाता है।

- कम्पनी के पट्टा दायित्वों को वित्तीय दायित्वों में शामिल किया जाता है।

ग) अल्पकालिक पट्टे तथा न्यून मूल्य वाली परिसम्पतियों के पट्टे

- कम्पनी द्वारा आवासीय परिसरों तथा कार्यालयों (अर्थात वे पट्टे जिनका पट्टा काल प्रारंभ की तिथि से 12 माह अथवा कम है तथा जो क्रय विकल्प के साथ नहीं हैं) के अपने अल्पकालिक पट्टा अनुबंधों में अल्पकालिक पट्टा स्वीकृति के लिए छूट का उपयोग किया जाता है। कम्पनी द्वारा कार्यालय उपकरणों, जो न्यून मूल्य के रूप में विचार में नहीं लिए गए हैं, के पट्टों के लिए पट्टे की न्यून मूल्य परिसम्पति छूट का उपयोग भी किया जाता है। अल्पकालिक पट्टों के पट्टा भुगतान तथा न्यून मूल्य परिसम्पतियों के पट्टों की स्वीकृति पट्टा काल के लिए सीधी रेखा आधार पर व्यय के रूप में की जाती है।

- कम्पनी द्वारा पट्टा लेखांकन में किए समायोजन इंड एएस 116 के अनुसार किए गए हैं जो 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी है तथा सभी सम्बद्ध आंकड़ों का पुनःवर्गीकरण /पुनःसमूहन इंड एएस–116 की अपेक्षाओं के प्रभाव से किया गया है।

ii) **पट्टाकार के रूप में कम्पनी**

वे पट्टे जिनमें कम्पनी मुख्य रूप से परिसम्पति से संबद्ध सभी जोखिम तथा प्रतिफल अंतरित नहीं करती है उनका वर्गीकरण परिचालन पट्टे के रूप में किया गया है। पट्टे के काल की अवधि के लिए सीधी रेखा आधार पर लेखांकित पट्टे से उत्पन्न किराया को उसकी परिचालन प्रकृति के कारण राजस्व के रूप में लाभ एवं हानि विवरण में शामिल किया गया है। परिचालन पट्टे के परक्रामण एवं व्यवस्थापन के दौरान व्यय की गई प्रत्यक्ष लागतें पट्टाकृत परिसम्पति की वहन राशि में जोड़ी गई हैं तथा उनकी स्वीकृति ब्याज आय के समान आधार पर पट्टा काल के लिए की गई है। आकस्मिक किरायों की स्वीकृति राजस्व के रूप में उनकी उत्पति होने पर की गई है।

2.16 चालू आय कर

- चालू आय कर एवं देयताओं का मापन सम्बद्ध कर विनियमों के अंतर्गत कराधान प्राधिकरणों से संभावित प्राप्य अथवा चुकता की जाने वाली राशियों के अनुसार किया गया है । चालू कर निर्धारण अवधि के लिए देय आय कर के संबंध में कर देयता के रूप में किया गया है तथा इसका आकलन सबंधित कर विनियमों के अनुसार किया गया है। चालू आय कर की स्वीकृति लाभ एवं हानि विवरण में की गई है जिसमें लाभ एवं हानि के ह्य स्वीकृत की गई मदों को शामिल नहीं किया गया है तथा इन मदों की स्वीकृति लाभ एवं हानि से बाह्य (अन्य व्यापक आय अथवा इक्विटी में) की गई है। चालू कर मदों की स्वीकृति सम्बद्ध संव्यवहार के संदर्भ में या तो अन्य व्यापक आय में की गई है या इन्हें प्रत्यक्ष रूप से इक्विटी में शामिल किया गया है। प्रबंधन द्वारा आवधिक रूप से कर विवरणियों में अपनी उन स्थितियों के संबंध में आवधिक मूल्यांकन किए जाते हैं जिनके लिए लागू कर विनियम व्याख्या तथा यथा लागू स्थापित प्रावधानों के अध्याधीन हैं।

- चालू कर परिसम्पतियों एवं कर दायित्वों का समंजन उन स्थितियों के लिए किया गया है जिनके संबंध में कम्पनी के पास समंजन का विधिक प्रवर्तनीय अधिकार है अथवा उनके संबंध में कम्पनी की मंशा निवल आधार पर उनका निपटान करने अथवा परिसम्पति की बिक्री करके एक साथ दायित्व का समाधान करने करने की है।

2.17 आस्थगित कर

- आस्थगित कर देयताओं की स्वीकृति परिसम्पतियों एवं देयताओं के कर आधारों तथा रिपोर्टिंग तिथि को वित्तीय रिपोर्टिंग के उद्देश्य से उनकी वहन राशियों के मध्य अस्थाई भिन्नताओं के संबंध में देयता विधि के उपयोग से की गई है।

- आस्थगित कर परिसम्पतियों का मापन उन कर दरों पर किया गया है जिनका उपयोग उस अवधि के लिए किया जाना संभावित है जब परिसम्पति का निपटान अथवा दायित्व का समाधान कर दरों के आधार (तथा कर विधियों) पर किया गया था जो प्रवर्तित हैं अथवा रिपोर्टिंग तिथि को प्रवर्तित किए गए हैं।

- आस्थगित कर परिसम्पतियों की स्वीकृति लाभ एवं हानि विवरण में की गई है जिसमें लाभ एवं हानि के बाह्य स्वीकृत की गई मदों को शामिल नहीं किया गया है तथा इन मदों की स्वीकृति लाभ एवं हानि से बाह्य (अन्य व्यापक आय अथवा इक्विटी में) की गई है। आस्थगित कर मदों की स्वीकृति सम्बद्ध संव्यवहार के संदर्भ में या तो अन्य व्यापक आय में की गई है अथवा इन्हें प्रत्यक्ष रूप से इक्विटी में शामिल किया गया है।

- आस्थगित कर परिसम्पतियों एवं देयताओं का समंजन तब किया जाता है जब चालू कर परिसम्पतियों एवं देयताओं के समंजन के लिए प्रवर्तनीय विधिक अधिकार उपलब्ध हो तथा जब आस्थगित कर परिसम्पतियों के शेष समान कराधान प्राधिकरण से संबंधित हों।

- आस्थगित आयकर परिसंपत्तियों की वहन राशि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को की जाती है और उस स्तर तक इसे कम किया जाता है जहां यह संभावना न रहे कि उपयोग की जाने वाली आस्थगित आयकर परिसंपत्ति या उसका भाग उपयुक्त कर लाभ के लिए उपलब्ध होगा। स्वीकृत न की गई आस्थगित कर परिसम्पतियों का पुनः मूल्यांकन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को किया जाता है तथा इनकी स्वीकृति उस स्तर तक की जाती है जिस स्तर तक यह संभावना बनी रहे कि इससे प्राप्त भावी करयोग्य लाभ से आस्थगित कर परिसम्पतियों की वसूली की जा सकेगी।

2.18 प्रचालन सेगमेंट

प्रचालन सेगमेंट को इस रूप में रिपोर्ट किया जाता है जो मुख्य प्रचालन निर्णय निर्धारक (सीओडीएम) को उपलब्ध आंतरिक रिपोर्टिंग के अनुसार हो। तदनुसार, कंपनी ने भौगोलिक स्थल के आधार पर एक प्रचालनिक रिपोर्टिंग सेगमेंटों की पहचान की है।

2.19 प्रति शेयर आमदनी

प्रति शेयर मूल आमदनी निर्धारित करने के लिए, समूह इक्विटी शेयरधारकों के प्रति निवल लाभ पर विचार करता है। प्रति शेयर मूल आमदनी के परिकलन में प्रयुक्त शेयरों की संख्या उस अवधि के दौरान बकार्यों शेयरों की संख्या का औसत है।

प्रति शेयर विलयित आमदनियों के निर्धारण के लिए, इक्विटी शेयरधारकों के प्रति निवल लाभ और इस अवधि के दौरान बकार्यों शेयरों की औसत संख्या को सभी विलयित संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभाव के लिए समायोजित किया जाता है।

2.20 विदेशी मुद्राएं

(i) कार्यात्मक एवं उपयोग की मुद्रा

- वित्तीय विवरणों में शामिल मदों का मापन उस प्राथमिक आर्थिक परिवेश की मुद्रा में किया गया है जिसमें इकाई अपने परिचालन ("कार्यात्मक मुद्रा") करती है। वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति भारतीय रूपए में की गई है जो कम्पनी की कार्यात्मक एवं उपयोग की मुद्रा भी है।

(ii) संव्यवहार एवं शेष

- विदेशी मुद्रा संव्यवहार कार्यात्मक मुद्रा में रिकार्ड किए गए हैं जिसके लिए संव्यवहार की तिथि के अनुसार कार्यात्मक मुद्रा एवं विदेशी मुद्रा के मध्य की विनिमय दर का उपयोग किया गया है।

- रिपोर्टिंग तिथि को बकाया विदेशी मुद्रा वाली मौद्रिक मदों को कार्यात्मक मुद्रा में क्लोजिंग दर (देयताओं के लिए क्लोजिंग बिक्री दर तथा परिसम्पतियों के लिए क्लोजिंग खरीद दर) पर परिवर्तित किया गया है। विदेशी मुद्रा के मूल्य वर्ग वाली गैर–मौद्रिक मदों का वहन उनकी ऐतिहासिक लागत पर संव्यवहार की तिथि की विनिमय दर पर किया गया है।

- मौद्रिक मदों के समाधान से उत्पन्न विनिमय दर भिन्नताओं, अथवा रिपोर्टिंग तिथि को की गई पुनःप्रस्तुति, के अनुसार उन दर भिन्नताओं पर किया गया है जो प्रारंभ में रिकार्ड की गई थी तथा लाभ एवं हानि विवरण में इनकी स्वीकृति इनकी उत्पति की अवधि में की गई थी। इन विनिमय भिन्नताओं की लाभ एवं हानि में प्रस्तुति निवल आधार पर की गई है।

2.21 उचित मूल्य मापन

(i) कम्पनी द्वारा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वित्तीय उपकरणों का उचित मूल्य पर मापन किया जाता है।

(ii) उचित मूल्य वह मूल्य है जो किसी परिसम्पति को बेचने अथवा किसी देयता को अंतरित करने के लिए दिए जाने के लिए बाजार प्रतिभागियों के साथ मापन की तिथि को प्राप्त होता है। उचित मूल्य मापन ऐसे अनुमान पर आधारित है जो परिसम्पति को बेचने के संव्यवहार अथवा देयता का अंतरण करने के उद्देश्य से या तो :

क) उत्तम बाजार में परिसम्पतियों अथवा देयताओं के लिए; अथवा

ख) उत्तम बाजार न होने पर परिसम्पतियों एवं देयताओं के अत्यधिक लाभकारी बाजार में। उत्तम अथवा लाभकारी बाजार कम्पनी की पहुंच के दायरे में होना चाहिए।

(iii) किसी परिसम्पति अथवा देयता के उचित मूल्य का मापन बाजार प्रतिभागियों के ऐसे अनुमानों के अनुसार यह मानकर किया जाता है कि वे इसमें आर्थिक उत्तम हित में बाजार प्रतिभागी क्रिया कर रहे हैं।

(iv) किसी गैर–वित्तीय परिसम्पति के उचित मूल्य का मापन उच्चतर एवं बेहतर उपयोग से परिसम्पति का उपयोग आर्थिक लाभों की उत्पति के संबंध में बाजार प्रतिभागियों की क्षमता को विचार में लेकर अथवा इसकी बिक्री किसी अन्य बाजार कर करके, जो परिसम्पति का उपयोग उच्चतर एवं बेहतर ढंग से कर सकता है, किया जाता है।

(v) कम्पनी द्वारा मूल्यांकन तकनीकी का उपयोग किया जाता है ऐसी परिस्थितियों के लिए उचित हैं तथा जिनके संबंध में वह पर्याप्त डेटा उचित मूल्य के मापन के उद्देश्य से उपलब्ध है, जिनसे सम्बद्ध प्रेक्षण योग्य इनपुट का अधिकतम उपयोग किया जा सकेगा तथा गैर–प्रेक्षण योग्य इनपुट का उपयोग न्यूनतम किया जा सकेगा।

(vi) सभी परिसम्पतियां एवं देयताओं, जिनके संबंध में उचित मूल्य पर मापन अथवा वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण किया गया है, का वर्गीकरण उचित मूल्य की तारतम्यता का अनुसरण करके किया गया है जो न्यूनतम स्तर के इनपुट पर आधारित है तथा पूर्ण रूप से उचित मूल्य पर मापन के लिए महत्वपूर्ण हैं:–

- स्तर 1 – समान प्रकार की परिसम्पतियों अथवा देयताओं के सक्रिय बाजारों में उद्धृत (गैर–समायोजित) बाजार मूल्य
- स्तर 2 – मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए न्यूनतम स्तर के इनपुट हैं जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रेक्षण योग्य उचित मूल्य मापन के लिए उपयोगी हैं।
- स्तर 3 – मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए न्यूनतम स्तर के इनपुट हैं जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से गैर–प्रेक्षण योग्य उचित मूल्य मापन के लिए उपयोगी हैं।

(vii) ऐसी परिसम्पतियों एवं देयताओं के संबंध में, जो आवर्ती आधार पर वित्तीय विवरणों में स्वीकृत की गई हैं, कम्पनी द्वारा स्तरों के मध्य के स्तरों पर तारतम्यता में अंतरण किए जाने के निर्धारण (न्यूनतम स्तर इनपुट पर आधारित जो पूर्ण उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण हैं) प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में किए जाते हैं।

(viii) महत्वपूर्ण परिसम्पतियों एवं देयताओं, यदि कोई हों, के लिए बाह्य मूल्यांककों की सेवाएं प्राप्त की जाती हैं। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को कम्पनी द्वारा उन परिसम्पतियों एवं देयताओं के मूल्य के संचलनों का विश्लेषण किया जाता है जिनका मापन अथवा पुनःमापन कम्पनी की लेखांकन नीतियों के अनुसार किया जाना अपेक्षित होता है।

(ix) उचित मूल्य के प्रकटीकरण के लिए कम्पनी द्वारा परिसम्पतियों एवं देयताओं के वर्ग उनकी प्रकृति, विशिष्टताओं एवं परिसम्पति अथवा देयता से जुड़े जोखिमों तथा ऊपर स्पष्ट की गई तारतम्यता के अनुसार उचित मूल्य के स्तर के आधार पर किए जाते हैं।

(x) ऊपर उचित मूल्य के लिए लेखांकन नीतियों का संक्षेप प्रस्तुत किया गया है। उचित मूल्य से संबंधित अन्य प्रकटीकरण सम्बद्ध नोटों में किए गए हैं।

2.22 शेयरधारकों को लाभांश

प्रदत्त/देय लाभांश को उस वर्ष के लिए स्वीकार किया जाताा है, जिस वर्ष संबंधित लाभांशों को यथा उपयुक्त निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

2.23 वित्तीय उपकरण

- वित्तीय उपकरण अनुबंध होते हैं जो किसी इकाई की वित्तीय परिसम्पति तथा किसी अन्य इकाई के किसी दायित्व अथवा वित्तीय उपकरण के संव्यवहार के लिए किए जाते हैं।

i) वित्तीय परिसम्पतियां

(क) प्रारंभिक स्वीकृति एवं मापन

- सभी वित्तीय परिसम्पतियों को उचित मूल्य जमा या घटा संव्यवहार लागतों पर स्वीकृत किया जाता है जो प्रत्यक्ष रूप से वित्तीय परिसम्पतियों (लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापण की गई परिसम्पतियों के अलावा) के अधिग्रहण या जारी करने से संबंधित हैं। वित्तीय परिसम्पतियों अथवा वित्तीय देयताओं से प्रत्यक्ष सम्बद्ध संव्यवहार लागतों को उनके उचित मूल्य पर लाभ एवं हानि के माध्यम से तुरंत लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृति दी जाती है।

(ख) अनुवर्ती मापन

- अनुवर्ती मापन के उद्देश्य वित्तीय परिसम्पतियों को चार वर्गों में वर्गीकृत किया गया हैः

क. परिशोधन लागत पर नामे उपकरण

- निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होने पर ऋण उपकरण का मापन परिशोधित लागत पर किया जाता हैः

क) परिसंपत्ति व्यवसाय मॉडल के अनुसार ही धारित है जिसे परिसंपत्ति से संविदागत रोकड़ प्रवाह एकत्रित करने के उद्देश्य से धारित किया गया है और

ख) परिसंपत्ति की संविदागत शर्तें रोकड़ प्रवाह के लिए विशिष्ट तिथियों को निर्धारित करती हैं जो विशिष्ट रूप से बकायों मूल राशि पर मूल और ब्याज का भुगतान है।

- ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन प्रभावी ब्याज दर विधि घटा हानि, यदि कोई हो, का प्रयोग करके परिशोधित लागत पर किया जाता है। ईआईआर परिशोधन को लाभ और हानि विवरण में वित्तीय आय में शामिल किया गया है। क्षमता हानि से उत्पन्न होने वाली हानियों को लाभ अथवा हानि में स्वीकृति दी जाती है। यह वर्ग सामान्यत व्यापार एवं अन्य प्राप्यों के लिए उपयोग में लाया जाता है।

ख. अन्य वृहत आय के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण उपकरण (एफवीटीओसीआई)

- निम्नलिखित दोनों मापदंड पूरे होने पर ऋण उपकरण का वर्गीकरण अन्य वृहत आय के माध्यम से उचित मूल्य पर किया जाता है :

क. व्यवसाय मॉडल का उद्देश्य संविदागत रोकड़ प्रवाहों को एकत्रित करके तथा वित्तीय परिसंपत्तियों के बेचकर दोनों माध्यमों द्वारा प्राप्त किया जाता है, और

ख. परिसंपत्ति की संविदागत शर्तें रोकड़ प्रवाह विशिष्ट रूप से मूल और ब्याज के भुगतान (एसपीपीआई) को प्रस्तुत करती हैं।

- एफवीटीओसीआई श्रेणी के शामिल ऋण उपकरणों को उचित मूल्य पर आरंभिक स्तर पर तथा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर मापा जाता है। उचित मूल्य संचलनों को अन्य वृहत आय (ओसीआई) में स्वीकार किया जाता है। तथापि, लाभ और हानि विवरण में कंपनी ब्याज आय, परिशोधित हानियों और प्रतिक्रमों तथा विदेशी विनिमय लाभ या हानि को स्वीकार करती है। परिसंपत्तियों को गैर–स्वीकार करने पर ओसीआई में पूर्व में स्वीकृत संचित लाभ या हानि को लाभ और हानि विवरण में इक्विटी से पुनःवर्गीकृत किया जाता है। अर्जित ब्याज को ईआईआर विधि का प्रयोग करते हुए स्वीकार किया जाता है।

ग. लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) पर ऋण उपकरण

- एफवीटीपीएलप ऋण माध्यमों के लिए अवशिष्ट श्रेणी है। कोई भी ऋण माध्यम, जो परिशोधित लागत या एफवी ओसीआई के रूप में श्रेणीकरण के मापदंड को पूरा नहीं करता है, को एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

- एफवीटीपीएल के वर्ग में शामिल ऋण उपकरणों का मापन लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर किया गया है।

ध. **इक्विटी उपकरण**

- इंड एएस–109 के कार्य क्षेत्र में इक्विटी निवेश का मापन उचित मूल्य पर किया जाता है। जो इक्विटी उपकरणएफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत व्यापार के लिए धारित किए गए हैं। अन्य सभी उपकरणों के लिए कम्पनी द्वारा उचित मूल्य पर अनुवर्ती परिवर्तन पर अन्य व्यापक आय में प्रस्तुत करने का अशोध्य चयन किया गया है। कम्पनी द्वारा ऐसे चयन उपकरण–वार आधार पर किए जाते हैं। ऐसे वर्गीकरण प्रारंभिक स्वीकृति पर किए जाते हैं तथा ये अशोध्य होते हैं।

- यदि कम्पनी किसी इक्विटी उपकरण का वर्गीकरण एफवीटीओसीआई के रूप में करने का निर्णय लेते है तो लाभांशों के अलावा उपकरण के सभी उचित मूल्य परिवर्तनों की स्वीकृति अन्य व्यापक आय में की जाती है। निवेश की बिक्री के पश्चात भी अन्य व्यापक आय में से राशियों का पुनःचक्रण लाभ एवं हानि विवरण में नहीं किया जाता है। तथापि, कम्पनी इक्विटी में संचित लाभ एवं हानि का अंतरण कर सकती है।

- एफवीटीपीएल वर्ग में शामिल इक्विटी उपकरणों का मापन उनके उचित मूल्य पर लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत सभी परिवर्तनों के साथ किया जाता है।

ड. **वित्तीय परिसम्पतियों की अक्षमता**

- ईसीएल उन सभी संविदागत नकद प्रवाहों के मध्य का अंतर है जो कम्पनी संविदा के अंतर्गत देय हैं तथा जो ऐसे नकद प्रवाहों से संबंधित हैं जिनकी प्राप्ति की प्रत्याशा इकाई (अर्थात सभी नकद न्यूनताएं), तथा जो मूल ईआईआर पर न्यून किए गए हैं।

- इंड एएस 109 के अनुसरण में कम्पनी द्वारा निम्नलिखित वित्तीय परिसम्पतियों एवं क्रेडिट ऋण जोखिमों से संबंधित प्रत्याशित क्रेडिट हानि (ईसीएल) मॉडल को मापन एवं अक्षमता हानि में स्वीकृति के लिए उपयोग किया गया हैः

क. वित्तीय परिसम्पतियां जो ऋण उपकरण हैं तथा जिनका मापन परिशोधन लागत अर्थात ऋण, डेब्ट सिक्योरिटियों, जमा, व्यापार प्राप्यों एवं बैंक शेष के लिए किया गया है।

ख. वित्तीय परिसम्पतियां जो ऋण उपकरण हैं तथा एफवीटीओसीआई पर मापन की गई हैं।

ग. इंड एएस 116 के अंतर्गत पट्टा प्राप्य

घ. व्यापार प्राप्य अथवा अन्य संविदागत अधिकार के अंतर्गत प्राप्त नकदी अथवा अन्य वित्तीय परिसम्पति जो ऐसे संव्यवहार से प्राप्त हो जो इंड एएस 115 के दायरे में है।

ङ. ऋण प्रतिबद्धताएं जिनका मापन एफवीटीपीएल के अनुसार नहीं किया गया है।

च. वित्तीय गारंटी अनुबंध जिनका मापन एफवीटीपीएल के अनुसार नहीं किया गया है।

- कम्पनी द्वारा निम्नलिखित के संबंध में अक्षमता हानि भत्ते की स्वीकृति के लिए ''सरल एप्रोच' का अनुसरण किया गया हैः

क. व्यापार प्राप्यों अथवा अनुबंध राजस्व प्राप्यों; तथा

ख. सभी ऐसे पट्टा प्राप्यों जिनके संव्यवहार इंड एएस 116 के दायरे में हैं।

- सरल एप्रोच की उपयोज्यता के लिए कम्पनी को क्रेडिट जोखिम में ट्रैक परिवर्तन नहीं करने होते हैं। इसके स्थान पर प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को लाइफटाइम ईसीएल पर आधारित क्षमता हानि भत्तों का उपयोग प्रारंभिक स्वीकृति की तिथि से किया जाता है।

- वित्तीय परिसम्पतियों एवं ऋण जोखिम पर क्षमता हानि के संज्ञान के लिए कम्पनी यह निर्धारण करती है कि क्या प्रारंभिक स्वीकृति के पश्चात से क्रेडिट जोखिम में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है अथवा नहीं हुई है। यदि क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई है तो 12 माह की ईसीएल का उपयोग क्षमता हानि के प्रावधान के लिए किया जाता है। तथापि, यदि क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि होने पर लाइफटाइफ ईसीएल का उपयोग किया जाता है। यदि किसी अनुवर्ती अवधि में उपकरण की क्रेडिट गुणवत्ता में सुधार आता है तथा प्रारंभिक संज्ञान के पश्चात से क्रेडिट जोखिम में कोई महत्वपूर्ण बढ़त नहीं होती है तो इकाई द्वारा 12 माह की ईसीएल पर आधारित क्षमता ानि भत्ते को समाप्त कर दिया जाता है।

- लाइफटाइम ईसीएल वे प्रत्याशित क्रेडिट हानियां हैं जो वित्तीय परिसम्पति के संभावित उपयोज्यता काल में संभव चूक घटनाओं के कारण उत्पन्न होती हैं। 12 माह ईसीएल लाइफटाइम ईसीएल का वह भाग है जो रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात 12 माह के दौरान संभावित चूक घटनाओं से उत्पन्न हुए हैं।

- ईसीएल क्षमता हानि भत्ता (अथवा रिवर्सल) की स्वीकृति आय/व्यय के रूप में लाभ एवं हानि विवरण में की जाती है। इस राशि की प्रस्तुति ''अन्य व्यय'' शीर्ष के अंतर्गत लाभ एवं हानि विवरण में की जाती है। विभिन्न वित्तीय उपकरणों के अंतर्गत तुलन पत्र की प्रस्तुति का वर्णन नीचे किया गया हैः–

- परिशोधित लागत पर मापन की गई वित्तीय परिसम्पतियां, संविदागत राजस्व प्राप्य एवं पट्टा प्राप्यः ईसीएल की प्रस्तुति एक भत्ते के रूप में अर्थात तुलन पत्र में ऐसी परिसम्पतियों के मापन के अभिन्न भाग के रूप में की जाती है। निवल वहन राशि में से भत्ता घटा दिया जाता है। परिसम्पति द्वारा बट्टा मापदंड पूरे न किए जाने तक कम्पनी

सकल वहन राशि में से क्षमता हानि भत्ते को कम नहीं करती है।

- ऋण प्रतिबद्धताएं एवं वित्तीय गारंटी संविदा : ईसीएल की प्रस्तुति तुलन पत्र में एक प्रावधान अर्थात एक दायित्व के रूप में की गई है।
- ऋण उपकरण का मापन एफवीटीओसीआई के अनुसार : ऋण उपकरणों का मापन एफवीओसीआई के अनुसार किया गया है, संभावित क्रेडिट हानियों से तुलन पत्र में वहन राशि कम नहीं हुई है जिससे यह उचित मूल्य पर होती है। परिसम्पति का मापन अन्य व्यापक आय में स्वीकृत परिशोधन लागत पर ''संचित परिशोधन राशि'' के रूप में करने की स्थिति में इसके स्थान पर भत्ते के समतुल्य एक राशि उत्पन्न होगी।
- कम्पनी द्वारा क्षीण क्रेडिट वाली वित्तीय परिसम्पतियों (पीओसीआई), अर्थात ऐसी परिसम्पतियां जिनका क्रेडिट क्रय / व्युत्पति पर क्षीण है, का क्रय अथवा व्युत्पति नहीं की गई है।

च. वित्तीय परिसम्पतियों की स्वीकृति समाप्ति

(क) किसी वित्तीय परिसम्पति (अथवा जहां लागू हो वित्तीय परिसम्पतियों का भाग अथवा समान प्रकार की वित्तीय परिसम्पतियों के समूह का भाग) की स्वीकृति तब समाप्त की जाती है जब वित्तीय परिसम्पतियों से प्राप्त होने वाले रोकड़ प्रवाहों के संविदागत अधिकार समाप्त हो जाते हैं अथवा जब वित्तीय परिसम्पतियां एवं अन्य सभी महत्वपूर्ण जोखिम एवं प्रतिफल अंतरित कर दिए जाते हैं।

(ख) वहन राशि एवं प्रतिफल के रूप में प्राप्त / प्राप्य राशि के मध्य के अंतर को लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृति दी जाती है।

ii) वित्तीय देयताएं

(क) प्रारंभिक स्वीकृति एवं मापन

- सभी वित्तीय देयताओं की स्वीकृति प्रारंभ में उचित मूल्य पर, तथा ऋण एवं उधार तथा देयताओं के मामले में संव्यवहार लागतों से प्रत्यक्ष सम्बद्ध निवल के अनुसार की जाती है।
- कम्पनी की वित्तीय देयताों में व्यापार एवं अन्य देयताएं,ऋण एवं उधार, अन्य वित्तीय देयताएं इत्यादि शामिल हैं।

(ख) अनुवर्ती मापन

- वित्तीय देयताओं का मापन नीचे प्रस्तुत विवरण के अनुसार उनके वर्गीकरण पर निर्भर है:

(क) लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएं

कम्पनी के पास एफवीटीपीएल के अंतर्गत किसी प्रकार की वित्तीय देयताएं नहीं हैं।

(ख) परिशोधन लागत पर वित्तीय देयताएं

क. ऋण, उधार, व्यापार देय एवं अन्य वित्तीय देयताएं

- प्रारंभिक स्वीकृति के पश्चात ऋण, उधार, व्यापार देय एवं अन्य वित्तीय देयताओं का अनुवर्ती मापन ईआईआर विधि के उपयोग से परिशोधन लागत पर किया जाता है। लाभ एवं हानियों को लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृति तब प्रदान की जाती है जब ईआईआर परिशोधन प्रक्रिया के माध्यम देयताओं की स्वीकृति समाप्त कर दी जाती है। परिशोधन लागत का आकलन किसी प्रकार की छूट अथवा अधिग्रहण प्रीमियम तथा शुल्क अथवा लागतों, जो ईआईआर का अभिन्न अंग हैं, को लेखे में लेकर किया जाता है। ईआईआर परिशोधन में लाभ एवं हानि विवरण की वित्त लागतों को शामिल किया जाता है।

ख. वित्तीय देयताओं की स्वीकृति समाप्ति

- किसी वित्तीय देयता की स्वीकृति तब समाप्त होती है जब देयता के दायित्व पूरे कर लिए जाते हैं अथवा रद्द हो जाते हैं अथवा कालातीत हो जाते हैं। जब कोई विद्यमान वित्तीय देयता के स्थान पर समान ऋणदाता से महत्वपूर्ण भिन्न शर्तों पर अथवा विद्यमान देयताओं की शर्तों की संशोधित शर्तों पर कोई बदलाव किया जाता है तो ऐसे विनिमय अथवा सुधार को मूल देयता की स्वीकृति समाप्ति मानकर नई देयता के प्रति स्वीकृति की जाती है। सम्बद्ध वहन राशियों की भिन्नताओं को लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत किया जाता है।

iii) वित्तीय गारंटी संविदाएं

कंपनी द्वारा जारी वित्तीय गारंटी संविदाएं वे संविदाएं हैं जिनमें कंपनी को ऋण माध्यम की शर्तों के अनुसार देय होने पर विशिष्ट ऋणदाता द्वारा भुगतान करने में विफल रहने की स्थिति में धारक को हुए घाटे की प्रतिपूर्ति किए जाने के लिए भुगतान की अपेक्षा होती है। वित्तीय गारंटी संविदाओं को आरंभिक तौर पर लागतों के संव्यवहारों के लिए समायोजित उचित मूल्य पर देयता के रूप में स्वीकार किया जाता है, को प्रत्यक्ष रूप से गारंटी के जारी किए जाने से संबंधित है। तत्पश्चात, देयता को इंड एएस 109 की हानि अपेक्षाओं के अनुसार निर्धारित घाटा भत्ते के राशि तथा स्वीकृत राशि घटा संचित परिशोधन, जो कोई भी अधिक हो, पर मापा जाता है।

iv) वित्तीय परिसम्पतियों का पुनःवर्गीकरण

कम्पनी वित्तीय परिसम्पतियों एवं देयताओं का वर्गीकरण प्रारंभिक स्वीकृति के समय निर्धारित करती है। प्रारंभिक स्वीकृति के पश्चात उन वित्तीय परिसम्पतियों का

पुनःवर्गीकरण नहीं किया जाता है जो इक्विटी उपकरण अथवा वित्तीय देयता होते हैं। ऋण उपकरणों की वित्तीय परिसम्पतियों के ए पुनःवर्गीकरण तभी किया जाता है जब ऐसी परिसम्पतियों के प्रबंधन के व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन हुआ हो। व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन की संभावना कभी कभार होती है। व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन तब होता है जब कम्पनी या किसी ऐसे कियाकलाप का निष्पादन करना प्रारंभ करती है अथवा समाप्त करती है जो उसके परिचालनों के लिए महत्वपूर्ण है। यदि कम्पनी वित्तीय परिसम्पतियों का वर्गीकरण करती है तो ऐसा पुनःवर्गीकरण उत्तरव्यापी प्रभाव से अगली रिपोर्टिंग अवधि के तत्काल निकट अगले दिन से व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन करके किया जाता है। कम्पनी स्वीकृत लाभों, हानियों (क्षमता लाभ अथवा हानियों सहित) अथवा ब्याज की पुनः प्रस्तुति नहीं करती है।

v) वित्तीय माध्यमों की ऑफसेटिंग

स्वीकृत राशियों का समंजन करने के संबंध में चालू प्रवर्तनीय संविदागत विधिक अधिकार होने तथा परिसम्पतियों से प्राप्ति एवं साथ ही साथ देयताओं का निपटान निवल आधार पर करने की मंशा होने की स्थिति में वित्तीय परिसम्पतियों एवं वित्तीय देयताओं, एवं तुलन पत्र में सूचित की गई राशियों का समंजन किया जाएगा।

2.24 बिकी के लिए धारित गैर–चालू परिसम्पतियां

(क) जब किसी परिसम्पति का धारण उसकी वहन लागत की वसूली मूलतः बिकी संव्यवहार के लिए किया जाता है तथा बिकी संव्यवहार की संभावना काफी विश्वसनीय होती है तो गैर–चालू परिसम्पतियां (अथवा निपटान समूह) का वर्गीकरण बिकी के लिए धारित परिसम्पतियों के रूप में किया जाता है। किसी बिकी को काफी विश्वसनीय तब माना जाता है जब परिसम्पति अथवा निपटान समूह अपनी वर्तमान स्थिति में बिकी के लिए उपलबध हो तथा बिकी न होने की संभावना न हो एवं बिकी की प्रकिया वर्गीकरण किए जाने से एक वर्ष में की जानी संभावित हो। बिकी के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत निपटान समूहों को उल्लिखित वहन राशि से कम मूल्य पर तथा बिकी की लागतों को घटाकर उचित मूल्य किया जाता है। बिकी के धारित का वर्गीकरण करने के पश्चात सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण, निवेश सम्पति एवं अमूर्त परिसम्पतियों का मूल्यह्रास अथवा परिशोधन नहीं किया जाता है। बिकी / वितरण के वर्गीकृत के साथ धारित परिसम्पतियों की प्रस्तुति तुलन पत्र में अलग से की जाती है।

(ख) यदि इंड एएस 105 ''बिकी के लिए धारित गैर–चालू परिसम्पतियां'' के उल्लिखित मापदंडों को पूरा नहीं किया जाता है तो बिकी के लिए धारित निपटान समूहों का वर्गीकरण समाप्त कर दिया जाता है। वर्गीकरण समाप्त की गई बिकी के लिए धारित गैर–चालू परिसम्पतियों का मापन

(1) बिक्री के लिए धारित गैर–चालू परिसम्पति के रूप में वर्गीकरण से पूर्व उसकी वहन राशि, मूल्यह्रास के समायोजन के पश्चात जो तब किया जाता जब बिक्री के धारित परिसम्पति का वर्गीकरण न होगा, तथा

(2) उस तिथि की उसकी वसूली योग्य राशि जब निपटान समूह का वर्गीकरण बिक्री के धारित के लिए समाप्त किया गया था, से न्यून किया जाता है।

मूल्यह्रास रिर्वसल समायोजन से संबंधित सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण, निवेश परिसम्पति तथा अमूर्त परिसम्पतियों को उस अवधि के लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता जिस अवधि में गैर–चालू परिसम्पतियों का धारण बिक्री के लिए किए जाने के मापदंड पूरे नहीं हो पाते हैं।

2.25 पूर्वावधि समायोजन

चालू वर्ष में पूर्वावधि से संबद्ध चूक / अकरण पाई जाने पर यदि प्रत्येक एवं अकरण का औसत कम्पनी के पिछले लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार कुल परिचालन राजस्व के 0.50 प्रतिशत से अधिक नहीं होता है तो उसका उपचार सारहीन रूप से किया जाता है तथा उसका समायोजन चालू वर्ष में किया जाता है।

2.26 महत्वपूर्ण लेखांकन अनुमान एवं निर्धारण

- उक्त वित्तीय विवरणों के निर्माण के लिए उपयोग में लाए गए अनुमानों का अनवरत मूल्यांकन कम्पनी द्वारा किया जाता है तथा ये ऐतिहासिक अनुभव एवं विभिन्न अन्य अनुमानों एवं कारकों (भावी घटनाओं की संभावनाओं सहित), जिनके प्रति कम्पनी का विश्वास विद्यमान परिस्थितियों के कारण औचित्यपरक रूप से है, पर आधारित होते हैं।

- ऐसे अनुमान ऐसे तथ्यों एवं घटनाओं पर आधारित होते हैं जो रिपोर्टिंग तिथि को विद्यमान हैं अथवा जिनका आस्तित्व इस तिथि के पश्चात हुआ है परन्तु विद्यमान स्थितियों के अनुसार रिपोर्टिंग तिथि को इनका आस्तित्व होने के अतिरिक्त प्रमाण उपलब्ध हैं। तथापि, कम्पनी द्वारा ऐसे अनुमानों, वास्तविक परिणामों का नियमित मूल्यांकन किया जाता है परन्तु ऐसे अनुमान आंके जाने के समय औचित्यपरक होते हुए इनके वास्तविक परिणाम सामग्रीगत रूप से भिन्न हो सकते हैं तथा ऐसे परिणाम ऐतिहासिक अनुभव अथवा अनुमानों से भिन्न होने पर भी पूरी तरह से सटीक नहीं होते हैं। अनुमानों में होने वाले परिवर्तनों की स्वीकृति उस अवधि के वित्तीय विवरणों में की जाती है जिस अवधि में ये ज्ञात होते हैं।

- रिपोर्टिंग तिथि को भावी एवं अन्य प्रमुख स्रोतों के अनुमानों की अनिश्चितता से संबंधित प्रमुख अनुमान, जिनमें अगले वित्तीय वर्ष में परिसम्पतियों एवं देयताओं की वहन राशियों में सामग्रीगत समायोजन की उत्पति का महत्वपूर्ण जोखिम व्याप्त है, का वर्णन नीचे किया गया है। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

(i) संग्रहित न किए गए व्यापार प्राप्यों के लिए प्रावधान

- व्यापार प्राप्यों के साथ ब्याज नहीं होता है तथा इनकी प्रस्तुत उनके सामान्य मूल्यों पर अनुमानित वसूलीयोग्य राशि पर छूट करके प्रदान की जाती है जो प्राप्य शेष एवं ऐतिहासिक अनुभवों पर आधारित होती है। व्यापार प्राप्यों का अलग अलग बट्टा तब किया जाता है जब प्रबंधन को उनकी वसूली संभव प्रतीत नहीं होती है।

(ii) आकस्मिताएं

- कम्पनी के प्रति व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के दौरान आकस्मिक देयताओं की उत्पति न्यायिक मामलों एवं अन्य दावों के परिणामस्वरूप होती है। ये ऐसे दायित्व होते हैं जिनके संबंध में प्रबंधन सभी उपलब्ध तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर संबंधित भुगतान अथवा कठिनाई के परिमाण के अनुमान विश्वसनीयता से नहीं आंक सकती है तथा ऐसे दायित्वों को आकस्मिक दायित्व मानकर इनका प्रकटीकरण नोटों में किया गया है। इस प्रकार, कम्पनी के फसाव वाली विधिक प्रक्रियाओं के अंतिम प्रतिफल का ऐसा कोई निश्चित प्रमाण नहीं है जिससे आकस्मिकताओं का सामग्रीगत प्रभाव का कम्पनी की वित्तीय स्थिति पर होने के विश्वसनीय अनुमान लगाए जा सके।

(iii) वित्तीय परिसम्पतियों की अक्षमता

- वित्तीय परिसम्पतियों के लिए अक्षमता प्रावधान चूक जोखिमों एवं संभावित हानि दरों के अनुमानों पर आधारित होते हैं। कम्पनी अपने विवेक का उपयोग करके ऐसे अनुमान लगाकर अक्षमता इनपुट का आकलन करती है जो कम्पनी के पूर्व इतिहास, बाजार स्थितियों के आधार एवं प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में लगाए जाने वाले वाले भावी अनुमानों पर आधारित होते हैं।

(iv) कर

- जटिल कर विनियमों की व्याख्या, कर विधियों में बदलाव एवं राशि एवं भावी करयोग्य आय के संबंध में अनिश्चितताएं व्याप्त होती हैं। व्यापार के स्वरूप के कारण वास्तविक परिणाम एवं लगाए गए अनुमानों अथवा ऐसे अनुमानों में भावी परिवर्तनों से होने वाली भिन्नताओं के कारण पहले से रिकार्ड की गई कर आय एवं व्यय में भविष्य में समायोजन करने पड़ सकते हैं। कम्पनी द्वारा ऐसे औचित्यपरक अनुमानों के आधार पर प्रावधान स्थापित किए गए हैं। ऐसे प्रावधानों की राशि पूर्व कर लेखापरीक्षा के अनुभव एवं करयोग्य इकाईयों द्वारा की गई कर की भिन्नताओं की व्याख्या जैसे विभिन्न कारकों पर आधारित होती है। व्याख्या में भिन्नता के कारण कम्पनी के कार्यक्षेत्र में व्याप्त परिस्थितियों से विभिन्न प्रकार के अनेक मामले उत्पन्न हो सकते हैं।

- आस्थगित कर परिसम्पतियों की स्वीकृति अप्रयुक्त कर हानियों के लिए उस विस्तार तक की जाती है जहां तक ऐसी विश्वसनीयता हो कि इससे करयोग्य लाभ प्राप्त होंगे जिनके प्रति हानियों का उपयोग किया जा सकेगा। आस्थगित कर परिसम्पतियों की राशि के स्वीकृति योग्य निर्धारण करने के लिए महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय की आवश्यकता होती है जो समय की अनुकूलता एवं भावी करयोग्य लाभ के स्तर के साथ साथ भावी कर योजना रणनीतियों पर आधारित होते हैं।

(v) गैर–वित्तीय परिसम्पतियों की अक्षमता

- अक्षमता तब उत्पन्न होती है जब किसी परिसम्पति रोकड़ उत्पति यूनिट का वहन मूल्य उसकी वसूलीयोग्य राशि से अधिक हो जाता है तथा जो उसकी निपटान लागतों एवं उपयोग मूल्य को घटाकर उचित मूल्य से अधिक होता है। उचित मूल्य घटाकर निपटान लागत के आकलन आर्म लैंथ पर किए गए बाध्यकारी बिक्री संव्यवहारों से उपलब्ध डेटा पर आधारित होते हैं जो परिसम्पति के निपटान की आवर्धित लागतों को घटाकर समान प्रकार की परिसम्पतियों अथवा प्रत्यक्ष बाजार मूल्यों के अनुसार होते हैं। उपयोग मूल्य का आकलन डीसीएफ मॉडल पर आधारित होता है।

(vi) बिक्री के लिए धारित गैर–चालू परिसम्पतियां

- जब किसी परिसम्पति का धारण उसकी वहन लागत की वसूली मूलतः बिक्री संव्यवहार के लिए किया जाता है तथा बिक्री संव्यवहार की संभावना काफी विश्वसनीय होती है तो गैर–चालू परिसम्पतियां (अथवा निपटान समूह) का वर्गीकरण बिक्री के लिए धारित परिसम्पतियों के रूप में किया जाता है। किसी बिक्री को काफी विश्वसनीय तब माना जाता है जब परिसम्पति अथवा निपटान समूह अपनी वर्तमान स्थिति में बिक्री के लिए उपलबध हो तथा बिक्री न होने की संभावना न हो एवं बिक्री की प्रक्रिया वर्गीकरण किए जाने से एक वर्ष में की जानी संभावित हो।

(vii) पट्टे – आवर्धित ऋण दर के अनुमान

- कम्पनी पट्टे की अंतर्निहित ब्याज दरों का निर्धारत तत्परता से नहीं कर सकती है, तदनुसार, कम्पनी द्वारा अपनी पट्टा देयताओं के मापन के लिए अपनी आवर्धित ऋण दर (आईबीआर) का उपयोग किया जाता है। आवर्धित ऋण दर वह ब्याज दर है जो कम्पनी को समान प्रकार की शर्तों पर, समान प्रकार की सुरक्षा के साथ, समान मूल्य पर परिसम्पति की प्राप्ति के लिए आवश्यक निधियों की प्राप्ति पर समान आर्थिक परिवेश में उपयोग अधिकार वाली परिसम्पति के लिए आवश्यक ऋण के प्रति भुगतान के लिए करने होते हैं।

(viii) नवीकरण एवं समापन विकल्प के साथ पट्टे के अनुबंध काल का निर्धारण – पट्टेदार के रूप में कम्पनी

- कम्पनी पट्टा काल का निर्धारण पट्टे को रद्द न किए जाने की शर्त के साथ करती है जिसमें पट्टे की किन्हीं अवधियों को विस्तारित करने, यदि इसका उपयोग करने की औचित्यपरक निश्चितता हो, अथवा पट्टे का समापन करने के विकल्प के साथ शामिल अवधियों, यदि इसका उपयोग न करने की औचित्यपरक निश्चितता हो, का समावेश होता है।

- कम्पनी द्वारा ऐसे पट्टा अनुबंध किए गए हैं जिनमें विस्तार एवं समापन के विकल्प हैं। कम्पनी अपने विवेक से यह ज्ञात करती है कि क्या किसी पट्टे का नवीकरण करने अथवा उसका समापन करने के विकल्प के उपयोग के प्रति किसी प्रकार के औचित्यपरक कारक हैं अथवा नहीं हैं। इस प्रकार के सभी सम्बद्ध कारकों पर विचार से कम्पनी के सम्मुख नवीकरण करने अथवा समापन करने के विकल्प के उपयोग का आर्थिक कारण प्रस्तुत हो जाता है। प्रारंभ तिथि के पश्चात कम्पनी पट्टा काल का मूल्यांकन करके यह ज्ञात करती है कि क्या परिस्थितियों में किसी प्रकार की ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं अथवा बदलाव हुए हैं जो उसके नियंत्रण में हैं तथा जिनके प्रभाव से कम्पनी को नवीकरण अथवा समापन करने के विकल्प का उपयोग करना पड़ सकता है अथवा नहीं करना पड़ सकता है (अर्थात महत्वपूर्ण पट्टाधारित सुधार अथवा पट्टाधारित परिसम्पतियों में महत्वपूर्ण बदलाव)।

(ix) राजस्व स्वीकृति

- कम्पनी की एक राजस्व मान्यता नीति है जिसके उपयोग से कम्पनी प्रत्येक वित्तीय वर्ष में निर्वाह किए गए कार्यों का मूल्यांकन करके प्रभाव ज्ञात करती है।

- इन नीतियों में किए गए अनुबंधों के प्रतिफल से संबंधित पूर्वानुमान किए जाने की अपेक्षा की गई है जिसके लिए कार्यक्षेत्र एवं दावों तथा भिन्नताओं के संबंध मूल्यांकन एवं निर्णय लिए जाने अपेक्षित होते हैं।

- अनेक ऐसी दीर्घकालिक एवं जटिल परियोजनाएं हैं जिनके लिए कम्पनी द्वारा अनुबंध पात्रताओं के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय निर्धारण किए गए हैं। इनके संभावित प्रतिफलों के परिणाम से इनकी लाभप्रदत्ता एवं नकदी प्रवाह में होने वाले सामग्रीगत सकारात्मक अथवा नकारात्मक परिवर्तन हो सकते हैं।

अनुबंध के नीचे उल्लिखित कारकों के संबंध में भी अनुमान लगाए जाने अपेक्षित होते हैं।

- कार्य की पूर्णता के चरण का निर्धारण
- परियोजना पूर्ण होने की तिथि के अनुमान
- संभावित हानियों के लिए प्रावधान
- दावों एवं भिन्नताओं सहित कार्य निष्पादन के लिए कुल राजस्व एवं कुल अनुमानित लागतों के अनुमान

अनुबंध से संबंधित लागतों एवं राजस्व का संज्ञान अनुबंध कियाकलापों की पूर्ति के चरण के अनुसार रिपोर्टिंग अवधि के अंत में किया जाता है जो अनुमानित कुल अनुबंध लागतों की संबंधित तिथियों तक निष्पादित किया गया है जो कि इसकी पूर्णता का चरण नहीं माना जाना है। अनुबंध कार्य की भिन्नताओं तथा दावों को इस विस्तार तक शामिल किया जाता है जिससे इसकी राशियों से मापन विश्वसनीयता के साथ किया जा सके तथा उनकी प्राप्ति की पूर्ण संभावना हो। जब अनुबंध लागतें कुल अनुबंध राजस्व से अधिक होने की संभावना होती है तो तत्काल संभावित हानि की स्वीकृति व्यय के रूप में की जाती है।

3 **परिसंपत्ति संयंत्र और उपकरण**

(रूपए करोड में)

	कम्प्यूटर	मोबाइल हैंडसेट	अन्य उपकरण	फर्नीचर व फिक्सचर	कैन्वास, कैम्प और अस्थायी शैड	वाहन	कुल
सकल वहन राशि (लागत पर)							
31 मार्च 2018 को	**0.01**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0.01**
संवर्धन	0.03	-	0.02	0.02	-	-	0.07
निपटान/समायोजन	-	-	-	-	-	-	-
परिसंपत्ति के प्रयोग के अधिकार का अंतरण							
बिक्री हेतु धारित परिसंपत्ति का अंतरण							
विनिमय लाभ/हानि	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च 2019 को	**0.04**	**-**	**0.02**	**0.02**	**-**	**-**	**0.08**
परिसंपत्ति के प्रयोग के अधिकार का अंतरण							
1 अप्रैल 2019 को	**0.04**	**-**	**0.02**	**0.02**	**-**	**-**	**0.08**
संवर्धन	-	-	0.01	-	-	-	0.01
निपटान/समायोजन	-	-	-	-	-	-	-
बिक्री हेतु धारित परिसंपत्ति का अंतरण							
विनिमय लाभ/हानि	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च 2020 को	**0.08**	**-**	**0.05**	**0.04**	**-**	**-**	**0.09**
मूल्यह्रास और हानि							
31 मार्च 2018 को	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
वर्ष हेतु प्रभारित मूल्यह्रास	0.01	-	0.003	0.002	-	-	0.02
हानि	-	-	-	-	-	-	-
निपटान/समायोजन	-	-	-	-	-	-	-
परिसंपत्ति के प्रयोग के अधिकार का अंतरण							
बिक्री हेतु धारित परिसंपत्ति का अंतरण							
विनिमय लाभ/हानि	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च 2019 को	**0.01**	**-**	**0.00**	**0.00**	**-**	**-**	**0.02**
परिसंपत्ति के प्रयोग के अधिकार का अंतरण							
1 अप्रैल 2019 को	**0.01**	**-**	**0.00**	**0.00**	**-**	**-**	**0.02**
वर्ष हेतु प्रभारित मूल्यह्रास	0.01	-	0.00	0.00	-	-	0.01
हानि	-	-	-	-	-	-	-
निपटान/समायोजन	-	-	-	-	-	-	-
विनिमय लाभ/हानि	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च 2020 को	**0.03**	**-**	**0.01**	**0.01**	**-**	**-**	**0.03**
निवल बही मूल्य							
31 मार्च 2020 को	**0.05**	**-**	**0.04**	**0.03**	**-**	**-**	**0.06**
31 मार्च 2019 को	**0.03**	**-**	**0.02**	**0.02**	**-**	**-**	**0.07**
31 मार्च 2018 को	0.01	-	-	-	-	-	0.01

फुट नोट-
i) निवल बही मूल्य पर अन्य चालू परिसंपत्तियों के बिक्री/समायोजन कॉलन मौर अंतरण के लिए धारित नियत परिसंपत्तियां

परिसंपत्तियों का ब्लॉक	परिसंपत्तियों का विवरण	निपटान की विधि व संभावित समय	गैर चालू परिसंपत्तियों से संभावित हानि/लाभ	सेगमेंट	31 मार्च 2020 को		31 मार्च 2019 को	
					सकल ब्लॉक	निवल ब्लॉक	सकल ब्लॉक	निवल ब्लॉक

iii) लाभऔर हानि विवरण में नामे किए गए वर्ष हेतु परिसंपत्तियों, संयंत्र और उपकरण का मूल्यह्रास औरहानि निम्नानुसार है:

विवरण	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
मूर्त संपत्तियों पर मल्यह्रास	0.02	0.02
क्षतिपर्ति हानि	-	-
कुल	0.02	0.02

4 अमूर्त परिसंपत्तियां

विवरण	विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां (रूपए करोड में)	अमूर्त परिसंपत्तियां (टोल एकत्रण) (संदर्भ नोट 24) (रूपए करोड में)	अन्य अमूर्त (साफ्टवेयर) (रूपए करोड में)
सकल ब्लॉक			
31 मार्च 2018 को समापन शेष	**682.53**		-
वर्ष के दौरान संवर्धन	44.25	726.78	-
वर्ष के दौरान पूंजीकरण	(726.78)	-	-
वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन	-		-
31 मार्च 2019 को समापन शेष	**-**	**726.78**	**-**
वर्ष के दौरान संवर्धन	-	-	-
वर्ष के दौरान निपटान /समायोजन	-	-	-
31 मार्च 2020 को समापन शेष	**-**	**726.78**	**-**
परिशोधन एवं हानि			
31 मार्च 2018 को समापन शेष	**-**		**-**
वर्ष के दौरान संवर्धन	-	34.37	-
वर्ष के दौरान बिक्री/समायोजन	-	-	-
31 मार्च 2019 को समापन शेष	**-**	**34.37**	**-**
वर्ष के दौरान संवर्धन	-	41.52	-
वर्ष के दौरान बिक्री/समायोजन	-	-	-
31 मार्च 2020 को समापन शेष	**-**	**75.89**	**-**
निवल बही मूल्य			
31 मार्च 2020 को	**-**	**650.89**	**-**
31 मार्च 2019 को	**-**	**692.41**	**-**

5 **गैर चालू परिसंपत्तियां - अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां**

(रूपए करोड में)

विवरण	**31 मार्च 2020**	**31 मार्च 2019**
<u>क) वसूली योग्य - अरक्षित</u>		
प्रतिभूति जमा राशियां		
- सरकारी विभाग	-	-
- अन्य	0.15	0.11
कुल - अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	**0.15**	**0.11**
ख) संदिग्ध समझे गए		
कुल - अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां - संदिग्ध	**-**	**-**
सकल योग अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	**0.15**	**0.11**

6 अस्थगित कर परिसंपत्तियों और आय कर

इंड एएस 13 "आयकर" के अनुसरण में प्रकटन

(क) 31 मार्च 2020 तथा 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु आय कर व्यय के प्रमुख घटक हैं:

(रूपए लाख में)

क्र.सं.	विवरण	को समाप्त वर्ष	
		31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
1	**लाभ और हानि खंड**		
	चालू आय कर:		
	चालू आय कर प्रभा	-	-
	पिछले वर्ष के चालू आयकर के संबंध में समायोजन	0.03	-
	आस्थगित कर:		
	अस्थायी अंतरों के समायोजन एंव प्रतिक्रम से संबंधित	0.07	0.10
	लाभ और हानि खंड में प्रस्तुत आयकर व्यय	**0.10**	**0.10**
2	**अन्य वृहत आय (ओसीआई) खंड**		
	वर्ष के दौरान ओसीआई में स्वीकृत मदों से संबंधित आयकर		
	निर्धारित लाभ योजनाओं के पुन:मापन पर निवल घाटा/(लाभ)	-	-
	विदेशी प्रचालन अंतरण पर निवल घाटा/(लाभ)	-	-
	ओसीआई खंड में प्रस्तुत आयकर व्यय	**-**	**-**

(ख) 31 मार्च 2020 तथा 31 मार्च 2019 के लिए भारत के घरेलू कर दर द्वारा गुणा कर व्यय और लेखांकन लाभ का समायोजन:

(रूपए लाख में)

क्र.सं.	विवरण	को समाप्त वर्ष	
		31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
1	आयकर से पूर्व लेखांकन लाभ	(30.73)	(30.53)
2	आयकर अधिनियम,1961 के अनुसार निगमित कर दर	25.168%	26.000%
3	लेखांकन लाभ पर कर (3) = (1) * (2)	-	-
4	कर समायोजन प्रभाव:		
(i)	पूर्ववर्ती वर्षों के चालू आयकर के संबंध में समायोजन	0.03	0.10
(ii)	पिछले अस्वीकृत कर घाटों का उपयोग	-	-
(iii)	दर अंतर प्रभाव	-	-
(iv)	कर से छूट प्राप्त आय पर कर	-	-
(v)	कर प्रयोजनों हेतु गैर कटौती योग्य व्यय		
	अन्य देशों के अतिरिक्त कर	-	-
	अन्य गैर कटौती योग्य व्यय	-	-
(vi)	विभिन्न अन्य मदों पर प्रभाव	0.07	-
5	**लाभ एवं हानि विवरण में प्रस्तुत आयकर व्यय**	**0.10**	**0.10**
6	प्रभावी कर दर		

(ग) तुलन पत्र और लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत आस्थगित कर (परिसंपत्तियां) और देयताएं

(रूपए लाख में)

क्र.सं.	विवरण	तुलन पत्र		लाभ हानि विवरण	
		31 मार्च 2020	31 मार्च 2019	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
1	परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण (अमूर्त सहित) : बही में अंतर-मूल्यह्रास एवं आयकर मूल्यह्रास	(60.92)	-	(60.92)	-
2	प्रावधान	-	-	-	-
3	अन्य	60.92	0.07	60.85	(0.10)
4	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43बी के अंतर्गत अस्वीकृत मदें	-	-	-	-
5	चालू वर्ष और पूर्ववर्ती वर्षों में लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित व्यय का प्रभाव किन्तु भुगतान आधार पर कर प्रयोजन हेतु स्वीकार्य।	-	-	-	-
6	वित्तीय माध्यमों का उचित मूल्यांकन	-	-	-	-
7	एफवीटीओसीआई इक्विटी प्रतिभूतियों और एफवीटीपीएल म्यूचुवल फंड पर अप्रयुक्त लाभ/हानि	-	-	-	-
	निवल आस्थगित कर परिसंपत्तियां/(देयताएं)	**-**	**0.07**	**(0.07)**	**(0.10)**

^^ Deferred Tax Assets arising on account of Business losses has been restricted to the Deferred Tax Liability arising from PPE and Intangible Assets as a matter of conservatism. Deferred Tax asset of Rs 15.54 Crores has not been recognised as a matter of prudence, in line with Accounting policy 2.17

(घ) तुलन पत्र में प्रदर्शित निम्नानुसार:

(रूपए लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
1	आस्थगित कर परिसंपत्तियां	60.92	0.07
2	आस्थगित कर देयताएं	(60.92)	-
	आस्थगित कर परिसंपत्तियां/(देयताएं) (निवल)	**-**	**0.07**

नोट: आस्थगित कर परिसंपत्तियों और आस्थगित कर देयताओं को ऑफसेट किया गया है क्योंकि वे समान शासी नियमों से संबंधित हैं।

(ड.) आस्थगित कर (देयताओं) और परिसंपत्तियों का समायोजन :

31 मार्च 2020 को **(रूपए लाख में)**

क्र.सं	विवरण	1अप्रैल 2019 को शेष (निवल)	लाभ व हानि विवरण में स्वीकृत	ओसीआई में स्वीकृत	31 मार्च 2020 को शेष (निवल)
1	परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण (अमूर्त सहित) : बही में अंतर-मूल्यह्रास एवं आयकर मूल्यह्रास	-	(60.92)	-	(60.92)
2	प्रावधान	-	-	-	-
3	अन्य	0.07	60.85	-	60.92
4	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43बी के अंतर्गत अस्वीकृत मदें	-	-	-	-
5	चालू वर्ष और पूर्ववर्ती वर्षों में लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित व्यय का प्रभाव किन्तु भुगतान आधार पर कर प्रयोजन हेतु स्वीकार्य।	-	-	-	-
6	वित्तीय माध्यमों का उचित मूल्यांकन	-	-	-	-
7	एफवीटीओसीआई इक्विटी प्रतिभूतियों और एफवीटीपीएल म्यूचुवल फंड पर अप्रयुक्त लाभ/हानि	-	-	-	-
	निवल आस्थगित कर परिसंपत्तियां/(देयताएं)	0.07	(0.07)	-	-

31 मार्च 2019 को **60.92**

क्र.सं	विवरण	1अप्रैल 2018 को शेष (निवल)	लाभ व हानि विवरण में स्वीकृत	ओसीआई में स्वीकृत	31 मार्च 2019 को शेष (निवल)
1	परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण (अमूर्त सहित) : बही में अंतर-मूल्यह्रास एवं आयकर मूल्यह्रास	-	-	-	-
2	प्रावधान	0.00	-	-	-
3	अन्य	0.17	(0.10)	-	**0.07**
4	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43बी के अंतर्गत अस्वीकृत मदें	0.00	0.00	-	-
5	चालू वर्ष और पूर्ववर्ती वर्षों में लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित व्यय का प्रभाव किन्तु भुगतान आधार पर कर प्रयोजन हेतु स्वीकार्य।	0.00	-	-	-
6	वित्तीय माध्यमों का उचित मूल्यांकन	0.00	0.00	-	-
7	एफवीटीओसीआई इक्विटी प्रतिभूतियों और एफवीटीपीएल म्यूचुवल फंड पर अप्रयुक्त लाभ/हानि	0.00	0.00	-	-
	निवल आस्थगित कर परिसंपत्तियां/(देयताएं)	0.17	-0.10	-	0.07

7.1 चालू वित्तीय परिसंपत्तियां - व्यापार प्राप्य

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
अरक्षित वसूली योग्य		
व्यापार प्राप्य (संदर्भ नोट सं. 34 ग)	0.14	0.70
संदिग्ध समझे गए		
व्यापार प्राप्य	-	-
घटा-संदिग्ध ऋणों के लिए हानि प्रावधान	-	-
कुल	**0.14**	**0.70**

7.2 चालू वित्तीय परिसंपत्तियां - रोकड़ और रोकड़ समतुल्य

(रूपए करोड में)

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
उपलब्ध रोकड		-	-
उपलब्ध चैक/ड्राफ्ट		-	-
पारगमन में प्रेषण		-	-
*बैंकों में शेष**			
चालू खाता		0.02	0.01
फ्लैक्सी खाता		3.30	6.10
तीन महीने से कमी की मूल परिवक्वता वाली जमा राशि		-	3.50
		3.32	**9.61**

** उपर्युक्त शेष एस्क्रो खाते से संबंधित है, जो एनएचएआई के साथ किए गए रियायत करार के अनुसार निर्धरित निधि है।*

चालू वित्तीय परिसंपत्तियां - अन्य बैंक शेष

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
अन्य बैंक शेष		
तीन महीने से अधिक किन्तु 12 महीनों से कमी की मूल परिवक्वता वाली जमा राशि	-	-
ठेकेदारों से प्राप्त सावधि जमा खाते	-	-
	-	**-**

7.3 चालू वित्तीय परिसिंपत्तियां - ऋण

(रूपए करोड में)

विवरण	**31 मार्च 2020**	**31 मार्च 2019**
<u>क. वसूली योग्य रक्षित</u>		
कर्मचारी ऋण एवं अग्रिम	-	-
कुल (क) - रक्षित ऋण	**-**	**-**
<u>ख. अरक्षित, वसूली योग्य</u>		
(i) संबंधित पक्षों को ऋण:		
(ii) अन्य:		
कर्मचारी ऋण एवं अग्रिम	-	-
कुल (ख) - वसूली योग्य: अरक्षित (i) + (ii)	**-**	**-**
सकल योग	**-**	**-**

7.4 चालू परिसंपत्तियां - अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

(रूपए करोड में)

विवरण	**31 मार्च 2020**	**31 मार्च 2019**
<u>क) वसूली योग्य : अरक्षित</u>		
संचित ब्याज:		
बैंक में जमा राशियां	0.01	0.03
अन्य वसूली योग्य ^^	0.41	-
कुल - अन्य वित्तीय परिसंपत्यिां -साध्य	**0.42**	**0.03**
ग) संदिग्ध समझे गए		
<u>प्रतिभूति जमा राशियां</u>		
-सरकारी विभाग	-	-
-अन्य	-	-
स्टाफ को अग्रिम पर संचित ब्याज	-	-
बयाना जमा राशि	-	-
-ग्राहकों के पास प्रतिधारण राशि	-	-
-ग्राहकों से आहरित राशि	-	-
अन्य	-	-
घटा : संदिग्ध वित्तीय परिसंपत्यिों (अन्य) हेतु हानि प्रावधान	-	-
कुल - अन्य वित्तीय परिसंपत्यिां - संदिग्ध	**-**	**-**
सकल योग - अन्य वित्तीय अन्य	**0.42**	**0.03**

^^= कोविड 19 लॉकडाउन के कारण र्मा 2020 में प्रदत्त अतिरिक्त रियायत शुल्को के कारण एनएचएआई से 0.41 करोड रूपए सहित अन्य वसूलियां, जो एनएचएआई से आगामी महीनों में वसूलीयोगय हैं।

कंपनी, फर्मों के अधिकारियों को देय ऋण, जिसमें कोई भी निदेशक एक भागीदार है या निजी कंपनी जिसमें कोई भी निदेशक सदस्य है जेवी और सहायक कंपनियों को छोड़कर शून्य रूपए (शून्य रूपए)।

निदेशकों से देय राशि का विवरण **(रूपए करोड में)**

विवरण	**31 मार्च 2020**	**31 मार्च 2019**
स्टाफ के ऋण व अग्रि से संचित ब्याज सहित निदेशकों से देय राशि	-	-
कुल		

8 **चालू परिसंपत्तियां - चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)**

(रूपए करोड में)

विवरण	**फुट नोट**	**31 मार्च 2020 को**	**31 मार्च 2019 को**
टीडीएस एवं अग्रिम कर सहित प्रदत्त कर (कर के लिए प्रावधान का निवल)		0.75 -	1.91 -
चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)		**0.75**	**1.91**

9 **अन्य चालू परिसंपत्तियां**

(रूपए करोड में)

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
वसूलीयोग्य : अरक्षित			
क) पूंजीगत अग्रिमों से इतर अग्रिम			
सामग्री और मशीनरी के प्रति ठेकेदारों को अग्रिम		-	-
ठेकेदारों आपूर्तिकर्ताओं व अन्यों को अग्रिम		-	-
वसूली योग्य अग्रिम			
- बिक्री कर (टीडीएस सहित)		-	-
धटा विरोध के कारण जमा		-	-
- मूल्य संवर्धन कर		-	0.43
- वस्तु एवं सेवा कर		-	-
- सेवाकर इनपुट ऋण		-	-
प्रतिभूति जमा राशियां			
संचित ब्याज			
जमा राशि व अग्रिम :			
- टेकेदार अपूर्तिकर्ता एवं अन्य		-	-
निपटान के लिए धारित परिसंपत्तियां		-	-
पूर्व प्रदत्त व्यय		0.34	-
उचित मूल्य समायोजन		-	-
पट्टा समता		-	-
कुल - अन्य		**0.34**	**0.43**
ख) संदिग्ध समझे गए			
ठेकेदारों आपूर्तिकर्ता एवं अन्यों को अग्रिम		-	-
बिक्री कर (टीडीएस सहित)		-	-
अन्य		-	-
मूल्य संवर्धन कर		-	-
घटा: संदिग्ध अग्रिमों के लिए हानि प्रावधान		-	-
कुल - संदिग्ध समझे गए		**-**	**-**
सकल योग		**0.34**	**0.43**

10 इक्विटी शेयर पूंजी

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
प्राधिकृत शेयर पूंजी		
15,00,00,000 इक्विटी शेयर प्रति 10 रूपए	150.00	150.00
	150.00	150.00
जारी/अंशदायी और प्रदत्त पूंजी		
15,00,00,000 इक्विटी शेयर प्रति 10 रूपए	150.00	150.00
	150.00	150.00

कंपनी में शेयरधारकों की धारिता का विवरण

शेयरधारक का नाम		31 मार्च 2020 को		31 मार्च 2019 को	
		शेयरों की संख्या	श्रेणी में प्रतिशत धारिता	शेयरों की संख्या	श्रेणी में प्रतिशत धारिता
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (धारक कंपनी-इरकॉन)		1500,00,000	**100.00**	1500,00,000	**100.00**
		-	**-**	-	**-**
		-	**-**	-	**-**
		-		-	
कुल		**1500,00,000**	**100**	**1500,00,000**	**100**

रिपोर्टिंग अवधि से तत्काल पूर्व के पांच वर्षो की अवधि के दौरान बोनस के रूप में जारी इक्विटी शेयर नकदी से इतर खरीदे गए शेयर और बाय बैक किए

विवरण	31 मार्च 2020 को		31 मार्च 2019 को	
	शेयरों की संख्या	रूपए करोड़ में	शेयरों की संख्या	रूपए करोड़ में
अवधि के आरंभ में बकाया जारी/अंशदायी और प्रदत्त इक्विटी पूंजी	1500,00,000	150.00	1500,00,000	150.00
जमा: अवधि के दौरान जारी शेयर	-	-	-	-
घटा: वर्ष के दौरान बायबैक शेयर	-	-	-	-
अवधि के अंत में बकाया जारी/अंशदायी और प्रदत्त इक्विटी पूंजी	**1500,00,000**	**150.00**	**1500,00,000**	**150.00**

11 **अन्य इक्विटी**

(रूपए करोड में)

विवरण	**31 मार्च 2020 को**	**31 मार्च 2019 को**
प्रतिधारित आमदनी	(62.19)	(31.36)
सामान्य आरक्षित निधि	-	-
पूंजी रिडेंप्शन आरक्षित निधि	-	-
अन्य वृहत आय	-	-
कुल	**(62.19)**	**(31.36)**
<u>निम्नानुसार संचलन:</u>		
(क) प्रतिधारण आमदनी		
आरंभिक शेष	(31.36)	(0.73)
जमा: लाभ एवं हानि विवरण में अतिरेक से अंतरण	(30.83)	(30.63)
समापन शेष	**(62.19)**	**(31.36)**
(ख) सामान्य आरक्षित निधि		
आरंभिक शेष	-	-
समापन शेष	**-**	**-**
(ग) पूंजी रिडम्पशन आरक्षित निधि		
आरंभिक शेष	-	-
जमा: इक्विटी शेयरों के बायबैक हेतु अंतरण	-	-
समापन शेष	**-**	**-**
<u>(घ) अन्य वृहत आय की मदें</u>		
आरंभिक शेष	-	-
विदेशी मुद्रा अंतरण (कर का निवल)	-	-
समापन शेष	**-**	**-**
सकल योग	**(62.19)**	**(31.36)**

<u>अन्य आरक्षिति निधियों की प्रकृति और प्रयोजन</u>

(क) प्रतिधारित आमदनियां

कंपनी के अवितरित लाभों को प्रस्तुत करती प्रतिधारित आमदनियां

(ख) सामान्य आरक्षित निधि

सामान्य आरक्षित निधि सांविधिक आरक्षित निधि को दर्शाता है, जो कॉर्पोरेट कानून के अनुसार है जिसमें लाभ का एक भाग सामान्य आरक्षित निधि में समायोजित किया जाता है। कंपनीअधिनियम, 2013 के तहत, सामान्य आरक्षित निधि के लिए किसी भी राशि का हस्तांतरण कंपनी के विवेक पर निर्भर करता है।

(ग) अन्य वृहत आय की मदें

अन्य वहत आय विदेशी प्रचालनों के अंतरणपर विनिमय अंतर के कारण उत्पन्न शेष को प्रदर्शित करता है।

12 **गैर-चालू देयताएं - वित्तीय देयताएं**

12.1 **गैर-चालू वित्तीय देयताएं - ऋण**

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
रक्षित:		
(क) धारक कंपनी (इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड) से ऋण (नीचे नोट और 13.1 का संदर्भ लें)	540.87	516.66
	-	-
कुल	**540.87**	**516.66**

नोट:

*** ऋण की शर्तें एवं निबंधन**

i) कंपनी ने कुल परियोजना लागत को पूरा करने के लिए समझौते की शर्तों और निबंधनों के अनुसार अपनी होल्डिंग कंपनी इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड से 722.11 करोड रूपए का एक सावधि ऋण प्राप्तं किया है, जिसमें से 31 मार्च 2020 तक इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा 579.59 करोड़ का वितरण किया गया है और वर्ष के दौरान 15.44 करोड रूपए का पुनर्भुगतान किया गया है। 540.87 करोड़ रूपए को उपर्युक्त अनुसार वर्गीकरण किया गया हैं।

ii) ब्याज की शर्तें

लागू ब्याज दर एसबीआई के आधार दर जमा 0.5% है। दिनांक 01.04.2020 से ब्याज दर को आशोधित किया गया है एसबीआई या पीएनबी 1 वर्ष सावधि जमा दर + 1 प्रतिशत, जो भी कम हो।

iii) पुनर्भुगतान की शर्तें

सावधि ऋण, सीओडी से 12 महीने की समाप्ति से आरंभ होने वाले 12.5 वर्षों में चुकाया जाएगा।

iv) ऋण के लिए सुरक्षा की शर्तें इस प्रकार हैं:

(i) सभी उधारकर्ताओं की अचल संपत्तियों पर पहली प्राथमिकता बंधक/प्रभार और वर्तमान और भविष्य दोनों में चल संपत्तियों (जिनमें सभी मौजूदा / गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों तक सीमित नहीं हैं) तक सीमित हैं।

(ii) सभी शुल्क पर पहली प्राथमिकता शुल्क, उधारकर्ता के राजस्व और प्राप्य परियोजना संपत्ति या अन्यथा।
(iii) सभी परियोजना समझौतों के एसाइनमेंट पर पहली प्राथमिकता शुल्क। सभी गारंटी, निष्पायदन गुणवत्ता या बांड, ऋण पत्र जो किसी भी पक्ष द्वारा किसी भी परियोजना समझौते को उधारकर्ता और मंजूरी के पक्ष में प्रदान किया जा सकता है और सभी अधिकार शीर्षक, अनुमोदन, परमिट, मंजूरी और ब्याज और उधारकर्ता अधिकार, शीर्षक, ब्याज प्रॉजेक्ट एग्रीमेंट और क्लीयरेंस के तहत या इसके अंतर्गत लाभ और दावा के अंतर्गत होंगे।

(iv) बीमा अनुबंधों, बीमा पॉलिसियों और बीमा आय के तहत या इसके अंतर्गत सभी उधारकर्ताओं के अधिकार, शीर्षक ब्याज, लाभ और उधारकर्ता के दावे पर एसाइनमेंट का पहला प्राथमिकता शुल्क।

(vi) साख सहित किन्तु इस तक सीमित नहीं, सहित उधारकर्ता की सभी अमूर्त संपत्तियों की पहली प्राथमिकता / प्रभार / एसाइनमेंट, वर्तमान और भविष्य दोनों सहित।

(vi) सीमा के बिना उधारकर्ता के सभी बैंक खातों पर पहली प्राथमिकता शुल्क, एस्क्रो खाते (या उसके प्रतिस्थापन में कोई भी खाता) और उसमें समय-समय पर जमा किए गए सभी निधियां और सभी अनुमत निवेशों या अन्य प्रतिभूतियों में एस्क्रो खाते में सभी क्रेडिट जमा किए गए हैं बशर्ते उपरोक्त (i) से (v) परियोजनाओं संपत्तियों को बाहर हों।

12.2 गैर चालू वित्तीय देयताएं - व्यापार देय

(रूपए करोड़ में)

विवरण	**31 मार्च 2020**	**31 मार्च 2019**
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम	-	-
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम से इतर	-	-

नोट:

क) कंपनी अधिनियम, 2013/ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमईडी) के अंतर्गत अपेक्षित प्रकटन नोट 36 पर उपलब्ध हैं।
ख) संबंधित पक्षों से संबंधित शर्तें एवं निबंधन और अन्य शेष नोट 29 में प्रकट किए गए हैं।

13 चालू देयताएं - वित्तीय देयताएं

13.1 चालू वित्तीय देयताएं - ऋण

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
इरकॉन से ऋण - चालू	23.28	44.93
कुल	**23.28**	**44.93**

13.2 चालू वित्तीय देयताएं - व्यापार देय

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम	-	-
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम से इतर		
(क) ठेकेदार एवं आपूर्तिकर्ता	-	1.86
(ख) संबंधित पक्ष	1.08	18.97
कुल	**1.08**	**20.83**

नोट:

क) कंपनी अधिनियम, 2013/ सूक्षम, लघु एवं मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमईडी) के अंतर्गत अपेक्षित प्रकटन नोट 36 पर उपलब्ध हैं।

ख) संबंधित पक्षों से संबंधित शर्तें एवं निबंधन और अन्य शेष नोट 29 में प्रकट किए गए हैं।

14 **चालू देयताएं - अन्य वित्तीय देयताएं**

(रूपए करोड में)

विवरण	**31 मार्च 2020**	**31 मार्च 2019**
उपदान	-	-
जमा राशि, प्रतिधारण राशि एवं आहरित राशि	0.47	0.83
वित्तीय गारंटी संविदा	-	-
ग्राहकों को देय राशि	-	1.51
ग्राहकों से अग्रिम पर देय ब्याज	-	-
अन्य देय (स्टाफ देय सहित)	1.88	0.10
पट्टा देयताएं	-	-
कुल	**2.35**	**2.44**

15 **अन्य चालू देयताएं**

(रूपए करोड में)

विवरण	**31 मार्च 2020**	**31 मार्च 2019**
सांविधिक देय	0.67	1.83
कुल	**0.67**	**1.83**

नोट:

क) सांविधिक देय राशियों में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी), टीडीएस, भविष्य निधि और अन्य सांविधिक देय राशियां शामिल हैं।

16 प्रचालन से राजस्व

(रूपए करोड में)

	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	**31 मार्च 2019 को समाप्त वष हेतु**
निर्माण संविदा राजस्व	-	32.50
टोल प्रचालन से राजस्व (नोट 24 व 34 का संदर्भ लें)	94.17	72.88
अन्य प्रचालनिक राजस्व	0.27	44.37
कुल	**94.44**	**149.75**

17 अन्य आय

		31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु		**31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु**
ब्याज आय:				
आयकर वापसी पर ब्याज		0.14		-
अन्य अग्रिम/प्रतिभूति जमा राशियों पर ब्याज		-		-
बैंक ब्याज सकल	0.29		0.30	
घटा: ग्राहकों को अंतरित ब्याज	-	0.29	-	0.30
अन्य:				
विविध आय		0.01		0.13
घटा: विनिमय उच्चावचन घाटा	-	-	-	-
घटा: ग्राहकों को अंतरित लाभांश	-	-	-	-
कुल		**0.44**		**0.43**

18 परियोजना एवं अन्य व्यय

(रूपए करोड में)

विवरण	फुटनोट	परियोजना व्यय		अन्य व्यय	
		31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु
कार्य व्यय		(0.17)	76.85	-	-
एनएचएआई को रियायत शुल्क		20.80	16.83		
टोल एकत्रण और अनुरक्षण व्यय		7.17	6.56	-	-
निरीक्षण, भू-तकनीकी अन्वेषण एवं सर्वेक्षण व्यय		0.75	0.26	-	-
वेट पर ब्याज एवं दंड		0.002	-	-	-
मशीनों का किराया प्रभार		-	-	-	-
विनिमय उच्चावचन घाटा				-	-
घटा:- विनिमय उच्चावचन लाभ				-	-
निवल विनिमय उच्चावचन घाटा		-	-	-	-
किराया - गैर आवासीय		0.04	0.04	-	-
दरें एवं कर		-	0.33	-	-
वाहन प्रचालन एवं अनुरक्षण		-	0.03	-	-
मरम्मत एंव अनुरक्षण:					
भवन		-	-	-	-
कार्यालय एवं अन्य		0.01	0.01	-	-
ऊर्जा, बिजली एवं पानी प्रभार		0.70	0.51	-	-
बीमा		0.13	0.08	-	-
यात्रा एवं कन्वेयंस		0.02	0.02	-	-
मुद्रण एवं स्टेशनरी		0.01	0.01	-	-
पोस्टेज, टेलीफोन व टैलेक्स		-	-	-	-
विधिक एवं व्यावसायिक प्रभार		0.11	0.07	-	-
प्रतिभूति सेवाएं		-	-	-	-
व्यवसाय संवर्धन		-	-	-	-
बट्टा खाता:					
अशोध्य ऋण		-	-	-	-
अशोध्य अग्रिम		-	-	-	-
अशोध्य परिसंपत्तियां		-	-	-	-
परिसंपत्तियों/भंडारण की बिक्री पर घाटा		-	-	-	-
निवेश में प्रदत्त प्रीमियम का परिशोधन		-	-	-	-
निदेशक बैठक शुल्क		-	-	-	-
चंदा		-	-	-	-
लेखापरीक्षक पारिश्रमिक	(i)	-	-	0.02	0.01
विज्ञापन और प्रचार		-	-	0.02	0.05
प्रशिक्षण एवं भर्ती		-	-	-	-
अनुसंधान एवं विकास व्यय		-	-	-	-
धारणीय विकास		-	-	-	-
निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (संदर्भ नोट 37)		-	-	-	-
विविध व्यय		0.01	-	-	-
निगमित शिरोपरि व्यय		-	-	-	-
प्रावधान (जमा - बट्टा खाता)		-	-	-	-
प्रयुक्त प्रावधान		-	-	-	-
कुल		**29.58**	**101.60**	**0.04**	**0.06**

(i) **सांविधिक लेखापरीक्षकों को भुगतान**

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु
(क) लेखापरीक्षा शुल्क - चालू वर्ष	0.01	0.01
(ख) कर लेखापरीक्षा शुल्क - चालू वर्ष	-	-
(ग) तिमाही सीमित समीक्षा हेतु शुल्क	-	-
(घ) प्रमाणन शुल्क	-	-
(घ) यात्रा एवं आउट ऑफ पॉकेट व्यय	-	-
यात्रा व्यय	-	-
आउट ऑफ पॉकेट व्यय	-	-
कुल	**0.01**	**0.01**

19 **कर्मचारी पारिश्रमिक एवं लाभ**

(रूपए करोड में)

विवरण	फुटनोट	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु			31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु		
		प्रचालनिक	अन्य (प्रशासनिक)	कुल	प्रचालनिक	अन्य (प्रशासनिक)	कुल
वेतन, पारिश्रमिक एवं बोनस		1.23	0.12	1.35	0.77	0.20	0.97
भविष्य एवं अन्य निधि में अंशदान		0.16	-	0.16	0.11	-	0.11
विदेशी सेवा अंशदान		-	-	-	-	-	-
सेवानिवृत्ति लाभ		0.09	-	0.09	0.08	-	0.08
स्टाफ कल्याण		-	-	-	-	-	-
कुल		**1.48**	**0.12**	**1.60**	**0.96**	**0.20**	**1.16**

20 **वित्तीय लागत**

(रूपए करोड में)

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु		31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु	
ब्याज व्यय		-	52.81	-	43.46
अन्य ऋण लागत					
बैंक गारंटी और अन्य प्रभार			0.03		0.03
पट्टा देयता पर ब्याज लागत			-		-
कुल			**52.84**		**43.49**

21 **मूल्यह्रास परिशोधन एवं हानि**

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु
परिसंपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	0.02	0.02
अमूर्त परिसंपत्तियां	41.53	34.38
निवेश परिसंपत्तियां	-	-
परिसंपत्तियों की हानि	-	-
कुल	**41.55**	**34.40**

इरकॉन शिवपुरी गूना टोलवे लिमिटेड

दिनांक 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के नोट

नोट: - 21

क. उचित मूल्य मापन

(i) वित्तीय साधनों का श्रेणीवार वर्गीकरण

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को इन वित्तीय विवरणों में उचित मूल्य पर मापा जाता है और उचित मूल्य पदानुक्रम के तीन स्तरों में वर्गीकृत किया जाता है। तीन स्तरों को माप के लिए महत्वपूर्ण आदानों के अवलोकन के आधार पर परिभाषित किया गया है:

स्तर 1: समान संपत्ति या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में कोट किया गया मूल्य (असमायोजित)।

स्तर 2: स्तर 1 के भीतर शामिल कोट की गई कीमतों के अतिरिक्त अन्य इनपुट जो कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपत्ति या देयता के लिए अवलोकन योग्य हैं।

स्तर 3: संपत्ति या देयता के लिए अप्रचलित इनपुट।

क) दिनांक 31 मार्च, 2020 तक श्रेणियों द्वारा वित्तीय साधनों के उचित मूल्य और उचित मूल्य इस प्रकार हैं: * **(रूपए करोड में)**

विवरण		उचित मूल्य		
	वहन मल्य	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्त्यिां	-	-	-	-
म्युचुवल फंड में निवेश				
कुल	**-**	**-**	**-**	**-**
परिशाधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां				
(i) निवेश		-	-	-
(ii) ऋण	**0.14**	-	-	-
(iii) व्यापार प्राप्य	**3.32**	-	-	-
(iv) रोकड एवं रोकड समुल्य	**-**	-	-	-
(v) अन्य बैंक शेष	0.57	-	-	-
(vi) अन्य बैंक परिसंपत्तियां ***		-	-	-
कुल	**4.03**	**-**	**-**	**-**

(रूपए करोड में)

विवरण	वहन मल्य	उचित मूल्य स्तर1	स्तर 2	स्तर 3
परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएं				
(i) ऋण	564.15	-	-	
(ii) व्यापार देय	1.08	-	-	
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं***	2.35	-	-	
		-	-	
कुल	**567.58**			

ख) दिनांक 31 मार्च 2018 को श्रेणी द्वारा वित्तीय माध्यमों का वहन मूल्य एवं उचित मूल्य निम्नानुसार है: *

(रूपए करोड में)

विवरण	वहन मल्य	उचित मूल्य स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां (एफवीटीपीएल) म्युचुवल फंड में निवेश	-	-	-	-
कुल	**-**	**-**	**-**	**-**
परिशाधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां				
निवेश		-	-	
ऋण	**0.69**	-	-	
व्यापार प्राप्य	**9.61**	-	-	
रोकड एवं रोकड समुल्य	**-**	-	-	
अन्य बैंक शेष	0.51	-	-	
अन्य बैंक परिसंपत्तियां ***		-	-	
कुल	**10.45**	**-**	**-**	**-**

(रूपए करोड में)

विवरण	वहन मल्य	उचित मूल्य स्तर1	स्तर 2	स्तर 3
परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएं		-	-	
ऋण	561.59	-	-	
व्यापार देय	20.83	-	-	
अन्य वित्तीय देयताएं ***	2.45	-	-	
कुल	**584.87**			

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के उचित मूल्यों को उस मूल्य के रूप में परिभाषित किया जाता है जो किसी परिसंपत्ति की बिक्री पर प्राप्त होता है या माप तिथि पर बाजार सहभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में देयता को स्थानांतरित करने के लिए भुगतान किया जाता है। निष्पक्ष मूल्यों का अनुमान लगाने के लिए प्रयोग की जाने वाली विधियां और मान्यताएं वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए प्रयुक्त विधि के समान है। निष्पक्ष मूल्यों का अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित विधियों और मान्यताओं का उपयोग किया गया था:

i) म्यूचुअल फंड इकाइयों में निवेश का उचित मूल्य नेट एसेट वैल्यू (उचि एनएवी) पर आधारित है, जैसा कि तुलनपत्र की तारीख में प्रकाशित विवरणों में इन म्यूचुअल फंड इकाइयों के जारीकर्ताओं द्वारा प्रकट किया गया है। एनएवी उस मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है जिस पर जारीकर्ता म्यूचुअल फंड की आगे की इकाइयाँ जारी करेगा और जिस मूल्य पर जारीकर्ता ऐसी इकाइयों को निवेशकों से भुनाएगा।

ii) इन वित्तीय वित्तीय में निर्धारित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों की वहन राशि उनके उचित मूल्यों के उचित सामन्जस्य के पश्चात निर्धारित है है, कंपनी को यह अनुमान नहीं है कि वहन की जाने वाली राशि उन मूल्यों से काफी भिन्न होगी जो अंततः प्राप्त होगी।

iii) वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियों और वर्तमान वित्तीय देनदारियों की मात्रा उनके मुख्य रूप से अल्पकालिक प्रकृति के कारण उनके उचित मूल्य को निर्धारित करती है।

* वित्त वर्ष 2019-20 और 2018-19 के दौरान, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 के उचित मूल्य मापों के बीच कोई स्थानान्तरण नहीं हुआ।

*** अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों और अन्य वित्तीय देनदारियों में कुछ वस्तुएं शामिल हैं जिन्हें लेनदेन मूल्य पर मान्यता प्राप्त है, क्योंकि उचित मूल्य पर इन्हें मापने का प्रभाव अपरिहार्य है।

ख) वित्तीय जोखिम प्रबंधन

कंपनी की प्रमुख वित्तीय देनदारियां, ऋण और अन्य वित्तीय देनदारियां हैं। इन वित्तीय देनदारियों का मुख्य उद्देश्य कंपनी के प्रचालन को वित्तपोषित करना है। कंपनी की प्रमुख वित्तीय परिसंपत्तियों में एनएचएआई से रोकड़ और रोकड़ समतुल्य और वसूली योग्य राशियां शामिल हैं जो सीधे इसके प्रचालन से प्राप्त होते हैं। कंपनी की गतिविधियाँ विभिन्न प्रकार के वित्तीय जोखिमों को प्रस्तुत करती हैं: जैसे बाजार जोखिम, ऋण जोखिम और तरलता जोखिम।

क) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वह जोखिम है जो बाजार की कीमतों में परिवर्तन के कारण वित्तीय साधनों के भावी रोकड़ प्रवाह के उचित मूल्य में उतार-चढ़ाव उत्पन्न करता है। बाजार जोखिम में ब्याज दर जोखिम शामिल है। बाजार जोखिम से प्रभावित वित्तीय साधनों में व्यापार प्राप्य, व्यापार देय और अन्य गैर-डेरिवेटिव वित्तीय साधन शामिल हैं।

(i) विदेशी मुद्रा जोखिम

कंपनी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रचालन नहीं करती है और विदेशी विनिमय जोखिम शून्य या नगण्य है।

(ii) ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है जो बाजार के ब्याज दर में परिवर्तन के कारण वित्तीय साधनों के भावी रोकड़ प्रवाह के उचित मूल्य में उतार-चढ़ाव उत्पन्न करता है। कंपनी अपने ब्याज जोखिम का प्रबंधन कंपनियों की नीतियों और जोखिम उद्देश्य के अनुसार करती है। ब्याज दर जोखिम से प्रभावित वित्तीय साधनों में बैंकों के पास जमा राशि शामिल है। इन वित्तीय साधनों पर ब्याज दर का जोखिम बहुत कम है, क्योंकि वित्तीय साधनों की अवधि के लिए ब्याज दर निर्धारित है।

ग) ऋण जोखिम

ऋण जोखिम कंपनी को वित्तीय हानि का जोखिम है, यदि ग्राहक या वित्तीय साधन के प्रतिपक्ष अपने संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है, और यह जोखिम मुख्य रूप से ग्राहकों और निवेश प्रतिभूतियों से कंपनी की प्राप्तियों से उत्पन्न होता है। ऋण जोखिम बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साथ रोकड़ संव्ययवहारों से उत्पन्न होता है, साथ ही साथ ग्राहकों के लिए ऋण जोखिम भी शामिल है, जिसमें बकाया खाते प्राप्य होते हैं। ऋण जोखिम के लिए अधिकतम

जोखिम वित्तीय परिसंपत्तियों के वहन मूल्य के बराबर है। प्रतिपक्ष ऋण जोखिम के प्रबंधन का उद्देश्य वित्तीय परिसंपत्तियों में नुकसान को रोकना है। कंपनी अपनी वित्तीय स्थिति, पिछले अनुभव और अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए, समकक्षों की ऋण गुणवत्ता का आकलन करती है। वर्तमान में कंपनी ने केवल एनएचएआई (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) के साथ समझौता किया है, इसलिए कंपनी का ऋण जोखिम न्यूनतम है।

व्यापार और अन्य प्राप्य

ऋण जोखिम के लिए कंपनी का जोखिम मुख्य रूप से प्रत्येक ग्राहक की व्यक्तिगत विशेषताओं से प्रभावित होता है। ग्राहक की जनसांख्यिकी, जिसमें उद्योग और उस देश का डिफ़ॉल्ट जोखिम शामिल है जिसमें ग्राहक संचालित होता है, का भी ऋण जोखिम मूल्यांकन पर प्रभाव पड़ता है।

निम्न तालिका निर्माण राजस्व, एससीए और टोल प्राप्तियों के तहत निर्माण के शीर्ष तीन राजस्व खंडों से उत्पन्न राजस्व के संबंध में विवरण प्रस्तुत करती है::

(रूपए करोड में)

विवरण	को समाप्त वष हेतु	
	31/03/2020	**31/03/2019**
शीर्ष तीन राजस्व क्षेत्रों से राजस्व	94.44	149.74
	94.44	149.74

ऋण जोखिम का खतरा

(रूपए करोड में)

विवरण	**31/03/2020**	**31/03/2019**
वित्तीय परिसंपत्तियां जिसके लिए जीवनकाल संभावित ऋण हानियों (एलईसीएल) के प्रयोग द्वारा प्रावधान को मापा गया		
गैर चालू निवेश	-	-
गैर चालू ऋण	-	-
अन्य गैर चालू वित्तीय परिसंपत्तियां	0.15	0.11
चालू निवेश	-	-
रोकड एवं रोकड समतुल्य	3.32	9.61

अन्य बैंक शेष	-	-
चालू ऋण	0.00	0.03
अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियां	0.42	0.69
सरलीकरण परिदृश्य का उपयोग करके स्वीकृति मापन हेतु वित्तीय परिसंपत्तियां		
व्यापार प्राप्य	0.14	17.70
संविदागत परिसंपत्तियां	-	-

सरलीकरण परिदृश्य का उपयोग करके हानि प्रावधान में परिवर्तन का सार

विवरण	**31/03/2020**	**31/03/2019**
आरंभिक प्रावधान	**-**	**-**
वर्ष हेतु प्रावधान	-	-
वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
बट्टा खता राशि	-	-
समापन प्रावधान	**-**	**-**

वर्ष के दौरान, कंपनी ने शून्य रुपये (31 मार्च, 2019: शून्य रुपये) की हानि को स्वीकार किया है के नुकसान भत्ते
को मान्यता दी है।

जीवनकाल संभावित ऋण घाटा (एलईसीएल) दृष्टिकोण का उपयोग करके हानि भत्ते में परिवर्तन का सारांश

विवरण	**31/03/2020**	**31/03/2019**
आरंभिक प्रावधान	**-**	**-**
वर्ष हेतु प्रावधान	-	-
वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
बट्टा खता राशि	-	-
(विनिमय लाभ)/हानि	-	-
समापन प्रावधान	**-**	**-**

समीक्षा अवधि के दौरान अनुमान तकनीकों या मान्यताओं में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया या था। वर्ष के दौरान, कंपनी ने शून्य रूपए की हानि के प्रावधान को स्वीकृति प्रदान की है।

ख) तरलता जोखिम

तरलता जोखिम वह जोखिम है, जिसके अंतर्गत कंपनी अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा करने में सक्षम नहीं होती है जब ये दायित्व देय हो जाते हैं। कंपनी यह सुनिश्चित करके अपनी तरलता जोखिम का प्रबंधन करती है,कि जहां तक संभव हो, देय होने पर अपनी देनदारियों को पूरा करने के लिए उसके पास पर्याप्त नकदी उपलब्ध रखे।

कंपनी का निगमित ट्रेजरी विभाग तरलता (नकदी), वित्तपोषण और निपटान संबंधी प्रबंधन के लिए भी उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त, इस प्रकार के जोखिम से संबंधित प्रक्रियाएं और नीतियां पर वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा निगरानी रखी जाती हैं।

नीचे दी गई तालिका 31 मार्च 2020 तथा 31 मार्च 2019 तक महत्वपूर्ण वित्तीय देनदारियों की परिपक्वता का विवरण प्रस्तुत करती है:

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2020 को		
	1 वर्ष से कम	**1-2** वर्ष	2 वर्ष और अधिक
ऋण	2.56	-	525.82
व्यापार प्राप्य	1.08	-	-
अन्य वित्तीय देयताएं	2.35	-	-

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2019 को		
	1 वर्ष से कम	**1-2** वर्ष	2 वर्ष और अधिक
ऋण	35.77	-	182.65
व्यापार प्राप्य	20.83	-	-
अन्य वित्तीय देयताएं	2.44	-	-

ख) अत्यधिक जोखिम एकाग्रता

जब कई समकक्ष समान व्यावसायिक गतिविधियों, या एक ही भौगोलिक क्षेत्र में गतिविधियों में लगे होते हैं, जो आर्थिक, राजनीतिक या अन्य स्थितियों में परिवर्तन से प्रभावित होने के लिए संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने की उनकी क्षमता का कारण बनती हैं। जोखिम किसी विशेष उद्योग को प्रभावित करने वाले विकास हेतु कंपनी के निष्पादन की सापेक्ष संवेदनशीलता को दर्शाती है।

जोखिम की अत्यधिक संभावना से बचने के लिए, कंपनी की नीतियों और प्रक्रियाओं में एक विविध पोर्टफोलियो के रखरखाव पर ध्यान केंद्रित करने के लिए विशिष्ट दिशानिर्देश शामिल हैं। क्रेडिट जोखिमों की पहचान की गई सांद्रता को उसी के अनुसार नियंत्रित और प्रबंधित किया जाता है।

पूंजी प्रबंधन

कंपनी की नीति एक मजबूत पूंजी आधार बनाए रखना है ताकि निवेशक, लेनदार और बाजार का विश्वास बनाए रखा जा सके और व्यवसाय के भविष्य के विकास को बनाए रखा जा सके। कंपनी पूंजी पर रिटर्न और साथ ही अपने इक्विटी शेयरों पर लाभांश के स्तर की निगरानी करती है। पूंजी का प्रबंधन करते समय कंपनी का उद्देश्य एक इष्टतम संरचना बनाए रखना है ताकि शेयरधारक मूल्य को अधिकतम किया जा सके।

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान अपने परियोजना के वित्तपोषण हेतु धारक कंपनी से 18,00,00,000.00 (वित्तीय वर्ष 2019-20 तक संचित रू. 564,15,00,000)।

कर्ज इक्विटी अनुपात :- **(रूपए करोड में)**

विवरण	**31-मार्च-20**	**31-मार्च-19**
ऋण (नोट सं 12.1 व 13.1)	540.87	516.66
दीर्घकालीन ऋण	**540.87**	**516.66**
इक्विटी (नोट सं.10)	150.00	150.00
अन्य इक्विटी (नोट सं.11)	(62.19)	(31.36)
कुल इक्विटी	**87.81**	**118.64**
ऋण इक्विटी अनुपान	**6.16**	**4.35**

22 **वर्ष के दौरान संबंधित पक्ष संव्यवहारों का ब्यौरा**

(रूपए करोड़ में)

संबंधित पक्ष का नाम	**विवरण**	**संव्यवहार (रूपए में)**		**बकाया राशि**	
		31-03-2020 तक की अवधि के दौरान	**31-03-2019 तक की अवधि के दौरान**	**31-03-2020 को**	**31-03-2019 को**
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	इक्विटी में निवेश	-	-	150.00	150.00
	ऋण	2.56	(9.6)	564.15	561.59
	अन्य देय	(17.89)	(5.97)	1.08	18.97
	सेवाएं प्रदान करना				
	कार्य संविदा* व्यय के रूप में जीएसटी को छोडकर	-	16.59		
	कार्य संविदा* एसटी पूंजीकरण को छोडकर	-	27.53		
	व्यय के रूप में जीएसटी को छोडकर किराया	0.02	0.01		
	जीएसटी पूंजीकरण को छोडकर किराया		0.01		
	व्यय के रूप में ऋण पर ब्याज	52.81	43.46		
	ऋण पूंजीकरण पर ब्याज		9.14		

नोट 24: सेवा रियायत व्यवस्थाएं (एससीए)

सार्वजनिक से निजी सेवा रियायत की व्यवस्था को इड एएस 115 "ग्राहकों के साथ संविदा से राजस्व के "परिशिष्ट "ग"-ससेवा नियायत व्यवस्थाओं के अनुसार दर्ज किया जाता है। यह एससीए परिशिष्ट के कार्यक्षेत्रके अंतर्गता आता है क्योंकि नीचे दी गई दोनों शर्तों को पूरा किया जा रहा है:

क) गारंटर नियंत्रित और विनियमित करेगा कि प्रचालक आधारभूति सुविधाओं के साथ कौनसी सेवाएं प्रदान करेगा, ये सेवाएं किसके लिए उन्हें प्रदान की जाएंगी और किस कीमत पर इन्हें प्रदान किया जाएगा; तथा

ख) गारंटर स्वामित्व, लाभकारी पात्रता, या अन्यथा व्यवस्था की अवधि के अंतर्ग में अवसंरचना में किसी महत्वपूर्ण अवशिष्ट हित के माध्यम से नियंत्रित करेगा।

वित्तीय परिसंपत्ति को इस स्तर तक स्वीकार किया जाएगा कि प्रचालक को सेवा के लिए या गारंटर के विवेक पर नकद या अन्य वित्तीय संपत्ति प्राप्त करने विशेषाधिकार होगा।

इन अमूर्त परिसंपत्तियों को आरंभिग लागत पर स्वीकार किया जाएगा, जो प्रचालनों के कारण प्रत्येक्ष रूप से उपलब्ध सेवाओं के उचित मूल्य जमा अन्य प्रत्यक्ष लागतों पर होगी। इन्हें तत्पश्चात प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में परिशोधित लागत पर लेखांकित किया जाएगा।

इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड (आईएसजीटीएल) ने 15 जून 2015 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के साथ सेवा रियायत व्यवस्था में प्रवेश किया है, जिसके संदर्भ में एनएचएआई (अनुदानदाता) ने कंपनी को शिवपुरी गुना सेक्शन के चार लेन की परियोजना के विकास, वित्तपोषण, डिजाइन, इंजीनियर, खरीद, निर्माण, निर्माण, संचालन और रखरखाव करने के लिए अधिकृत किया है और/या और इसके पूरा होने पर इसके उपयोग का अधिकारों, शक्तियों, लाभों, विशेषाधिकारों प्रदान किया है। उक्त समझौते के संदर्भ में इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड का यह दायित्व है कि वह शिवपुरी गुना खंड की चार लेनिंग की परियोजना का निर्माण पूरा करे और परियोजना की परिसंपत्तियों को उन सभी परियोजनाओं की संपत्तियों सहित उचित कार्यशील स्थिति में रखे, जिनकी जीवन अवधि समाप्त हो गई है।

रियायत की अवधि नियत तिथि से 20 वर्ष होगी। रियायत अवधि के अंत में, परिसंपत्तियों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को वापस स्थानांतरित कर दिया जाएगा। समझौते के संदर्भ में महत्वपूर्ण उल्लंघन के मामले में एनएचएआई और इरकॉनएसजीटीएल के पास इस समझौते के अनुसार चूक की घटना का समाधान करने में सक्षम न होनी की स्थिति में समझौते को समाप्त करने का अधिकार है।

कंपनी निर्माण के पूरा होने के चरण के संदर्भ में इंड एएस-115 के अनुसार राजस्व और लागत को स्वीकार करती है। कंपनी संविदा राजस्व को प्राप्य के उचित मूल्य पर स्वीकार करतीहै। व्यवस्था के निर्माण चरण के दौरान, कंपनी की 726.78 करोड़ की संपत्ति (निर्माण सेवाओं को प्रदान करने हेतु उसके संचित अधिकार का प्रतिनिधित्व करते हुए) को अमूर्त संपत्ति (उपयोगकर्ता को प्रभारित करने का लाइसेंस) के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसे वर्ष 2018-19 में पूरा किया गया था। कंपनी ने सेवा रियायत व्यवस्था के तहत अमूर्त संपत्ति के निर्माण पर शून्य लाभ को स्वीकार किया है। सेवा रियायत व्यवस्था के तहत अमूर्त संपत्ति के निर्माण के संबंध में स्वीकृत राजस्व सेवा रियायत व्यवस्था के तहत अमूर्त संपत्ति के निर्माण के लिए प्रदान की गई सेवाओं के उचित मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है। टोल रोड का प्रचालन दिनांक 07 जून 2018 से शुरू हो गया है और 31.03.2020 का समाप्त वर्ष के लिए कंपनी ने टोल सड़कों के प्रचालन से 94.17 करोड़ रुपये के राजस्व के रूप में उपयोग शुल्क को स्वीकार किया है। ।

रियायत शुल्क और उसके प्रीमियम को राजस्व अर्जित किए जाने हेतु भुगतान के रूप में स्वीकार किया गया है और इसे राजस्व के प्रति प्रभार के रूप में माना जाता है। वर्ष के दौरान रियायत समझौते की शर्तों के अनुसार एनएचएआई को 20.79 करोड़ रुपये (16.83 करोड़ रुपये) के रियायत शूल्क का भुगतान किया गया है। रियायत समझौते के अनुसार ट्रैफिक सीमा से ऊपर एकत्रित उपयोग शुल्क को अतिरिक्त शुल्क कहा जाता है। यह एससीए रियायतकर्ता समझौते के खंड संख्या 28 और 29 के अनुसार पुनर्निर्धारित होने के कारण है।

निर्माण संविदा

इंड एएस-115 : ग्राहकों के साथ संविदा से राजस्व" में अपेक्षित प्रकटनों के अनुसार, तुलन पत्र की तारीख को वित्तीय विवरणों में विचाराधीन राशि निम्नानुसार है: -

(रूपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 20	31 मार्च 19
निर्माण सेवाओं से स्वीकृत राजस्व	-	32.50
टोल प्रयोग शुल्क से स्वीकृत राजस्व	94.17	72.88
वहन लागत का सकल मूल्य और लाभ व हानि में स्वीकृत	-	32.50
संविदागत कार्यों के लिए ग्राहकों से देय सकल राशि -	-	-

नोट 24: इंड एएस-1 "वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति" द्वारा अपेक्षित प्रकटीकरण

महत्वपूर्ण लेखांकन नीति में परिवर्तन

इंड एएस-116 "पट्टों" के अनुप्रयोग के कारण महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों संशोधित किया गया है।

इंड एएस-116 को दिनांक 01 अप्रैल, 2019 से प्रभावी किया गया, जो इंड एएस-17 को प्रतिस्थापित करती है। इंड एएस-116, पट्टों की मान्यता, मापन, प्रस्तुति और प्रकटीकरण के लिए सिद्धांतों को निर्धारित करता है और पट्टेदारों के लिए अपेक्षित बनाता है कि तुलनपत्र में अधिकांश पट्टों को स्वीकार किया जाए।

इंड एएस-116 के तहत पट्टादाता लेखांकन को इंड एएस-17 से अपरिवर्तित रखा गया था। पट्टादाता पट्टों को इंड एएस-17 के समान सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए प्रचालन या वित्तीय पट्टों के रूप में अपने पट्टों को वर्गीकृत करते रहेंगे। इसलिए, इंड एएस-116 का वहां पट्टों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है जहां कंपनी पट्टादाता है।

दिनांक 01 अप्रैल 2019 को इंड एएस 116 को स्वीकार करने का प्रभाव (वृद्धि/(कमी) निम्नानुसार है:

(रूपए करोड में)

परिसंपत्तियां	**राशि**
परिसंपत्त्यिों के प्रयोग का अधिकार	0
परिसंपत्तियां, संयंत्र और उपकरण	0
पुनर्भुगतान	0
कुल परिसंपत्तियां	**0.00**
देयताएं	
वित्तीय देयताएं - पट्टा देयताएं	0
कुल देयताएं	**0.00**

कंपनी ने केवल किराए के कार्यालय परिसरों के लिए ही पट्टा संविदाएं निष्पादित की हैं। ये पट्टे या तो 12 महीने से कम के हैं या कम मूल्य के हैं। इंड एएस-116 को स्वीकार करने से पूर्व, कंपनी ने अपने प्रत्येक पट्टों (पट्टेदार के रूप में) को एक वित्त पट्टा या एक प्रचालन पट्टे के रूप में स्थापना की तारीख में वर्गीकृत किया था। इंड एस-116 को अपनाने पर, कंपनी ने अल्पकालिक पट्टों और कम मूल्य के पट्टों को छोड़कर सभी पट्टों के लिए एक ही मान्यता और मापन दृष्टिकोण लागू किया है। लेखांकन नीति के नोट 2.15 का संदर्भ लें। यह मानक विशिष्ट संक्रमण आवश्यकताओं और व्यावहारिक समीक्षकों को प्रदान करता है, जिन्हें कंपनी द्वारा लागू किया गया है।

पट्टों को पूर्व में वित्तीय पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया गया था।
कंपनी के पास कोई वित्तीय पट्ट नहीं था।
पूर्व में पट्टों को प्रचालन पट्टों के रूप में लेखांकित किया जाता था।
कंपनी ने पूर्व में प्रचालनिक पट्टों के रूप में वर्गीकृत पट्टों को परिसंपत्ति प्रयोग अधिकार और पट्टा देयताओं के रूप में स्वीकार किया, केल निम्न लागत के रूप में वर्गीकृत अल्पकालीन पट्टों और प्रचालनिक पट्टों को छोड़कर। पट्टेदार शेष पट्टे के भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर

मापी गई पट्टा देयता को प्रारंभिक आवेदन की तिथि में पट्टेदार की वृद्धिशील दर का उपयोग करके रियायती और इसी के अनुसार पट्टे की देयता के बराबर राशि पर उपयोग संपत्ति को मापता है, जिसे पूर्व में प्रदत्त या संचित पट्टा भुगतानों हेतु समायोजित किया जाता है।

कंपनी ने उपलब्ध व्यावहारिक समीक्षकों को भी इसमें शामिल किया:

(i) यथोचित समान विशेषताओं वाले पट्टों के पोर्टफोलियो में एकल छूट दर का उपयोग किया गया है।

(ii) आरंभिक आवेदन की तारीख के 12 महीने के भीतर समाप्त होने वाली पट्टा अवधि वाले पट्टों के लिए अल्पकालिक पट्टों की छूट को लागू करता है और कुल पट्टे की अवधि 12 महीने से कम होती है और उन पट्टों को भी शामिल किया जाता है जिन्हें आवश्यक रूप से कम मूल्य वाले पट्टे कहा जाता है।

(iii) प्रारंभिक आवेदन की तारीख को संपत्ति के उपयोग अधिकार के मापन से प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत को छोड़कर।

(iv) पट्टे की अवधि निर्धारित करने में बाधा का उपयोग किया जाता है, जहां अनुबंध में पट्टे का विस्तार या समाप्त करने के विकल्प होते हैं।

दिनांक 01 अप्रैल, 2019 को पट्टा देयताओं को दिनांक 31 मार्च 2019 को प्रचालनिक पट्टा प्रतिबद्धाओं से निम्नानुसार समायोजित किया जा सकता है:

(रूपए करोड में)

विवरण	**. अप्रैल, 2019 तक**
संपत्ति	
31 मार्च 2019 तक प्रचालन पट्टे पर प्रतिबद्धता	-
01 अप्रैल, 2019 तक औसत वृद्धिशील ऋण दर	-
01 अप्रैल, 2019 तक प्रचालनिक पट्टा प्रतिबद्धता	-
घटा:	
अल्पकालिक पट्टों से संबंधित प्रतिबद्धताएँ	-

जमा:	
नवीनीकरण अवधि से संबंधित पट्टा भुगतान 31 मार्च, 2019 तक प्रचालनिक पट्टा प्रतिबद्धताओं में शामिल नहीं है	-
01 अप्रैल, 2019 तक पट्टों की देयताएं	**0.00**

इंड एएस-8 लेखांकन नीतियां - "लेखांकन अनुमान और त्रुटियां में परिवर्तन का प्रकटीकरण "

नोट:- 25

(क) वर्ष के दौरान कंपनी ने "पूर्व अवधि मद" से संबंधित लेखांकन नीति को बदल दिया है। वर्तमान वर्ष में आवधिक पूर्व अवधि की वस्तुओं को समायोजित करने का निर्णय लिया गया है।

दिनांक 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण लाइन मद, जो लेखांकन नीति में परिवर्तन से प्रभावित थे, नीचे दिए गए हैं: -

31 मार्च, 2019 तक तुलनपत्र

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं	**विवरण**	**संशोधित नीति के अनुसार**	**पिछली नीति के अनुसार**	**प्रभाव**
1	व्यापार देय - वर्तमान	20.83	21.00	(0.17)
2	अन्य वित्तीय देयताएं-वर्तमान	2.44	2.44	-
3	नकद और नकद समकक्ष	9.61	9.61	-
4	वर्तमान कर परिसंपत्तियां	1.91	1.91	-
5	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां-वर्तमान	0.03	0.03	-
6	व्यापार स्वीकार योग्य	0.70	0.70	-
7	इक्विटी	150.00	150.00	-

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं	**विवरण**	**संशोधित नीति के अनुसार**	**पिछली नीति के अनुसार**	**प्रभाव**
1	प्रचालन से राजस्व	149.75	149.75	-
2	अन्य आय	0.43	0.43	-
3	परियोजना व्यय ^ ^	101.60	101.77	(0.17)
4	कर्मचारी पारिश्रमिक और लाभ - अन्य व्यय	1.16	1.16	-
5	अन्य व्यय	77.95	77.95	-
6	वर्ष हेतु लाभ	(30.63)	(30.79)	0.17
7	प्रति शेयर मूल अर्जन	(2.04)	(2.05)	0.01
8	प्रति शेयर कम की गई आमदनी	(2.04)	(2.05)	0.01

^^ 0.17 करोड़ रुपए के पूर्व अवधि व्यय स्वतंत्र इंजीनियर से बीजकों की रसीद देर से प्राप्त होने के कारण है, जो वित्तीय वर्ष 2018-19 से संबंधित थीं लेकिन वित्तीय वर्ष 2020 में प्राप्त हुईं।

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं	**विवरण**	**संशोधित नीति के अनुसार**	**पिछली नीति के अनुसार**	**प्रभाव**
1	प्रचालन से राजस्व	94.44	94.44	-
2	अन्य आय	0.44	0.44	-
3	परियोजना व्यय ^ ^	29.58	29.42	0.17
4	कर्मचारी पारिश्रमिक और लाभ - अन्य व्यय	1.60	1.60	-

5	अन्य व्यय	94.43	94.43	-
6	वर्ष हेतु लाभ	(30.83)	(30.67)	(0.17)
7	प्रति शेयर मूल अर्जन	(2.06)	(2.04)	(0.01)
8	प्रति शेयर कम की गई आमदनी	(2.06)	(2.04)	(0.01)

(ख) वर्तमान वर्ष के वित्तीय विवरणों के साथ तुलनात्मकता को बढ़ाने के लिए तुलनात्मक अवधि के वित्तीय विवरणों हेतु कुछ पुन:वर्गीकरण किए गए हैं। इन पुनर्वर्गीकरणों से प्रचालन के सूचित परिणामों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

(ग) वर्तमान वर्ष के आंकड़ों से अंतर करने के लिए पिछले वर्ष के आंकड़ों को प्रकोष्ठ () के अंतर्गत दिखाया गया है।

नोट:- 27 कर्मचारी लाभ

इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड (आईएसजीटीएल) में कार्यरत कर्मचारियों प्रतिनियुक्ति/सेगमेंट आधार पर तैनात किया गया है और वे धारक कंपनी, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के रोल पर हैं। उनके भविष्य निधि अंशदान, पेंशन अंशदान, उपदान, अवकाश नकदीकरण और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का लेखांकन/डेबिट इसकी होल्डिंग कंपनी से लिया जाता है। इंड एएस -19 के अनुसार प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के उपदान और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का प्रावधान इसकी धारक कंपनी द्वारा अपनी लेखा नीतियों के अनुसार किया जा रहा है।

प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के भविष्य निधि योगदान और पेंशन योगदान को नियमित रूप से पीएफ ट्रस्ट के साथ धारक कंपनी द्वारा जमा किया गया है।

(क) लाभ और हानि में स्वीकृत विदेशी मुद्रा :

(रुपये करोड़ में)

विवरण	**31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए**	**31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए**
लाभ या हानि	-	-
अन्य वृहत आय	-	-
कुल	**-**	**-**

(ख) विदेशी मुद्रा में आय (संचित आधार पर):

(रुपये करोड़ में)

विवरण	**31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए**	**31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए**
कार्य प्राप्तियां और लोकोमोटिव पट्टे	-	-
बैंक का ब्याज	-	-
अन्य ब्याज	-	-
विदेशी मुद्रा उच्चावचन (निवल)	-	-
अन्य	-	-
कुल	**-**	**-**

(ग) विदेशी मुद्रा में व्यय (संचित आधार पर):

(रुपये करोड़ में)

विवरण	**31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए**	**31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए**
प्रचालनिक		
परामर्श शुल्क		
विदेशी मुद्रा में उच्चावचन हानि (निवल)		
कुल	**-**	**-**

नोट:- 28 संबंधित पक्ष संव्यवहार

इंड एएस-24 "संबंधित पक्ष संव्यवहार" के अनुपालन में प्रकटन इस प्रकार हैं:

क) संबंधित पक्षों की सूची

(i) धारक कंपनी

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड

(Ii) निदेशक मंडल

नाम	**पदनाम ***
श्री दीपक सबलोक	अध्यक्ष (31 अक्टूबर 2019 तक)
श्री श्याम लाल गुप्ता	अध्यक्ष (1 नवंबर 2019 से)
श्री अशोक कुमार गोयल	निदेशक

श्री राजेन्द्र सिंह यादव	निदेशक (06 मार्च 2017 से 19 सितंबर 2019 तक और 27 जनवरी 2020 से पुनर्नियुक्ति)
श्री आनंद कुमार सिंह	निदेशक (4 सितंबर 2019 तक)
सुश्री अनुपम बान	निदेशक (30 अगस्त 2019 तक)
सुश्री भुवनेश्वरी कृष्णन	निदेशक (19 सितंबर 2019 से 01 नवंबर 2019 तक)
श्री सुरजीत दत्ता	निदेशक (01 नवंबर 2019 से)
श्री डी.के. शर्मा	निदेशक (19 सितंबर 2019 से)

(Iii) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक (केएमपी) के रूप में घोषित सदस्य

नाम	**पद**
श्री मसूद अहमद नाजर	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 21 जुलाई 2016 से
श्री संजीव कुमार गुप्ता	मुख्य वित्तीय अधिकारी, 4 जनवरी 2019 से
सुश्री साक्षी मेहता	कंपनी सचिव, 29 मई 2017 से

* *सभी निदेशक धारक कंपनी यथा इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा नामित अंशकालिक (नामिति) निदेशक हैं ।*

कंपनी के प्रमुख प्रबंधन कार्मिक (केएमपी) के साथ संव्यवहार निम्नानुसार हैं: (रुपये करोड़ में)

क्र.सं	**विवरण**	**31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए**	**31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए**
1	अल्पावधि कर्मचारी लाभ	0.53	0.53
2	नियोजन पश्चात लाभ	0.09	0.06
3	अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ	0.01	0.01
4	अंतिम लाभ		
5	बैठक शुल्क		
	कुल	**0.63**	**0.60**

(रुपये करोड़ में)

संबंधित पक्षों के साथ संव्यवहार निम्नानुसार हैं:

क्र.सं	संव्यवहार की प्रकृति	संबंधित पक्ष का नाम	संबंध की प्रकृति	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
1	**वस्तु और सेवाओं की बिक्री**				
1.1	**संविदा राजस्व**	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	धारक कंपनी	-	-
1.2	**किराया आय**	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	धारक कंपनी	-	-
2	**वस्तुओं और सेवाओं की खरीद**	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड कार्य व्यय	धारक कंपनी	-	44.12
3	**प्रतिनियुक्ति स्टाफ व्यय, किराया और अन्य विविध व्ययों की प्रतिपूर्ति (आय)**	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	धारक कंपनी	0.02	0.02
4	**ब्याज व्यय**		धारक कंपनी		
4.1	**ऋण पर ब्याज व्यय**	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	धारक कंपनी	52.81	52.60
5	**ऋणों का पुनर्भुगतान**	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	धारक कंपनी	15.44	-
6	**प्राप्त अग्रिम / ऋण**	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	धारक कंपनी	18.00	35.77
7	**उपयुक्त के अतिरिक्त कोई अन्य लेन-देन**	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	धारक कंपनी		-

संबंधित पक्षों के साथ बकाया राशि निम्नानुसार हैं: **(रुपये करोड़ में)**

क्र.सं	**संव्यवहार की प्रकृति**	**संबंधित पक्ष का नाम**	**संबंध की प्रकृति**	**31 मार्च, 2020 को**	**31 मार्च, 2019 को**
1	**प्राप्त इक्विटी (देयता)**	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	धारक कंपनी	150.00	150.00
5	**कर्ज**	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	धारक कंपनी	564.15	561.59
6	**निम्न के प्रति देय राशि**		धारक कंपनी		
6.1	**व्यापार देयताएं**	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	धारक कंपनी	0.97	18.53
6.8	**अन्य देयताएं**	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	धारक कंपनी	0.11	0.44

संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन के नियम और शर्तें

(i) संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन आर्म-लैंड संव्यवहारों की शर्तों के समान किया जाता है।

(Ii) ऋण को छोड़कर वर्ष के अंत में संबंधित पक्षों की बकाया राशि अरक्षित है और इनका बैंकिंग लेनदेन के माध्यम से निपटान होता है। ऋण और ब्याज रहित अग्रिमों के अतिरिक्त शेष संव्यवहार ब्याज मुक्त हैं।

(Iii) प्रमुख प्रबंधन कर्मियों को ऋण, यदि कोई हो, उन समान नियम और शर्तों पर है जो अन्य सभी कर्मचारियों के लिए लागू हैं।

(Iv) कंपनी ने संबंधित पक्षों द्वारा बकाया राशि से संबंधित प्राप्तियों की कोई हानि दर्ज नहीं की है। यह आकलन प्रत्येक वित्तीय वर्ष में संबंधित पक्षों की वित्तीय स्थिति और उस बाजार से संबंधित होता है, जिसमें वे संव्यवहार करते हैं।

(V) इरकॉन आईएसजीटीएल में वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान पांच अंशकालिक निदेशक हैं, जो कि धारक कंपनी द्वारा बोर्ड पर नामांकित हैं और वे कंपनी से कोई पारिश्रमिक नहीं लेते हैं। अंशकालिक निदेशकों को कोई बैठने का शुल्क नहीं दिया जाता है।

नोट 30: प्रति शेयर आय

इंड एएस - 33 ' प्रति शेयर आय' के अनुसार प्रकटीकरण

मूल ईपीएस की गणना वर्ष के इक्विटी धारकों के लाभ वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या
से विभाजित करके की जाती है।

विलयित ईपीएस की गणना बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या जमा इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या, जिनके रूपांतरण पर जारी की जाएगी इक्विटी शेयरों को संभावित शेयर इक्विटी धारकों के लिए वर्ष हेतु लाभ से विभाजित करके की जाती है।

(i) प्रति शेयर मूल और विलयित आय (रुपए में)

विवरण	**नोट**	**31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए**	**31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए**
इक्विटी धारकों के लिए लाभ (करोड़ रूपए में)	(ii)	(30.83)	(30.63)
मूल और विलयित ईपीएस के लिए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	(iii)	15.00	15.00
प्रति शेयर आय (मूल)		(2.06)	(2.04)
प्रति शेयर आय (विलयित)		(2.06)	(2.04)
प्रति शेयर अंकित मूल्य		10.00	10.00

(ii) इक्विटी शेयरधारकों के लिए लाभ (न्यूमरेटर के रूप में प्रयुक्त) (करोड़ रूपए में)

विवरण	**31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए**	**31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए**
लाभ और हानि विवरण के अनुसार वर्ष के लिए लाभ	(30.83)	(30.63)
ईपीएस की गणना के लिए उपयोग किए गए कंपनी के इक्विटी धारकों के लिए लाभ	**(30.83)**	**(30.63)**

(iii) इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (भाजक के रूप में प्रयुक्त)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
जारी इक्विटी शेयरों का ओपनिंग बैलेंस	15	15
वर्ष के दौरान जारी किए गए इक्विटी शेयर	0	0
बेसिक ईपीएस की गणना के लिए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	**15**	**15**
प्रदूषण प्रभाव:		
जोड़ें: वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	0	0
पतला ईपीएस की गणना के लिए इक्विटी शेयरों की औसत संख्या	**15**	**15**

नोट 31: परिसंपत्ति की हानि

इंड एएस-36 "परिसंपत्तियों की हानि" अनुपालन में , कंपनी ने वर्ष की समाप्ति पर कंपनी की लेखा नीति के अनुसार,परिसंपत्तियों की हानि, यदि कोई हो, की समीक्षा है। चूंकि हानि का कोई संकेत नहीं है, इसलिए वर्ष के दौरान कोई हानि को लेखांकित नहीं किया गया है।

नोट 32: प्रावधान, आकस्मिकताएँ और प्रतिबद्धताएँ

(i) प्रावधान

इंड एएस 37 के अनुसार , आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्ति हेतु कंपनी द्वारा वर्ष में कोई प्रावधान नहीं नहीं किए गए थे।

(Ii) आकस्मिक देयताएं

इंड एएस-37 'प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियों के अनुसार आकस्मिक देयताएं का प्रकटीकरण निम्नानुसार है:

(रुपये करोड़ में)

	विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2019 तक	वर्ष के दौरान जोड़	वर्ष के दौरान दावों का निपटान किया गया			31 मार्च 2020 तक
					आरंभिक शेष में से	वर्ष के दौरान संवर्धन में से	वर्ष के दौरान निपटाए गए कुल दावे	
क)	कंपनी के विरूद्ध दावा जिसे ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया:		-	-	-	-	-	-
ख)	कंपनी की ओर से जारी गारंटी (वित्तीय गारंटीधारकों को छोड़कर)		-	-	-	-	-	-
ग)	अन्य राशि जिसके लिए कंपनी आकस्मिक रूप से दायी है		-	-	-	-	-	-
			-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

(Iii) **प्रतिबद्धताएं**

(रुपये करोड़ में)

	विवरण	फुटनोट	31 मार्च 2020 तक	31 मार्च 2019 तक
क)	**पूंजी प्रतिबद्धताएं**			
	पूंजी खाते (अग्रिम का निवल) पर निष्पादित किए जाने हेतु शेष	1	112.12	112.12

	संविदाओं की अनुमानित राशि और इसके लिए प्रदान नहीं किया गया:			
ख)	**अन्य प्रतिबद्धताएं**			
(i)	टोल रोड के रियायतग्राही अवधि के अंत तक एनएचएआई को देय रियायतग्राही शुल्क (नोट 24 एससीए का संदर्भ लें)		526.60	547.80
			638.72	**6 59.92**

फुटनोट:

(रुपये करोड़ में)

1

क्र.सं	**पूंजी प्रतिबद्धताएं**	**31 मार्च 2020 तक**	**31 मार्च 2019 तक**
1	परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर निष्पादित की जाने वाली संविदाओं की अनुमानित राशि		
2	निवेश परिसंपत्ति पर निष्पादित की जाने वाली संविदाओं की अनुमानित राशि		
3	विकास के तहत अमूर्त परिसंपत्तियों पर निष्पादित की जाने वाली शेष संविदाओं की अनुमानित राशि	112.12	112.12
	कुल	**112.12**	**112.12**

नोट 33. खंड रिपोर्टिंग:

इंड एएस-108 "प्रचालनिक सेगमेंट" काप्रकटन निम्नानुसार है:

क. सामान्य जानकारी:

"प्रचालनिक सेगमेंट को एक उद्यम के घटकों के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसके लिए विशिष्ट वित्तीय सूचना उपलब्ध होती है, जिसका मूल्यांकन नियमित रूप से मुख्य प्रचालन निर्णय निर्माता

(सीओडीएम) द्वारा किया जाता है, ताकि यह तय किया जा सके कि संसाधनों का आवंटन कैसे किया जाए और निष्पादन का आकलन कैसे किया जाए। कंपनी का निदेशक मंडल मुख्य परिचालन निर्णय निर्माता (सीओडीएम) है। प्रचालनिक खंडों उस रूप में प्रस्तुत किया गया है जिसमें निष्पादन और संसाधनों के आवंटन की समीक्षा के लिए मुख्य प्रचालन निर्णय निर्माता (सीओडीएम) आंतरिक रिपोर्टिंग को प्रदान की गई है।

कंपनी ने भौगोलिक दृष्टिकोण से रिपोर्ट करने योग्य प्रचालनिक सेगमेंट निर्धारित किए हैं।

ख. वित्तीय विवरणों में रिपोर्ट योग्य सेगमेंटो और राशियों के पुनर्विनियोजन संबंधी सूचना:

(रुपये करोड़ में)

विवरण	**अंतरराष्ट्रीय**		**घरेलू**		**कुल**	
	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	**31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु**	**31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु**	**31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु**	**31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु**	**31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु**
सेगमेंट राजस्व						
बाहरी ग्राहकों से राजस्व			94.44	149.75	**94.44**	**149.75**
जमा:एकीकृत संयुक्त प्रचालनों में टर्नओवन में कंपनी का भाग					**-**	**-**
कुल प्रचालनिक राजस्व	**-**	**-**	**94.44**	**149.75**	**94.44**	**149.75**
ब्याज आय			0.43	0.30	**0.43**	**0.30**
कुल आय			0.01	0.13	**0.01**	**0.13**
अंतर-सेगमेंट					**-**	**-**
कुल राजस्व	**-**	**-**	**94.88**	**150.18**	**94.88**	**150.18**
सेगमेंट परिणाम						
प्रावधान,मूल्यह्रस, ब्याज, आपवादित मदों और कर पूर्व लाभ	-	-	63.66	47.36	**63.66**	**47.36**
घटा: प्रावधान औ रबट्टा खाता (निवल)					**-**	**-**

घटा:मूल्यह्रास, परिशोधन और हानि			(41.55)	(34.40)	**(41.55)**	**(34.40)**
घटा:ब्याज			(52.84)	(43.49)	**(52.84)**	**(43.49)**
कर पूर्व लाभ			**(30.73)**	**(30.53)**	**(30.73)**	**(30.53)**
घटा: कर व्यय			(0.10)	(0.10)	**(0.10)**	**(0.10)**
कर पश्चात लाभ	**-**	**-**	**(30.83)**	**(30.63)**	**(30.83)**	**(30.63)**

ग. अन्य सूचना

(रुपये करोड़ में)

विवरण	**अंतरराष्ट्रीय**		**घरेलू**		**कुल**	
	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	**31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु**	**31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु**	**31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु**	**31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु**	**31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु**
परिसंपत्तियां			656.06	705.34	656.06	705.34
देयताएं			568.25	586.70	568.25	586.70
इक्विटी विधि द्वारा लेखांकित संयुक्त उपक्रमों में निवेश			-	-		
वित्तीय प्रलेखों,आस्थगित कर परिसंपत्तियों, निवल परिभाषित लाभ परिसंपत्तियों से इतर गैर चालू परिसंपत्तियां			0.15	0.11	0.15	0.11
पूंजीगत व्यय (पीपीई, सीडब्ल्यूआईपी,निवेश परिसंपत्ति, अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां और विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों के अतिरिक्त)			0.01	692.48	0.01	692.48

घ. प्रमुख ग्राहकों के संबंध में सूचना

कंपनी टोल रोड के निर्माण, प्रचालन, रखरखाव के व्यवसाय में संलिप्त है और इसका प्रमुख राजस्व उक्त टोल रोड का उपयोग करने वाले वाहनों से टोल संग्रह से प्राप्त होता है। दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त अवधि के दौरान इनसे घरेलू सेगमेंट से ही राजस्व का लगभग 98%(48%) प्राप्त हुआ है।

नोट 34. ग्राहकों के साथ संविदा से राजस्व

(क) राजस्व से असंयोजन

प्रचालनिक सेगमेंट और उत्पाद या सेवाओं के प्रकार के संबंध में ग्राहकों के साथ संविदाओं से कंपनी के राजस्व का असंयोजन निम्नानुसार है:

उत्पाद या सेवा का प्रकार	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु						
	इंड एएस-115 के अनुसार राजस्व			निष्पादन दायित्वों के मापन हेतु विधि		अन्य राजस्व	लाभ व हानि के विवरण के अनुसार कुल (सेगमेंट रिपोर्टिंग)
	घरेलू	विदेशी	कुल	इनपुट विधि	आउटपुट विधि		
रेलवे			-				-
राजमार्ग	94.44		**94.44**	**94.44**			**94.44**
इलैक्ट्रिकल			-				-
भवन			-				-
अन्य			-				-
कुल	**94.44**	-	**94.44**	**94.44**	-	-	**94.44**

वर्ष के दौरान इंड एएस 115 के अंतर्गत स्वीकृत कुल राजस्व में से, शून्य रूपए को समयावधि में स्वीकार किया गया है और 94.44 करोड़ रूपए को समय बिंदु पर स्वीकार किया गया है।

उत्पाद या सेवा का प्रकार	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु						
	इंड एएस 115 के अनुसार राजस्व			निष्पादन दायित्वों के मापन हेतु विधि		अन्य राजस्व	लाभ व हानि के विवरण के अनुसार कुल (सेगमेंट रिपोर्टिंग)
	घरेलू	विदेशी	कुल	इनपुट विधि	आउटपुट विधि		
रेलवे			-				-
राजमार्ग	149.75		**149.75**	**149.75**			**149.75**
इलैक्ट्रिकल			-				-
भवन			-				-
अन्य			-				-
कुल	**149.75**	**-**	**149.75**	**149.75**	-	**-**	**149.75**

वर्ष के दौरान इंड एएस 115 के अंतर्गत स्वीकृत कुल राजस्व में से, 76.87 करोड़ लाख रूपए को समयावधि में स्वीकार किया गया है और 72.88 करोड़ रूपए को समय बिंदु पर स्वीकार किया गया है।

ख. कंपनी ने इंड एएस 115 - "ग्राहकों के साथ संविदाओं से राजस्व" के अनुप्रयोग हेतु आशाधित पूर्वगामी परिदृश्य को अपनाया है और दिनांक 01 अप्रैल 2019 के प्रतिधारित आमदनी पर इसका शून्य प्रभाव हो।

ग. संविदा शेष:

(रूपए लाख में)

विवरण	**31 मार्च 2020 को**	**31 मार्च 2019 को**
व्यापार प्राप्य (नोट 7.1)	**0.14**	**0.70**
संविदा परिसंपत्तियां	-	-
संविदा दायित्व	-	-

(i) व्यापार प्राप्य बिना ब्याज के हैं और ग्राहक प्रोफाइल में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) तथा टोल एकत्रण एजेंसी शामिल है। कंपनी का औसत परियोजना निष्पादन चक्र 24 से 36 महीने का है। सामान्य भुगतान की शर्तों में

उपयोगिता शिफ्टिंग प्रतिपूर्ति के लिए भुगतान शामिल हैं और 60 से 180 दिनों की ऋण अवधि या जब काम प्रमाणित है, तो किसी भी तरह से सहमत होने पर काम के दायरे में बदलाव। भुगतान में टोल एकत्र किए गए टोल के उपयोग के लिए टोल प्राप्तियां भी शामिल हैं। कंपनी के लिए टोल संग्रह एजेंसी। कंपनी द्वारा निष्पादित परियोजना बीओटी (निर्माण प्रचालन अंतरण) मॉडल के तहत है और भुगतान टोल एकत्रण और एनएचएआई द्वारा अतिरिक्त कार्यों, यदि कोई हो, के कारण है।

(ii) संविदा परिसंपत्तियों को उस अवधि के ऊपर स्वीकार किया जाता है, जिसमें सेवाएं निष्पादित की गई हैं ताकि ग्राहकों को अंतरित वस्तुओं या सेवाओं के लिए विनिमय में कंपनी के अधिकार को स्पष्ट किया जा सके। इसमें निर्माण संविदा के अंतर्गत ग्राहकों से देय शेष शामिल है, जो तब उत्पन्न होती हैं जब कंपनी संविदाओं की शर्तों के अनुसार ग्राहकों से धनराशि प्राप्त करती हैं। तथापि राजस्व को इनपुट विधि के अंतर्गत उक्त अवधि में स्वीकार किया जाता है। पूर्व में स्वीकृत संविदा परिसंपत्ति के रूप में और किसी भी राशि को संबंधित शर्तों के संतोषपूर्ण पूरा होने पर पुनः वर्गीकृत किया जाता है अर्थात भावी सेवाएं जो बिल योग्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है।

वर्ष के दौरान संविदागत शेषों का संचलन

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
वर्ष के आरंभ में संविदागत परिसंपत्तियां	-	-
वर्ष के अंत में संविदागत परिसंपत्तियां	-	-
निवल वृद्धि/कमी	-	-

(iii) निर्माण संविदा से उत्पन्न संविदा दायित्व ग्राहकों से देय शेष हैं और यह तब उत्पन्न होती है जब दीर्घकालीन निर्माण संविदा में विशिष्ट लक्ष्य इनपुट विधि के अंतर्गत स्वीकृत राजस्व से अधिक हो जाता है। अग्रिम राशि को निर्माण अवधि के ऊपर समायोजित किया जाता है जब ग्राहकों से इन्वाइसिंग प्राप्त होती है।

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
वर्ष के आरंभ में संविदागत परिसंपत्तियां	-	-
वर्ष के अंत में संविदागत परिसंपत्तियां	-	-
निवल वृद्धि/कमी	-	-

घ. स्वीकृत राजस्व की राशि निम्नानुसार है:

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
वर्ष के आरंभ में संविदागत देयताओं में शामिल राशि	-	-
पिछले वर्ष संतुष्ट निष्पादन दायित्व	-	-

ङ. निष्पादन दायित्व

कंपनी के निष्पादन दायित्वों से संबंधित सूचना नीचे सारबद्ध है:

31 मार्च को शेष निष्पादन दायित्वों (असंतुष्ट या आंशिक रूप से असंतुष्ट) को आवंटित संव्यवहार मूल्य निम्नानुसार है:

(रूपए लाख में)

	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
एक वर्ष के भीतर	-	-
एक वर्ष से दो वर्ष तक	-	-
दो वर्ष से अधिक	-	-
कुल	-	-

35 पट्टों

क) पट्टेदार के रूप में कंपनी

पट्टेदार के रूप में कंपनी ने कार्यालय परिसर और गेस्ट हाउस के लिए दो पट्टे अनुबंधों में प्रवेश किया है। इंड एएस-116 स्वीकर करने से पहले, कंपनी ने अपने प्रत्येक पट्टे (पट्टेदार के

रूप में) के निष्पादन की तारीख को वित्तीय पट्टा या प्रचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया था। ये पट्टे अल्पकालिक पट्टों या कम मूल्य के पट्टों की प्रकृति के हैं और प्रचालनिक पट्टे हैं।

परिसंपत्ति उपयोग का अधिकार

वर्ष के दौरान स्वीकृत परिसंपत्ति उपयोग अधिकार की वहन राशि और संचलन शून्य है।

पट्टा देयताएं

वर्ष के दौरान पट्टा देयताओं की स्वीकृति की वहन राशि और संचलन ब्यौरा निम्नानुसार है:

	(रुपये करोड़ में)
	31 मार्च, 2020 तक
01 अप्रैल, 2019 को शेष राशि	**0.00**
संवर्धन	-
ब्याज की स्वीकृति	-
भुगतान	-
राशि 31 मार्च, 2020 को शेष	**0.00**
चालू	-
गैर चालू	-

लाभ और हानि विवरण में स्वीकृत राशि

	(रुपये करोड़ में)
	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
परिसंपत्ति प्रयोग अधिकार का मूल्यह्रास व्यय	-
पट्टा देयताओं पर ब्याज खर्च	-
अल्पकालिक और कम मूल्य के पट्टों से संबंधित व्यय (संदर्भ नोट 18)	0.04
	0.04

ख) पट्टादाता के रूप में कंपनी

"कंपनी ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड (एचपीसीएल) द्वारा प्रचालित किए जाने हेतु पट्टे पर एनएचएआई के साथ हुए सेवा रियायत करार की शर्तों के भीतर टोल रोक से लगे निर्धारित क्षेत्र प्रदान किया है और शेष क्षेत्र को पट्टे व प्रचालन हेतु सिनर्जी इंजीनियर्स ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड को प्रदान किया गय है। एचपीसीएल से 0.16 करोड़ रुपये (0.10 करोड़ रुपये) की राशि प्राप्त की गई है और सिनर्जी से पट्टा भुगतानों के रूप में 0.12 करोड़ रुपये प्राप्त किए गए हैं।"

(रूपए करोड में)

	31 मार्च, 2020 को
एक वर्ष के भीती	0.33
एक वर्ष से पांच वर्ष तक	1.38
पांच वर्ष से अधिक	2.83
कुल	**4.54**

नोट 36. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 द्वारा अपेक्षित प्रकटीकरण इस प्रकार हैं: -

(रूपए लाख में)

क्र.सं	**विवरण**	**31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु**	**31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु**
1	प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में मूल राशि और उस पर देय ब्याज, जो किसी आपूर्तिकर्ता को बकाया है:	-	-
	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को देय मूल राशि	-	-
	उपर्युक्त पर ब्याज	-	-

2	प्रत्येक लेखांकन वर्ष के दौरान निर्धारित तिथि से आगे आपूर्तिकर्ताओं को किए गए भुगतान सहित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 16 के संदर्भ में रीजन (क्षेत्र) द्वारा देय ब्याज की राशि।	-	-
3	भुगतान करने में विलंब की अवधि के लिए देयस और भुगतानयोग्य ब्याज की राशि (वर्ष के दौरान जिसका भुगतान किया गया है किन्तु र्धारित तिथि के पश्चात) किन्तु सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना।	-	-
4	प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में अर्जित ब्याज और शेष अप्रदत्त राशि;	-	-
5	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के तहत आगामी वर्षों में भी देय शेष ब्याज की राशि, ऐसी तारीख जबतक कि ब्याज की बकाया राशि वास्तव में लघु उद्यम को भुगतान न हो गई हो, जो कि कटौतीयोग्य व्ययों की अस्वीकृति के प्रयोजन हेतु है।	-	-

नोट सं.37 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय (सीएसआर)

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 (1) के तहत उल्लिखित अनुसार इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड (इरकॉनएसजीटीएल) की ना तो निवल परिसंपत्ति 500 करोड़ रुपये या उससे अधिक है; या 1000 करोड़ या अधिक का टर्नओवर है; ना ही पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान शुद्ध लाभ 5 करोड़ या उससे अधिक ही है । इसलिए, कंपनी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधान इरकॉन एसजीटीएल पर लागू नहीं होते हैं और कंपनी को सीएसआर गतिविधियों पर कोई राशि खर्च करने की आवश्यकता नहीं है।

नोट सं.38 अन्य प्रकटन

वर्तमान में रिपोर्टिंग तिथि को कोविड-19 महामारी की अवधि और उसके प्रभाव अस्पष्ट है। इसलिए, इन परिणामों की अवधि और गंभीरता और साथ ही भविष्य के लिए कंपनी की वित्तीय स्थिति और परिणामों पर उसके प्रभाव का विश्वसनीय रूप से अनुमान लगाना संभव नहीं है। हालाँकि, रियायत अवधि में समय विस्तार के माध्यम से राजस्व हानि क्षतिपूर्ति के रूप में प्राकृतिक आपदा के तहत इस प्रकार की हानि का दावा करने के लिए कंपनी को रियायत समझौते के खंड 29.6 द्वारा संरक्षित किया गया है। लॉकडाउन व्यवधान / कोविड-19 महामारी के प्रभाव का समय-समय पर मूल्यांकन किया जाना चाहिए और इस संबंध में सूचित किया जाना चाहिए क्योंकि हम वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान प्रगति कर रहे हैं। राज्य और केंद्र सरकारों और स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा किए जा रहे विभिन्न महामारी रोकथाम प्रयासों की सफलता पर बहुत कुछ निर्भर करता है। इसलिए, इस स्तर पर विश्वसनीयता के साथ भविष्य के प्रभाव का पूर्वानुमान लगाना परिपक्व नहीं होगा।

कृते अजय के. जैन एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएल- 007118एन

ह/-	**ह/-**	**ह/-**	**ह/-**
(सीए अजय के. जैन)	**(श्याम लाल गुप्ता**	**(सुरजीत दत्ता)**	**(राजेन्द्र सिंह यादव)**
साझेदार	**अध्यक्ष**	**निदेशक**	**निदेशक**
सं.सं: 085994	**डीआईएन: 07598920**	**डीआईएन: 06687023**	**डीआईएन: 07752915**

	ह/-	**ह/-**	**ह/-**
स्थान : नई दिल्ली	**(मसूद अहमद नजर)**	**(संजीव कुमार गुप्ता)**	**(साक्षी मेहता)**
दिनांक: 24.06.2020	**मुख्य कार्यपालक अधिकारी**	**मुख्य वित्त अधिकारी**	**कंपनी सचिव**

यूडीआईएन: 20085994एएएएसीएच1291

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, के अनुच्छेद 143(6)(ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए **इरकॉन शिवपुरी गूना टोलवे लिमिटेड** का वित्तीय विवरण तैयार करने का उत्तरदायित्व कंपनी के प्रबंधन का है। अधिनियम के अनुच्छेद 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, उनके व्यावसायिक निकाय इंस्टीट्यूट आफ चार्टेड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित अनुसार तथा आश्वासन मानकों के अनुसार अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित अनुसार लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है। यहां यह उल्लेखनीय है कि दिनांक 24.06.2020 की उनकी लेखापरीक्षा रिर्पोट में उनके द्वारा ऐसा किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से अधिनियम के अनुच्छेद 143(6)(क) के अंतर्गत दिनांक 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए **इरकॉन शिवपुरी गूना टोलवे लिमिटेड** के वित्तीय विवरणों का अनुपूरक लेखापरीक्षा न करने का निर्णय लिया है।

कृते एवं की ओर से
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

ह/-
(के.एस.रामूवालिया)
प्रधान लेखापरीक्षा निदेशक
रेल वाणिज्यिक, नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 07.09.2020

इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड
(‘इरकॉनएसजीटीएल’)

पंजीकृत और निगमित कार्यालय :

सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली-110017, भारत

दूरभाष: +91-11-29565666 | फैक्स: +91-11-26522000, 26854000

ई-मेल आईडी: irconsgtl@gmail.com